वार्षिक प्रतिवेदन
2017 - 2018

NIRDPR

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

वार्षिक प्रतिवेदन
2017-18

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

के द्वारा प्रकाशितः
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत
टेलीः टेलीफैक्सः 040-24008473
ईमेलः cdc.nird@gov.in; वेबसाईटः http://www.nird.org

मुद्रकः
बॉलाजी स्कैन प्राईवेट लिमिटेड, नामपल्ली, हैदराबाद - 500 001, टेलीः 040-23303424 / 25
www.balajiscan.com ईमेलः bsplpress@gmail.com

स्वरूप

एनआईआरडीपीआर का स्वरूप उन नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालना है जो ग्रामीण निर्धनों को लाभ पहुँचाये, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में उन्हें बल प्रदान करें, ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं की क्षमता और परिचालन को सुधारे तथा अपने सामाजिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी पार्क के द्वारा प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा दें तथा पर्यावरणीय चेतना जगाए ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए "विचार भंडार" के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ग्रामीण विकास पर ज्ञान संचयन के रुप में कार्य करते हुए मंत्रालय को नीति प्रतिपादन और ग्रामीण विकास के विकल्पों का चयन करने में सहायता प्रदान करना है ।

विषयक्रम

क्रम. सं.	अध्याय	पृष्ठ
1	विहंगावलोकन	1
2	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	6
3	अनुसंधान और परामर्श	19
4	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	34
5	नवोन्मेषी कौशल और आजीविका	42
6	शैक्षणिक कार्यक्रम	52
7	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर विशेष फोकस	55
8	नीति समर्थन	68
9	प्रशासन	71
10	वित्त और लेखा	79
11	परिशिष्ट	81

परिवर्णी शब्द

ए ए आर डी ओ	:	अफ्रीकी - एशियाई ग्रामीण विकास संगठन
ए पी ओ	:	सहायक परियोजना अधिकारी
बी डी ओ	:	खंड विकास अधिकारी
बी एम एम यू	:	खंड मिशन निगरानी इकाई
सी आई आर डी ए पी	:	एशिया और पैसिफिक समन्वित ग्रामीण विकास केन्द्र
सी आई सी टी ए बी	:	कृषि बैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता केन्द्र
सी सी डी यू	:	समुदाय क्षमता विकास इकाई
सी ई ओ	:	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सी बी ओ	:	समुदाय आधारित संगठन
सी एफ टी	:	समूह सुविधा दल
डी सी सी बी	:	जिला केन्द्रीय सहकारिता बैंक
डी डी यू - जी के वाई	:	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
डी पी आर ओ	:	जिला जन संपर्क अधिकारी
डी आर डी ए	:	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
डी एम एम यू	:	जिला मिशन अनुश्रवण एकक
ई टी सी	:	विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र
एफ पी ओ	:	किसान उत्पादक संगठन
जी आई एस	:	भौगोलिक संसूचना प्रणाली
आई बी डी एल पी	:	एकीकृत घाटी विकास एवं आजीविका संवर्धन कार्यक्रम
आई सी टी	:	सूचना एवं संचार तकनोलॉजी
आई सी डी एस	:	समन्वित बाल विकास सेवाएँ
आई आई डब्ल्यू एम	:	भारतीय जल प्रबंधन संस्थान
आई एस आर ओ	:	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आई टी ई सी	:	भारतीय तकनीकी आर्थिक सहकारिता
आई ई सी	:	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आई उब्ल्यू एम पी	:	समन्वित जलागम प्रबंधन कार्यक्रम
एम जी एन आर ई जी ए	:	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एम आई एस	:	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एन ए बी सी ओ एन एस	:	नाबार्ड परामर्शी सेवाएँ
एन ई आर एल पी	:	उत्तर पूर्वी ग्रामीण आजीविका परियोजना
एन जी ओ	:	गैर सरकारी संगठन

एन आई आर डी एवं पी आर - एन ई आर सी : एन आई आर डी पी आर - उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र

एन एम एम यू	:	राष्ट्रीय मिशन अनुश्रवण एकक
एन आर एल एम	:	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एन आर आर डी ए	:	राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
एन एस ए पी	:	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
पी एच ई डी	:	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
पी ओ	:	परियोजना अधिकारी
पी आई ए	:	परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी
पी आर आई	:	पंचायती राज संस्थान
पी ई एस ए	:	अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार
पी एम जी एस वाई	:	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना
आर डी डी	:	ग्रामीण विकास विभाग
पी एम के एस वाई	:	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
आर जी पी एस ए	:	राजीव गॉधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान
आर एस ई टी आई	:	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आर डब्ल्यू एस एस	:	ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता
एस ए जी वाई	:	सांसद आदर्श ग्राम योजना
एस बी एम	:	स्वच्छ भारत मिशन
एस सी ए ए पी	:	विशेष राष्ट्र मंडल अफ्रीकी सहायता कार्यक्रम
एस एफ सी	:	राज्य वित्त आयोग
एस एच जी	:	स्व-सहायता समूह
एस आर एल एम	:	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
एस आर आर डी ए	:	राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
एस एस ए	:	सर्व शिक्षा अभियान
एस डब्ल्यू एस एम	:	राज्य जल स्वच्छता मिशन
डब्ल्यू एस ओ	:	जल स्वच्छता संगठन
टी ओ टी	:	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
जेड पी	:	जिला परिषद

अध्याय-1 विहंगावलोकन

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एन आई आर डी एवं पी आर) ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान होने के नाते ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक मुख्य राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र है । यह प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी और प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ-साथ अंतर संबंधित क्रियाकलापों द्वारा ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं, चयनित प्रतिनिधियों तथा सामुदायिक संगठनों (सी बी ओ), वित्तीय संस्थाओं और अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण करता है । सर्वप्रथम वर्ष 1958 में मसूरी में राष्ट्रीय समुदाय विकास संस्थान के रूप में स्थापित इस संस्थान को 1965 में हैदराबाद परिसर में स्थानांतरित कर वर्ष 1977 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान रखा गया । पंचायती राज प्रणाली के सुदृढीकरण तथा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर अधिक बल देते हुए संस्थान की महापरिषद के निर्णयानुसार एनआईआरडी का नाम बदलकर 4 दिसंबर, 2013 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एवं पीआर) रखा गया । संस्थान ऐतिहासिक शहर हैदराबाद से 15 कि.मी. की दूरी पर राजेन्द्रनगर के ग्रामीण वातावरण में 174.21 एकड़ पर स्थित है । वर्ष 2008 में एन आई आर डी एवं पी आर ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई ।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज सुदृढ़ीकरण पर फोकस करते हुए संस्थान निम्नलिखित क्रियाकलाप करता है:

i. वरिष्ठ स्तर के विकास प्रबंधकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, एन जी ओ और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करना

ii. अनुसंधान को प्रारंभ, सहायता, समन्वयन और बढ़ावा देना

iii. विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना

iv. ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का समाधान और प्रस्तावों का विश्लेषण करना

v. आवधिक पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों, ई मॉड्यूल व अन्य अन्य प्रकाशनों के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार और विषय वस्तु का विकास करना ।

संस्थान के अधिदेश में ग्रामीण निर्धनों का विकास और उनकी जीवन शैली में सुधार करना शामिल है । इस सम्बन्ध में अनुभव की गई व्यापक और विविध चुनौतियों पर विचार करते हुए एनआईआरडीपीआर एक शीर्ष संस्थान होने के नाते बड़ी संख्या में ग्राहक समूह की प्रशिक्षण और क्षमता विकास आवश्यकताओं को पूरा करता है । नीति प्रतिपादन और कार्यक्रम कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने हेतु संपूर्ण ग्रामीण विकास प्रक्रिया में विकास कार्यकर्ताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एक पूर्वापेक्षित कार्य है । संस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार के "विचार भंडार" के रूप में कार्य करता है तथा भारत सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर कार्य अनुसंधान सहित प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य करता है । संस्थान की सेवाएँ ग्रामीण विकास से जुड़े केन्द्र और राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालय / विभागों, बैंकिंग संस्थान, लोक तथा अन्य निजी क्षेत्र के संगठन, सिविल सोसायटी, पंचायती राज संस्थानों तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के लिए भी उपलब्ध है । अपने अस्तित्व के लगभग 6 दशकों से अधिक समय में एन आई आर डी एवं पी आर प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्य अनुसंधान, परामर्शी, सूचना का प्रचार-प्रसार तथा सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया द्वारा कार्यक्रम प्रबंध में गुणात्मक परिवर्तन लाने में सामान्य परन्तु महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है । इससे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के क्षेत्र में संस्थान राष्ट्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में उभर कर आया है ।

एन आई आर डी एवं पीआर के उत्तर-पूर्वी प्रादेशिक केंद्र (एनईआरसी) की स्थापना 1983 में गुवाहाटी में की गई जिसकी पहचान क्षेत्र के विकास कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शीर्ष संस्थान के रूप में की गई है । इसके 35 वर्ष के अस्तित्व में एनईआरसी ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की विशिष्ट प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने में विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त किया है ।

वर्ष 2017-18 के दौरान संस्थान के कार्यनिष्पादन की संक्षिप्त प्रस्तावना नीचे दी गई है जिसमें मुख्य क्षेत्रो को कवर किया गया है ।

1.1 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

संस्थान, ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, आदि का आयोजन करता आरहा है । एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नीति निर्माण, प्रबंधन और कार्यान्वयन और ग्रामीण विकास के विभिन्न अन्य कारकों को शामिल करने वाले वरिष्ठ और मध्यम स्तर के विकास कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञता और बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध है, जिसमें समुदाय आधारित संगठनों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों, प्रौद्योगिकी एजेंसियों, एनजीओ इत्यादि शामिल हैं । इन कार्यक्रमों का ध्यान कार्यक्रम प्रबंधन के तरीकों और तंत्र पर है, जो पहलुओं के अपेक्षित लक्ष्यों और कार्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विकासशील व्यावसायिको की मदद करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ज्ञान आधार बनाना, कौशल विकसित करना और सही दृष्टिकोण और मूल्यों को शामिल करना है । संस्थान हर साल प्रशिक्षण गतिविधियों की परिधि को बढ़ा रहा है और उन्हें अधिक आवश्यकता-आधारित और केंद्रित बनाने में सफल रहा है । संस्थान निरंतर आधार पर नई प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों को विकसित और अपनाने के द्वारा प्रतिभागियों की संतुष्टि की एक बहुत ही उच्च दर प्राप्त कर सकता है । इसके अलावा, अनुसंधान अध्ययन और कार्य अनुसंधान के निष्कर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण इनपुट के रूप में उपयोग किए जाते हैं । संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में निरंतर आधार पर वृद्धि हुई है । आउटरीच कार्यक्रमों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई । इसके अलावा, संस्थान स्थायी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए विकासशील देशों के व्यावसायिको के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने का प्रयास कर रहा है ।

2017-18 के दौरान, 1598 कार्यक्रमों का आयोजन कर, कुल 50206 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था । जबकि पिछले वर्ष 1463 कार्यक्रमों में 47683 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था । वर्ष के दौरान एनआईआरडीपीआर ने कई कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सेमिनारों और राष्ट्रीय परामर्शों का आयोजन किया और इनके विचार-विमर्श रिपोर्ट और पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किए गए। अपने लिंक संस्थानों यानि राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्र (ईटीसी) की प्रशिक्षण क्षमताओं का निर्माण, संस्थान के अधिदेश का अभिन्न अंग हैं । इसके भाग के रूप में, वर्ष के दौरान इन संस्थानों में 938 ऑफ कैंपस / क्षेत्रीय और नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे । संस्थान ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य संगठनों के साथ 27 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए । यह अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे आर्डो, सीआईआरडीएपी, संयुक्त राष्ट्र महिला आदि के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करता है । विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भू-सूचना विज्ञान के उभरते अनुप्रयोग के महत्व को स्वीकार करते हुए, संस्थान ने ग्रामीण विकास (सी-गार्ड) में भू-सूचनात्मक अनुप्रयोग केंद्र ने संस्थान के नवीनतम भौगोलिक तकनीक और उपकरणों में कौशल प्रदान करने और ज्ञान के स्तर में सुधार के लिए विशिष्टी कृत कार्यक्रम तैयार किया है ।

देश में ग्रामीण विकास संस्थागत नेटवर्क को मजबूत करने के अधिदेश के तहत, एनआईआरडीपीआर, राष्ट्रीय शीर्ष संगठन के रूप में, सभी 29 एसआईआरडी और पीआर और 89 ईटीसी को मार्गदर्शन प्रदान करता है । यह प्रशिक्षण आधारिक संरचना और संस्थानों के संकाय को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय योजना के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है । एनआईआरडीपीआर और ग्रामीण विकास के राज्य सचिवों और एसआईआरडी और पीआर के प्रमुखों के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठियों का भी आयोजन करता है, जिसमें प्रशिक्षण गतिविधियों और एसआईआरडी और पीआर और ईटीसी के संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है और उचित सुधारात्मक उपाय शुरू किए जाते हैं । एनआईआरडीपीआर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से एसआईआरडी और पीआर और ईटीसी के संकाय के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम भी आयोजित करता है ।

वर्ष के दौरान प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के विशेष कार्यों में मिशन अंत्योदय ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा, ग्रामीण विकास नेतृत्व पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम, निरंतर प्रशिक्षण और ई-सक्षमता (टीआईएसपीआरआई), प्रतिष्ठान द्वारा पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के माध्यम से भारत का बदलता स्वरूप, मेडागास्कर में सी-गार्ड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना और यूएन प्रोजेक्ट 'अवसरों से क्षमताओं तक: जेंडर उत्तरदायी शासन के लिए एक बहु क्षेत्रीय दृष्टिकोण' आदि शामिल है ।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं खान मंत्री, भारत सरकार से बातचीत करते हुए एन आई आर डी पी आर के महानिदेशक एवं संकाय

1.2 अनुसंधान और परामर्शी

अनुसंधान एनआईआरडीपीआर के परिप्रेक्ष्य का एक महत्वपूर्ण घटक है । इसके भाग के रूप में, संस्थान ग्रामीण गरीबों और अन्य वंचित समूहों पर अनुसंधान, कार्य अनुसंधान और परामर्श के माध्यम से ग्रामीण लोगों के सामाजिक कल्याण में सुधार के लिए योगदान देने वाले कारकों की जांच और विश्लेषण करता है । संस्थान द्वारा आयोजित अनुसंधान वर्तमान ग्रामीण विकास के मुद्दों पर जोर देने के साथ क्षेत्र आधारित प्रकृति के है । यह ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न जमीनी स्तर के मुद्दों को समझने में मदद करता है । यह ग्रामीण विकास के लिए नीति तैयार करने में सहायता करता है और संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण इनपुट बनाता है । संस्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित समकालीन समस्याओं और मुद्दों की पहचान करने और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रभावशीलता में सुधार के लिए वैकल्पिक रणनीतियों का सुझाव देने के लिए अध्ययन आयोजित करता है । ग्रामीण गरीबों की 'जीवन की गुणवत्ता' से संबंधित विकास के मुद्दों के समाधान का सीधा दृष्टिकोण अनुसंधान का प्रमुख क्षेत्र रहा है । ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संस्थान द्वारा आरंभ किए गए शोध अध्ययनों के माध्यम से प्रदान की गई प्रतिक्रिया को महत्व दिया है । संस्थान स्थान-विशिष्ट कार्य अनुसंधान भी करता है जिसमें चरण-दर-चरण, एक विषय या मॉडल फ़ील्ड परीक्षण किया जाता है, जबकि वास्तव में जमीनी स्तर पर परियोजना को कार्यान्वित करते हैं । स्थान पर प्रचलित स्थिति के अनुसार दिन-प्रति-दिन हस्तक्षेप संशोधन होता हैं । मुख्य निर्णय लेने और भागीदारी मूल्यांकन के साथ योजना और कार्यान्वयन में जन केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने पर मुख्य बल है । वास्तव में यह कार्य करते समय सीखने की प्रक्रिया है । ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संस्थान की कार्य उन्मुख पहल को और मजबूत करने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों में दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों से गांवों को अपनाकर "ग्राम अभिग्रहण" पर जोर दिया गया है । ये अध्ययन एनआईआरडीपीआर संकाय सदस्यों को जमीनी वास्तविकताओं और विकास चुनौतियों के बराबर रखने में सक्षम बनाएंगे। इसके अलावा, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों और अन्य संस्थानों के सहयोग से अध्ययन किए जाते हैं । एनआईआरडीपीआर विभिन्न विकास विषयों पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों को परामर्शी सहायता प्रदान करता है । संस्थान केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों और अन्य संगठनों के अनुरोध पर भी अध्ययन करता है ।

2017-18 के दौरान, 46 शोध अध्ययनों को पूरा किया गया, जबकि 40 अध्ययन चल रहे थे । इसके अलावा, वर्ष के दौरान 77 नए अध्ययन शुरू किए गए हैं, जिनके आगामी वर्ष में पूरा होने की योजना है ।

जहां तक कार्य अनुसंधान का सवाल है, पिछले वर्ष के अध्ययन वर्ष के दौरान जारी रहे थे । इसके अलावा, 'कृषि में असंतुष्टि पर काबू पाने के लिए बदलते स्वरूप का हस्तक्षेप - एसएचजी आधारित ग्राम संगठनों', के साथ अभिसरण के लिए रणनीतियां' पर अध्ययन किया गया ।

1.3 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

सतत ग्रामीण विकास के लिए उचित और किफायती प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यापक प्रसार के कार्यों के भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर ने 1999 में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) की स्थापना की है । इसका उद्देश्य कौशल उन्नयन और उद्यमिता विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की आजीविका में वृद्धि करना है । आरटीपी में राष्ट्रीय ग्रामीण भवन केंद्र की विभिन्न प्रौद्योगिकियों के 40 ग्रामीण मकानों की लागत प्रभावी मॉडल प्रदर्शित किए गए है । व्यक्तिगत स्वच्छता वाले शौचालयों के मॉडल की एक बड़ी संख्या एक स्वच्छता पार्क भी स्थापित किया गया जो ग्रामीण जनता के लिए किफायती हैं । ग्रामीण प्रौद्योगिकियों, नवाचारों, ग्रामीण उत्पादों के विपणन आदि को बढ़ावा देने के लिए हर साल एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला आयोजित किया जाता है ।

2017-18 के दौरान, आरटीपी द्वारा आयोजित विभिन्न क्रियाकलापों में शामिल हैं-फ्रुगल नवोन्मेषण पर कार्यशाला, डीआरडीओ के सहयोग से ग्रामीण प्रौद्योगिकी गठबंधन, अभिनव पैकेजिंग पर कार्यशाला, ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तकनीकों पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं ।

1.4 नवोन्मेषी कौशल और आजीविका

नवोन्मेषी कौशल और आजीविका के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के विशेष कार्यों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, एनआईआरडीपीआर में विशेष परियोजनाओं और संसाधन कक्ष स्थापित किए गए हैं । इनमें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना पर संसाधन कक्ष - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी) पर परियोजना कक्ष, एस.आर. शंकरन चेयर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय का कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति कार्यक्रम आदि सम्मिलित है । एनआईआरडीपीआर केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसियों (सीटीएसए) में से एक है और नीति परामर्श के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय एजेंसी है तथा मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं का प्रबंधन करती है। राज्यों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को प्रशिक्षण और कार्यान्वयन समर्थन प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका निभाने की संकल्पना की जाती है । डीएवाई-एनआरएलएम के लिए संसाधन कक्ष, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण और अनुसंधान गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है । यह सेल एनआईआरडीपीआर, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी) और विभिन्न राज्यों के अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करता है । संस्थान के आरसेटी परियोजना सेल, बैंकिंग संगठनों के सहयोग से राज्यों में आरएसईटीआई के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है । इसके भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर को बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एमओआरडी द्वारा प्रदान की गई राशि जारी करने के लिए विभिन्न प्रायोजन बैंकों के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की ज़िम्मेदारी दी गई है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त पोषण समर्थन के साथ 2012 में संस्थान द्वारा ग्रामीण श्रम पर एस.आर. शंकरन चेयर की स्थापना की गई थी । चेयर का मुख्य उद्देश्य उन मुद्दों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है जो ग्रामीण श्रम की स्थितियों में सुधार लाने में मदद और समझ को बढ़ाएंगे।

1.5 शैक्षणिक कार्यक्रम

ग्रामीण विकास के लिए चल रहे मुख्य कार्यों ने व्यावसायकर्ताओं की मांग सृजित की है । इसे ध्यान में रखते हुए, एनआईआरडीपीआर ने ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) के रूप में 2008 में एक वर्ष की अवधि के प्रबंधन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का उद्देश्य अंततः व्यावसायिक कार्यक्रम वितरण प्रबंधकों का एक बड़ा पूल तैयार करना था है, जिनकी प्रेरणा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है । पीजीडीआरडीएम बैचों के सभी छात्रों को अब तक विभिन्न संगठनों में नियुक्ति मिली है । अगस्त, 2017 में पीजीडीआरडीएम का चौदहवां बैच शुरू हुआ और जारी है । व्यापक आउटरीच के लिए संस्थान की पहल के आगे, एक दूरस्थ शिक्षा कक्ष (डीईसी) की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी और सतत ग्रामीण विकास (पीजीडीएसआरडी) में एक वर्ष का पीजी डिप्लोमा प्रारंभ किया गया था । डिप्लोमा का दसवां बैच जनवरी, 2018 में आरंभ हुआ और 270 छात्रों को प्रवेश दिया गया था । विशेष जनजातीय विकास विशेषज्ञों का एक प्रशिक्षित सेट के विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, संस्थान ने जनवरी 2013 में जनसंख्या विकास (पीजीडीटीडीएम) में एक वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम भी शुरू किया । कार्यक्रम का सातवां बैच जनवरी, 2018 में शुरू किया गया और 46 छात्रों को भर्ती किया गया। इसके अलावा, अगस्त 2015 में ग्रामीण विकास (पीजीडीगार्ड) में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया गया था । कार्यक्रम का तीसरा बैच जनवरी, 2018 में आरंभ हुआ जिसमें 126 छात्रों को प्रवेश दिया गया ।

संस्थान की कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के आधार पर, पीजीडीआरडीएम के एक साल के कार्यक्रम को दो साल में एआईसीटीई अनुमोदित और पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम में शामिल करने की तैयारियां की गई थीं । एआईसीटीई से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने और 2018-19 से दो साल के कार्यक्रम को शुरू करने का प्रस्ताव है ।

1.6 एनआईआरडीपीआर-उत्तर-पूर्वी केंद्र, गुवाहाटी

एनआईआरडीपीआर का उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र 1983 में गुवाहाटी में भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को कार्यों उन्मुख करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था । 2017-18 के दौरान, 2941 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 98 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें परिसर में 72 कार्यक्रम और क्षेत्र के एसआईआरडी और अन्य संस्थानों में 26 ऑफ-कैंपस कार्यक्रम शामिल थे । वर्ष के दौरान अलग-अलग श्रेणियों के तहत अध्ययन, केस स्टडीज, सहयोगी अध्ययन, कार्य अनुसंधान और ग्राम अभिग्रहण के दौरान कुल 21 अध्ययन किए गए। नौ अध्ययन पूर्ण हो चुके हैं और शेष 12 प्रगति पर हैं ।

1.7 नीति परामर्श

एनआईपीडीपीआर, एक शीर्ष संस्थान के रूप में, ग्रामीण विकास और पंचायत राज के क्षेत्रों के लिए विचार भंडार के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है । इसके भाग के रूप में, संस्थान ग्रामीण विकास और गतिशीलता के विभिन्न पहलुओं पर कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन, वर्कशॉप, सेमिनार इत्यादि आयोजित करता है और विभिन्न विकास कार्यक्रमों के नीति निर्णय और प्रभावी प्रबंधन के लिए इनपुट प्रदान करता है । ये विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय और राज्य सरकारों को एक अच्छा फीड़बैक प्रदान करेगा । 2017-18 के दौरान किए गए सार्वजनिक नीति में योगदान देने वाले कुछ क्षेत्रों में फ्रूगल इनोवेशन, शून्य अपशिष्ट समुदायों को बढ़ावा देना, जीएसटी लैंडस्केप पर अनौपचारिक क्षेत्र से संक्रमण: चुनौतियां और संभावनाएं, ग्रामीण विकास में स्मार्ट ग्राम की मुख्यधारा की अवधारणा: विश्लेषण के लिए एक ढांचा और नीति, बैंकों, निगमों और राज्यों के साथ किसान निर्माता संगठनों के अभिसरण के लिए सहयोजित करना शामिल है।

1.8 प्रशासन और वित्त

एनआईआरडीपीआर का प्रशासन और वित्त स्कंध संस्थान की प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों को प्रारंभ करने में संकाय सदस्यों की सहायता और सुविधा प्रदान करती हैं । संस्थान की नीति और रणनीतियों सामान्य परिषद द्वारा निर्धारित की जाती हैं । माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खान मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं । संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन कार्यकारी परिषद में निहित है और सचिव, ग्रामीण विकास उसके अध्यक्ष है । महानिदेशक सीईओ हैं और संस्थान के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं । अकादमिक और अनुसंधान सलाहकार समितियां प्रशिक्षण, अनुसंधान कार्य अनुसंधान परामर्श और अकादमिक गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करती हैं । डॉ. वाई.के. अलघ समिति की सिफारिशों के आधार पर, संस्थान को प्रत्येक स्कूल के तहत केंद्रो में पुनर्गठित किया गया है । वर्ष के दौरान प्रमुख भर्तियां की गई । एनआईआरडीपीआर के स्थापना दिवस के उत्सव के भाग के रूप में नवंबर, 2017 के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे ।

संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग के कार्यों में, अन्य बातों के साथ, बजट, धन का आहरण, लेखांकन, रसीदों और भुगतानों का वर्गीकरण शामिल है । प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रशासन / प्रशिक्षण / परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर वित्तीय सलाह देने के अलावा, वार्षिक खातों की तैयारी और संकलन, मंत्रालय को लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को जमा करना भी सम्मिलित है ।

एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण विकास पर सूचना का प्रचार प्रसार का अधिदेश है । संस्थान ने वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास के मुद्दों पर साहित्य प्रकाशित करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। संस्थान द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक "जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट" ग्रामीण विकास और विकेन्द्रीकृत शासन पर प्रमुख अकादमिक पत्रिकाओं में से एक है । अंग्रेजी और हिंदी में एनआईआरडीपीआर न्यूजलेटर 'प्रगति' प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए व्यापक प्रचार करने और नियमित आधार पर संस्थान द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों को उजागर करने के लिए प्रकाशित किया जाता है । संस्थान ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी) का एक त्रैमासिक न्यूज़लेटर "एंटरप्राइज़", प्रकाशित कर रहा है, इसमें देश भर के विभिन्न आरसेटी से समाचार शामिल होते है । इसके अतिरिक्त, संस्थान रिसर्च रिपोर्ट श्रृंखला, केस स्टडी सीरीज़ और कार्य अनुसंधान श्रृंखला के तहत अधिक प्रकाशन प्रकाशित करता है । संस्थान ने वर्तमान और भविष्य में अपने सभी समुदाय को जानकारी देने की दिशा को प्रयासों के भाग के रूप में वर्ष के दौरान एनआईआरडीपीआर दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया ।

अध्याय-2 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नीति निर्माण, प्रबंधन और कार्यान्वयन में लगे वरिष्ठ और मध्यम स्तर के विकास अधिकारियों और पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञता और अच्छी आधारभूत संरचना उपलब्ध है। कार्यक्रमों का उद्देश्य ज्ञान आधार बनाना, कौशल विकसित करना और प्रतिभागियों में सही दृष्टिकोण और मूल्यों को शामिल करना है। प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक ग्रामीण विकास के लिए चल रही पहल के प्रबंधन के लिए विकास व्यावसायियो के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रतिभागी उच्च स्तर की संतुष्टि की रिपोर्ट करते हैं क्योंकि हम निरंतर आधार पर नई प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों को विकसित कर रहे हैं। इससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है जबकि उन्हें अधिक आवश्यकता आधारित और केंद्रित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसंधान, कार्य अनुसंधान, ग्राम अभिग्रहण और मामला अध्ययन के निष्कर्षों का भी उपयोग किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित किया है जिसमें विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के विकासशील देश शामिल है । एनआईआरडीपीआर राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) के क्षमता निर्माण में भी शामिल हैं।

प्रशिक्षण की योजना और प्रबंधन में प्रशिक्षण, कवरेज, पद्धति और प्रक्रियाओं के उद्देश्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

2.1 उद्देश्य

संस्थान के कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार किए गए हैं:

- प्रभावी कार्यक्रम योजना और कार्यान्वयन के लिए कार्यकर्ताओं में जागरूकता बढाना, कौशल में सुधार करना और ज्ञान को बढाना ।
- कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और परामर्श के माध्यम से ग्रामीण आबादी की उभरती जरूरतों पर रणनीतियों का विकास करना ।
- विकास कर्मियों में व्यावहारिक परिवर्तन लाना ।
- विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन में बेहतर पद्धतियों और सफलता की कहानी से विकास कार्यकर्ताओं को अवगत कराना ।

2.2 ग्राहक समूह

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों और अन्य सरकारी हितधारकों सहित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू), अकादमिक, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ।

2.3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन:

वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर को संस्थान के विजन और मिशन के संदर्भ में ग्रामीण विकास में उभर रहे व्यापक रुझानों को दर्शाते हुए तैयार किया जाता है । समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन के परिणाम, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के विचार-विमर्श, अनुसंधान निष्कर्षों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया को कैलेंडर तैयार करने में प्रदर्शित किया जाता है । ऑफ-कैंपस पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं को एसआईआरडीपीआर और राज्य सरकारों के परामर्श से जाना जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम विभागों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने के समय ध्यान में रखा जाता है।

राज्य और उप-राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में हितधारकों तक पहुंचने के संस्थान के प्रयासों के भाग के रूप में ऑफ-कैंपस और नेटवर्किंग कार्यक्रमों के रूप में कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की एक श्रृंखला "कैस्केडिंग मोड" में क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए एसआईआरडीपीआर और राज्य तथा जिला स्तरीय स्रोत व्यक्तियों और मास्टर प्रशिक्षकों के संकाय सदस्यों के लिए तैयार की गई है।

2.4 प्रशिक्षण पद्धतियां

विभिन्न स्वरूप के प्रशिक्षण और प्रतिभागियों की भिन्न प्रोफाईल को ध्यान में रखते हुए भिन्न तथा उचित प्रशिक्षण पद्धति का उपयोग किया गया । इनमें से कुछ विधियां व्याख्यान-सह-चर्चा, मामला अध्ययन, समूह चर्चा, पैनल चर्चा, व्यवहारिक व क्रियाशील सत्र, भूमिका और गेम्स तथा क्षेत्र दौरे इत्यादि हैं।

प्रशिक्षण क्रियाविधि के भाग के रूप में स्रोत व्यक्तियों द्वारा अंतरिक और बाहरी दोनों प्रस्तुतीकरण और प्रतिभागियों के अनुभवों और बातचीत के साझाकरण की सुविधा प्रदान की जाती है। चल रहे विकास कार्यक्रमों के क्षेत्रीय दौरे से प्रतिभागियों की श्रेष्ठ पद्धतियों और सफलता की कहानियों का पता चलता है जिन्हें वे अपने संबंधित राज्यों में दोहराने के बारे में सोच सकते हैं।

2.5 प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय (टी-क्यूआईएम) समिति

प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गुणात्मक पहलुओं को बेहतर बनाने के उपाय हमेशा से संस्थान की प्राथमिकता रहे हैं। इस संबंध में, पाठ्यक्रम रुपरेखा और सामग्रियों की जांच करने और कार्यक्रमों में सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिए आंतरिक और बाहरी विषय विशेषज्ञों के सदस्यों की एक प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति गठित की गई थी। गुणवत्ता को लगातार उन्नत बनाने के लिए टीक्यूआईएमसी की बैठक हर तिमाही में होती है।

2.6 प्रशिक्षण कार्यक्रम 2017-18

2017-18 के दौरान, संस्थान ने 1598 कार्यक्रम आयोजित किए। इस वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रतिभागियों (50,206) की उच्चतम संख्या देखी गई। राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और एसआईआरडीपीआर, ईटीसी और अन्य आरडी और पीआर संस्थानों के संकाय सदस्यों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, एनआईआरडीपीआर और उसके क्षेत्रीय केंद्र द्वारा 938 ऑफ कैंपस और नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का औसत स्कोर 85 प्रतिशत था।

संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का श्रेणी-वार वर्गीकरण नीचे तालिका -1 में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 1: 2017-18 में आयोजित कार्यक्रमों का प्रकार

प्रकार	एनआईआरडीपीआर	एनआईआरडीएपीआर -एनईआरसी	कुल
प्रशिक्षण कार्यक्रम	531	42	573
कार्यशालाएँ और सेमिनार	47	13	60
अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	27	-	27
ऑफ - कैंपस कार्यक्रम	135	24	159
नेटवर्किंग कार्यक्रम	760	19	779
कुल	**1500**	**98**	**1598**

2.7 प्रतिभागियों की रुपरेखा

तालिका 2 से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधिकांश प्रतिभागी सरकारी अधिकारी थे। प्रतिभागियों की एक बड़ी संख्या अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, एनजीओ, सीबीओ अन्य जैसे एसएचजी, किसान और युवा थे । प्रतिभागियों का संस्थान और राज्य वार विवरण तालिका 1 और 2 में दर्शाया गया है ।

तालिका - 2: प्रतिभागियों की रूपरेखा

क्र.सं.	श्रेणी	एनआईआरडीएपीआर	एनईआरसी	कुल	प्रतिशत
1	सरकारी पदाधिकारी	15909	1804	17713	35.28
2	वित्तीय संस्थान	270	163	433	0.86
3	पंचायती राज संस्थान	943	152	1095	2.18
4	एनजीओ एवं सीबीओ	7349	79	7428	14.80
5	अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य संस्थान	8649	122	8771	17.47
6	विश्वविद्यालय और कॉलेज	129	162	291	0.58
7	अंतर्राष्ट्रीय	596	0	596	1.19
8	अन्य हितधारक	11985	1894	13879	27.64
	कुल	45830	4376	50206	-
	महिलाएँ	13958	1205	15163	30.20

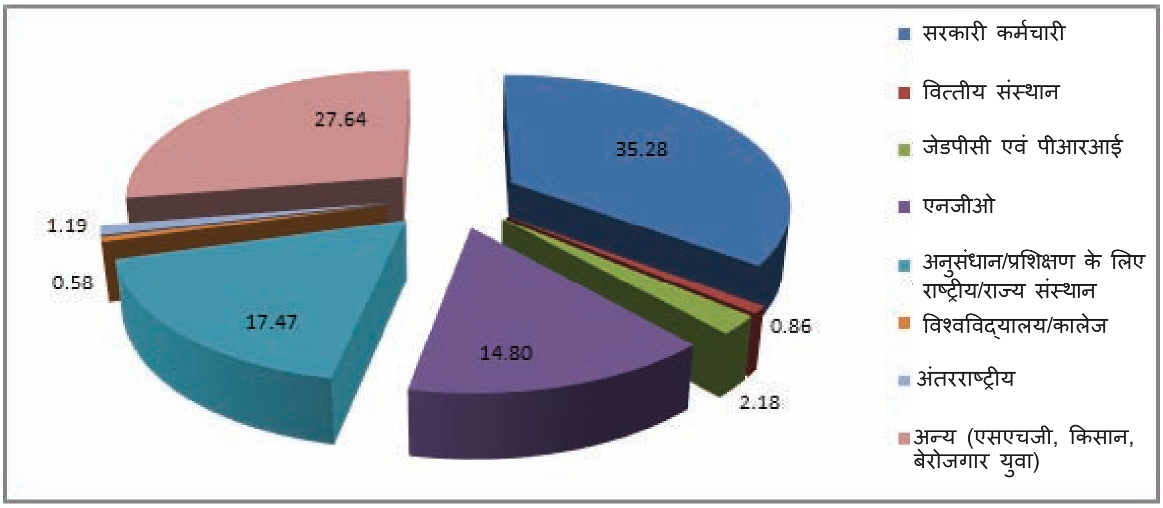

ग्राफ - 1 : प्रतिभागियों की रूपरेखा

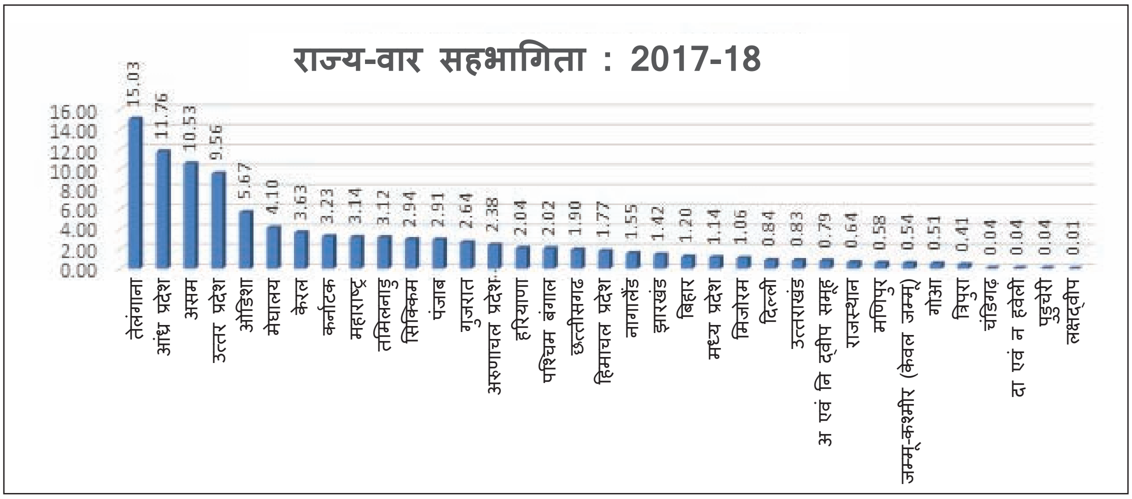

ग्राफ -2: राज्यवार भागीदारी

जैसा कि उपरोक्त आलेख में देखा गया है, दक्षिणी राज्य, अर्थात, तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश ने एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ उठाया है । उन्होंने असम, उत्तर प्रदेश और ओडिशा का अनुसरण किया है । संस्थान के कुल प्रतिभागियों का लगभग 52.55 प्रतिशत का योगदान केवल इन पांच राज्यों का है । एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षणों का लाभ उठाने के लिए अन्य राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है ।

मुख्यालय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी, असम में प्रतिभागियों की श्रेणियाँ और आयोजित कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

2.8 प्रशिक्षण के विषय

कार्यक्रमों का समग्र उद्देश्य ग्रामीण लोगों के सशक्तिकरण द्वारा आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को एकीकृत करने वाले सतत ग्रामीण विकास को सुविधाजनक बनाना है। उभरते ग्रामीण परिदृश्य के संदर्भ में विकास व्यावसायिकों की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विषय की योजना बनाई गई है। चल रहे ग्रामीण विकास फ्लैगशिप कार्यक्रमों और पीआरआई कार्यकर्ताओं के सशक्तिकरण की प्रभावी योजना और प्रबंधन पर बल दिया गया ।

वर्ष में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य विषयों में ग्रामीण आजीविका और सूक्ष्म उद्यम, ग्राम पंचायत विकास योजना, अभिसरण, सामाजिक लेखा परीक्षा, सुशासन, ग्रामीण ऋण प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जीआईएस के अनुप्रयोग और आरडी के लिए आईसीटी प्रौद्योगिकियां आदि शामिल हैं। विशेष कार्यक्रम जैसे मनरेगा, पीएमकेएसवाई, पीएमजीएसवाई, डीडीयू जीकेवाई, डीएई-एनआरएलएम इत्यादि कार्यक्रमों की विशिष्ट जरूरतों और समय-समय पर उभरती जरूरतों के लिए आयोजित किए जाते है।

2.9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण विषय

वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनार में कवर किए गए विभिन्न विषय निम्नानुसार है :

क. प्रशिक्षण कार्यक्रम

➢ पंचायती राज

- राज्य स्तरीय मास्टर स्रोत व्यक्तियों का अभिविन्यास और प्रमाणन
- ग्राम पंचायत विकास योजना पर टीओटी
- पंचायतों और सतत विकास लक्ष्यों की भूमिका (एसडीजी)
- भागीदारी समावेशी विकास योजना की तैयारी
- पंचायत विकास योजना बनाने में सहभागिता के लिए ग्रामसभा और सीबीओ का सुदृढ़ीकरण
- पीआरआई का वित्तीय प्रबंधन
- जीपीडीपी के तहत ग्रा.वि. कार्यक्रमों का अभिसरण दृष्टिकोण

एनआईआरडीपीआर के अधिकारियों और प्रशिक्षार्थियों के साथ बातचीत करते हुए
श्री एस एस अहलूवालिया, माननीय केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री, भारत सरकार

➢ ग्रामीण रोजगार
- ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए एमजीएनआरईजीएस कार्य का अभिसरण
- मनरेगा का एक दशक: सहभागिता मूल्यांकन
- बेयरफुट तकनीशियन
- सक्षम के तहत एसटीआरटी
- मनरेगा के तहत सुरक्षितता को अपनाने पर एसआरपी
- ग्रामीण श्रम: उनकी आजीविका को सुधारने के उपाय

➢ ग्रामीण आजीविका
- एनआरएलएम के तहत सतत ग्रामीण आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन
- ग्रामीण आजीविका विकास के लिए भागीदारी उपकरण और तकनीक
- छोटे और सीमांत किसानों की सतत आजीविका के लिए एकीकृत खेती को बढ़ावा
- ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास

➢ ग्रामीण ऋण
- प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देना
- ग्रामीण ऋण
- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए निवेश ऋण
- एमएसएमई और कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह

➢ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
- सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के माध्यम से जल उपयोग क्षमता और समता
- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना और अभिसरण
- भागीदारी सिंचाई प्रबंधन और जल प्रयोक्ता संघ की भूमिका
- किसान उत्पादक संघ (एफपीओ) में मूल्य श्रृंखला विकास और व्यापार योजना तथा किसान उत्पादक संगठनों का बाजार के साथ अभिसरण
- एफपीओ के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम

➢ सामाजिक विकास
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और राज्य पेंशन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों में शिक्षा की गुणवत्ता

➢ प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग
- पीएमजीएसवाई में जीओ टैगिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग
- प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए आईसीटी अनुप्रयोग
- ग्रामीण विकास में स्थानिक निर्णय सहायता प्रणाली में नवाचार

➢ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अभिशासन
- सामाजिक लेखापरीक्षा
- पारदर्शिता और जवाबदेहिता
- नियंत्रण

➢ अन्य
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का परिणाम आधारित प्रबंधन
- एकीकृत जिला विकास योजना की तैयारी के लिए सहभागी दृष्टिकोण
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रतिपादन और मूल्यांकन
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना
- ग्रामीण विकास में जेंडर मुद्दे और जेंडर बजटिंग
- एनआईआरडीपीआर, एसआईआरडी, ईटीसी आदि का संकाय विकास

कार्यशाला और सेमिनार

- एनएसएपी के संबंध में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मुद्दे
- प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देना
- एफएफसीजी के सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार करना
- ग्रामीण ऋण - आ.प्र. और तेलंगाना में डीसीसीबी के सीईओ और निदेशक
- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और एसडीजी
- पोषण के लिए खेती प्रणाली: भारत में कुपोषण का समाधान करने का मार्ग
- ग्रामीण श्रम: मुद्दे और विषय
- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के छात्रों में शिक्षा की गुणवत्ता
- भारत में ट्रांसजेंडर नीति
- मनरेगा के तहत सुरक्षा को अपनाना
- स्वास्थ्य, लिंग और ग्रा.वि. पर आईएएसएसएच सम्मेलन
- व्यापक जीपीडीपी का प्रतिपादन और प्रबंधन
- ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों पर नियंत्रण

श्री रामदास अठावले, माननीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री, भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए मॉड्यूल विकसित करने पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया

2.10 क्षेत्रीय ऑफ-कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और एसआईआरडी, ईटीसी और अन्य आरडी और पीआर संस्थानों के संकाय सदस्यों की क्षमताओं का निर्माण करने के लिए, एनआईआरडीपीआर और उसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा 159 ऑफ कैंपस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। । इसके अलावा, बढ़ते स्तर पर कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए, इन संस्थानों के माध्यम से 779 नेटवर्किंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ध्यान विकेंद्रीकृत योजना, सूक्ष्म उद्यम विकास, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण विपणन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधान मंत्री ग्राम स्वराज योजना (पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, ई-शासन, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), अभिसरण, संगठनात्मक व्यवहार और अंतर-व्यक्तिगत कौशल, परियोजना प्रबंधन, कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बच्चे और विकलांग, ग्रामीण विकास में नवाचार, अन्य कार्यक्रमों के साथ आपदा प्रबंधन और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पर था ।

2.11 प्रायोजित कार्यक्रम

नियमित कार्यक्रमों के अलावा, एनआईआरडीपीआर, ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित भारत सरकार के मंत्रालयों राज्य सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आयोजित करता है। 2017-18 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के मुख्य विषय निम्नानुसार है :

क. राष्ट्रीय कार्यक्रम

- पीएमजीएसवाई में जीओ टैगिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग
- बेयर फुट तकनीशियन (बीएफटी) पर प्रशिक्षण
- सतत स्वच्छता के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण
- सामुदाय आधारित पेयजल प्रबंधन प्रणाली
- पोषण के लिए खेती प्रणाली: भारत में कुपोषण का समाधान करने का मार्ग
- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए निवेश ऋण
- सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के माध्यम से जल उपयोग क्षमता और समता
- सतत विकास के लिए जल संसाधन प्रबंधन

- कठिन और अधिक उपयोग क्षेत्रों के अभिविन्यास और विनिमय कार्यक्रम
- एफपीओ व्यवसाय विकास योजना और एफपीओ के कृषि-व्यवसाय संवर्धन
- बागवानी उत्पाद वृद्धि तथा सतत आजीविका की मूल्य वृद्धि

ख. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

विकासशील देशों के लाभ के लिए भारतीय अनुभव साझा करने के प्रयासों के तहत, संस्थान ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयों पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, आईटीईसी और एससीएएपी फैलोशिप योजनाओं के तहत और एशिया एवं पैसिफिक (सीआईआरडीएपी) के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र के सहयोग से भी आयोजित किए जाते हैं। 2017-18 के दौरान, 27 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए और विकासशील देशों के 596 प्रतिभागियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रतिभागी मुख्य रूप से एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, घाना, नेपाल, म्यांमार, मॉरीशस, मलेशिया, सूडान, श्रीलंका, तंजानिया, यमन, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, वियतनाम, जिम्बाब्वे, आदि से थे । कार्यक्रमों और प्रतिभागियों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3: अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम: 2017-18

क्र.सं.	श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	आईटीईसी एवं स्कैप	19	410
2	सिर्डाप	4	74
3	अन्य	4	112
	कुल	**27**	**596**

क. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईटीईसी और स्कैप फैलोशिप कार्यक्रम

- ग्रामीण विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण
- सामुदायिक विकास में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
- ग्रामीण आवास और आवास परियोजनाओं की योजना और प्रबंधन
- ग्रामीण विकास में भू-संसूचना विज्ञान अनुप्रयोग
- सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन: मुख्यधारा और जोखिम में कमी की रणनीतियां
- सामुदायिक संचालित ग्रामीण विकास
- पेयजल और स्वच्छता परियोजनाओं की योजना और प्रबंधन

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए सुशासन पर
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के साथ चर्चा करते हुए डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी, महानिदेशक

- सतत ग्रामीण आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए सुशासन
- आपदा प्रबंधन में भूसंसूचना अनुप्रयोग
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन (2)
- ग्रामीण विकास के लिए सतत कृषि रणनीतियां
- ग्रामीण विकास के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी
- सहभागी ग्रामीण विकास
- विकास व्यावसायिको के लिए प्रशिक्षण क्रियाविधि
- गरीबी में कमी और सतत विकास के लिए सहभागी योजना
- गरीबी में कमी के लिए ग्रामीण ऋण
- ग्रामीण रोजगार परियोजनाओं और गरीबी उन्मूलन का प्रबंधन

ख. एमओआरडी-एनआईआरडीपीआर-सिर्डाप सहयोगी कार्यक्रम

- अपशिष्ट से धन - कृषि प्रसंस्करण से मूल्य वसूली
- ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन
- सामुदायिक स्तर पर उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण विकास
- विकेंद्रीकृत शासन और सेवाओं की सुपुर्दगी - सुशासन का मार्ग

ग. अन्य

- कृषि तंत्र : फसल क्षेत्र (एपीओ - सिर्डाप)
- सहकारिता और ग्रामीण विकास पर सीआईटीसीएबी कार्यक्रम (2)
- सतत विकास के लिए जल संसाधन प्रबंधन (आर्डो)

2.12 गत वर्षों से प्रशिक्षण कार्य निष्पादन

2013-14 से शुरू होने वाले पिछले चार वर्षों के दौरान प्रशिक्षण प्रदर्शन नीचे दिए गए आंकड़ों में चित्रित किया गया है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदर्शन में लगातार सुधार हुआ है। 2013-14 की तुलना में 2017-18 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में 41.41 प्रतिशत और प्रशिक्षुओं की संख्या में 58.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। पिछले वर्ष (2016-17) की तुलना में कार्यक्रमों और प्रशिक्षुओं की संख्या के मामले में 2017-18 के दौरान क्रमशः 9.22 और 5.29 प्रतिशत रहा हैं। मुख्य रूप से एमजीएनआरजीए, एनआरएलएम और डीडीयू जीकेवाई के प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण इस वृद्धि का कारण है ।

आलेख-3 : पिछले 5 वर्षो का प्रशिक्षण कार्य निष्पादन

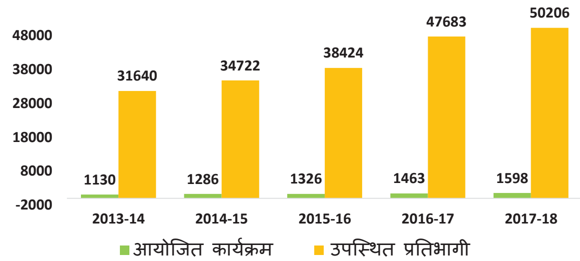

2.13 प्रशिक्षण कार्यनिष्पादन - स्कूल वार

संस्थान के विभिन्न स्कूलों/केन्द्रों का प्रशिक्षण प्रदर्शन निम्नलिखित चार्ट में इंगित किया गया है। यह देखा जाए कि ग्रामीण आजीविका स्कूल ने अन्य स्कूलों की तुलना में अधिक संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए । ये कार्यक्रम मुख्य रूप से मनरेगा से संबंधित हैं जो 2017-18 के दौरान संस्थान द्वारा आरंभ किए गए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का केंद्र था।

आलेख-4: स्कूल-वार प्रदर्शन

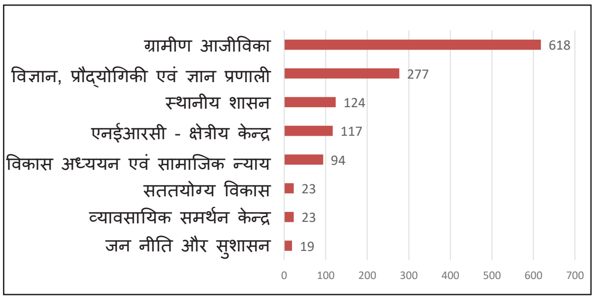

*डीडीयू-जीकेवाई (148) और एनआरएलएम (155) पर विशेष परियोजना कक्षों के तहत 303 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

2.14 प्रशिक्षण फीडबैक

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रदर्शन पांच अंकों के पैमाने पर ई-मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है जिसमें प्रशिक्षण डिजाइन, संदर्भ, प्रशिक्षण विधियॉं, प्रशिक्षण सामग्री, वक्ताओं की प्रभावशीलता, भोजन और आवास सुविधाएं, पुस्तकालय सुविधा इत्यादि जैसे घटकों को संदर्भित किया जाता है ताकि प्रशिक्षण

कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए कदम उठाए जा सके । 2017-18 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कुल औसत स्कोर 85 प्रतिशत था।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सीखने के पश्चात और उसके अनुप्रयोग का आकलन करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों के प्रभाव का निष्पक्ष मूल्यांकन तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद की सेवाओं को शामिल करके प्रभाव मूल्यांकन शुरू किया गया था। रिपोर्ट अंतिम चरण में है

2.15 नई पहल

2017-18 के दौरान, एनआईआरडीपीआर ने अनेक नई पहल आरंभ की है और कुछ महत्वपूर्ण पहल निम्नानुसार है :

क) मिशन अंत्योदय

मिशन अंत्योदय पर चर्चा के अनुवर्ती रूप में 6 सितंबर, 2017 को ग्रामीण विकास मंत्रालय में ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया, इन प्रयासों पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईसी के सहयोग से एनआईआरडीपीआर द्वारा 9सितम्बर, 2017 को आयोजित किया गया । 26 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और एनआईआरडीपीआर संकाय से 84 अधिकारियों ने भाग लिया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अन्य सरकारी और जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए चयनित सरकारी अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर के स्रोत व्यक्तियों के रूप में परिवर्तित करना था। प्रतिभागियों को मिशन अन्त्योदय, ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा की अवधारणा पर प्रशिक्षित किया गया तथा उन्हें डाटा संग्रहण और मानिटरिंग की प्रक्रिया और पद्धति से परिचित कराया गया । प्रतिभागियों को विशेष पहलुओं पर एप्स से भी परिचित किया गया और चयनित गांवों में अनुवर्ती कार्य के लिए कार्य योजनाएं विकसित की गई थीं।

एनआईआरडीपीआर में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभ सहित राज्यों ने मिशन अंत्योदया पैरामीटर पर डाटा संग्रहण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जिसके द्वारा लगभग 5000 पंचायतों को पंचायतों में समाजार्थिक और आधारभूत संरचना विकास के संदर्भ में 0 से 100 पैमाने पर स्थान दिया गया जिसने विभिन्न हितधारक को विशिष्ट अवधि में 100 का स्कोर प्राप्त करने में विभिन्न क्रियाकलाप आरंभ करने में दिशा दी थी ।

(ख) ग्रामीण विकास नेतृत्व पर प्रबंध विकास कार्यक्रम

एनआईआरडीपीआर ने संभावित जिला कलेक्टरों के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है । युवा ग्रामीण विकास नेताओं को जागरूक करने के लिए व्यापक भागीदारी के साथ इस प्रकार के कार्यक्रमों के दो बैचों का सफलतापूर्वक आयोजन किया । कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य प्रतिभागियों को जिलों में प्रचलित विभिन्न सामाजिक क्षेत्र मुद्दो का समाधान करते हुए अपने कैरियर के प्रारंभिक चरण में संभाविताओं को पहचानना था और प्रतिभागियों को एनआईआरडीपीआर तथा अन्य समान एजेंसियों जैसे सहायक संस्थानों के साथ उनकी जिला विशिष्ट समस्याओं का त्वरित समाधान करने से युक्त करना था । श्री पी. साईनाथ, ग्रामीण विकास पत्रकार, श्री कैलाश सत्यार्थी, नोबल पुरस्कार विजेता, श्री अमरजीत सिन्हा, सचिव, भारत सरकार कुछ मुख्य विचारक थे जिन्होंने भावी जिला ग्रामीण विकास प्रशासकों को मार्ग निर्देश कर उन्हें प्रेरित किया ।

(ग) निरंतर प्रशिक्षण और ई-सक्षमता द्वारा पंचायत राज संस्थानों के सुदृढीकरण से भारत के बदलते स्वरूप पर परियोजना '(टीआईएसपीआरआई)

पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन और संपर्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करने के लिए टीआईएसपीआरआई आरंभ किया गया था: परियोजना के महत्वपूर्ण घटक नीचे दिए गए हैं।

क. क्षेत्रीय विविधताओं के अनुरूप स्थानीय रूप से प्रासंगिक सामग्री सहित सीखने की सामग्री का मानकीकरण

ख. मास्टर ट्रेनर्स / स्रोत व्यक्तियों का प्रमाणन

ग. ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम के माध्यम से नए स्रोत व्यक्तियों का नामांकन / सक्षम करना

घ. निर्वाचित प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और पीआरआई प्रबंधन में रुचि रखने वाले अन्य लोगों के लिए सर्टिफिकेट / डिप्लोमा / मास्टर्स प्रोग्राम आरंभ करना

ड. पंचायत कार्यप्रणाली की ई-सक्षमता।

परियोजना के उपरोक्त घटकों के भाग के रूप में, कार्यशालाओं और परामर्शी बैठकों और प्रशिक्षकों और स्रोत व्यक्तियों के प्रशिक्षण का आयोजन वर्ष के दौरान मुख्यालय और एसआईआरडी में ऑफ-कैंपस कार्यक्रमों के दौरान किया गया था। प्रशिक्षकों और स्रोत व्यक्तियों का एक कैडर तैयार और प्रमाणित किया गया ।

घ) यूएन महिला परियोजना

यूएन महिला के सहयोग में जेंडर अध्ययन एवं विकास केन्द्र (सीजीएसडी) ने ''अवसरों से क्षमताओं तक : जेंडर प्रभावी शासन के लिए बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण'' यूएन महिला परियोजना आरंभ की । सभी राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी) के शीर्ष निकाय और ग्रामीण विकास के स्थान में ज्ञान के नेताओं में विशिष्ट रूप से स्थापित होने नाते, एनआईआरडीपीआर जेंडर जवाबी शासन (जीआरजी) के क्षेत्र में ज्ञान बढ़ाने और जीआरजी में प्रशिक्षण के माध्यम से मास्टर प्रशिक्षकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है । इस प्रकार, इस परियोजना ने ज्ञान सृजन, क्षमता विकास और परामर्शी/नेटवर्किंग की तीन-आयामी रणनीति को अपनाया । परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे:

1. जीआरजी पर ज्ञान आधार का विकास करना और उत्कृष्ट पद्धतियों का प्रलेखन करना ।
2. राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता विकास संरचनाओं और दृष्टिकोणों की समीक्षा करना ।
3. स्थानीय शासन की संस्थानों के माध्यम से जेंडर प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य हितधारकों के साथ परामर्श, सहयोग और संपर्क करना ।

वर्ष के दौरान सभी चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जीआरजी के मुद्दों को मुख्यधारा में लाने के लिए जीआरजी पर आंतरिक संकाय के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उसी प्रकार से एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के संकाय के लिए समान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया । एनआईआरडीपीआर और एसआईआरडीपीआर के संकाय की टीम ने हेग अकादमी, नेदरलैंड का प्रदर्शन दौरा भी किया है ।

ड.) व्यावहारिक परिवर्तन के लिए प्रशिक्षण: आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस कार्यक्रम

प्रशिक्षण प्रतिभागियों को उचित कौशल से युक्त करने तथा बेहतर परिणाम के लिए सही व्यवहार हेतु एनआईआरडीपीआर में ''आर्ट ऑफ लिविंग'' के तहत ''हैप्पीनेस कार्यक्रम'' आरंभ किया गया । प्रतिभागियों में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम एक प्रभावी उपकरण पाया गया । इस प्रयास से अब तक का अनुभव और प्रतिक्रिया बहुत उत्साहवर्धक रही है। वर्ष के दौरान, 34 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 886 प्रतिभागियों को हैप्पीनेस कार्यक्रम पर एओएल टीम द्वारा प्रशिक्षित किया गया।

च) ग्रामीण विकास (सीजीएआरडी) में भूसंसूचना अनुप्रयोग केन्द्र की स्थापना

एनआईआरडीपीआर में सी-गार्ड का लक्ष्य ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए भू-संसूचना विज्ञान अनुप्रयोगों को तैयार और विकसित करना है और विकास कार्यकर्ताओं में भू-संसूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी और उपकरणों संबंधी कौशल और ज्ञान के स्तर को विकसित करना है। सी-गार्ड भू-संसूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारित योजना, निगरानी, मॉडलिंग, वाटरशेड (पीएमकेएसवाई), एमजीएनआरईजीएस , पीएमजीएसवाई, कृषि विकास, पर्यावरण आकलन, संरक्षण प्रथाओं, संसाधन योजना, बुनियादी ढांचे का विकास, जीपीडीपी, मिशन अंत्योदया और ग्राम योजना के तहत समूह विकास के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने में लगा हुआ है ।

एनआईआरडीपीआर ने एनईआरसी, गुवाहाटी; एसपीआईपीए गुजरात; टीएसआईपीएड तेलंगाना; ओडब्ल्यूडीएम ओडीशा ; एसआईआरडी तमिलनाडु; एसआईआरडी केरल, में सी-गार्ड प्रौद्योगिकी केंद्र भी स्थापित किए हैं। सिर्डाप, ढाका, बंगलादेश में भी सी-गार्ड प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की गई । अफ्रीका में चार और सी-गार्ड प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जाने है । सभी राज्यों में एक मनरेगा एनआरएम के लिए 30 जीआईएस सुविधा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

भारत सरकार और अफ्रीकी संघ आयोग (एयू) ने भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आई ए एफ एस आई) में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास (सीजीएआर) प्रौद्योगिकी केंद्रों (5) में भू-संसूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना पर सहमति व्यक्त की है। मेडागास्कर लाभान्वित होने वाला पहला देश है । अफ्रीका में चार और सीगार्ड प्रौद्योगिकी केन्द्र आरंभ होने वाले है । मेडागास्कर में सी-गार्ड प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना कला, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्वेक्षण उपकरण और तकनीकी मानव श्रम के साथ की गई थी। 14 मार्च, 2018 को, भारत के राष्ट्रपति, माननीय राम नाथ कोविंद और मेडागास्कर के राष्ट्रपति, माननीय श्री हेरी राजोनारिमैम्पियाना ने संयुक्त रूप से मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में स्थापित सी-गार्ड प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्‌घाटन किया। भारत के राष्ट्रपति के साथ एक प्रतिनिधिमंडल गया जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे और चार सांसद श्री हुकुम देव नारायण यादव, श्री मनोज तिवारी, श्री आर राधा कृष्णन और श्रीमती विजला सत्यनाथ तथा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे ।

2.16 राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) के साथ नेटवर्किंग

ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण त्रिस्तरीय संस्थागत गठन है जो क्रमशः राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर एनआईआरडीपीआर, एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के साथ है। एनआईआरडीपीआर के पास एसआईआरडीपीआर और ईटीसी को सुदृढ करने का एक जनादेश है। इस प्रयास के तहत, एनआईआरडीपीआर नीचे बताई गई गतिविधियों और घटनाओं का आयोजन और समन्वय कर रहा है।

क. एसआईआरडीपीआर का राष्ट्रीय सम्मेलन

वर्ष 2017-18 के लिए ग्रा.वि. और पं.रा. के सचिवों और एसआईआरडीपीआर के प्रमुखों का राष्ट्रीय सम्मेलन 12-13 जनवरी, 2018 को एनआईआरडीपीआर में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य विकास कार्यक्रमों की प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं की शिनाख्त करना था ताकि गतिविधियों का कैलेंडर तैयार और योजनाबद्ध हो सके । इसका उद्देश्य राज्यों, एसआईआरडीपीआर और एनआईआरडीपीआर की श्रेष्ठ पद्धतियों सहित कार्यक्रमों और अनुभवों की समीक्षा और साझा करना था तथा बुनियादी ढांचे के विकास, संकाय आवश्यकताओं, विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग आदि के संदर्भ में संस्था निर्माण से संबंधित मुद्दों का स्टॉक लेना था। इसके अलावा, ग्रामीण विकास में बेहतर परिणामों के लिए प्रदर्शन आधारित भुगतान पर सुमित बोस समिति की सिफारिशों पर भी चर्चा की गई। आवश्यकता मूल्यांकन के भाग के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के कार्यक्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। इसका प्रयास वर्तमान परिदृश्य, परिवर्तन और प्राथमिकताओं के संदर्भ में संबंधित कार्यक्रमों के प्रभावी प्रबंधन की सुविधा के लिए एनआईआरडीपीआर, एसआईआरडीपीआर और ईटीसी की अपेक्षाओं का आकलन करना था।

महामहिम भारत के राष्ट्रपति और महामहिम मेडागास्कर के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रुप से सी-गार्ड प्रौद्योगिकी केंद्र, मेडागास्कर का उद्घाटन

12-13 जनवरी, 2018 को एनआईआरडीपीआर में एसआईआरडी की राष्ट्रीय सभा में मिशन अंत्योदय पर व्याख्यान देते हुए श्री. अमरजित सिन्हा, सचिव एमओआरडी

सम्मेलन का उद्घाटन श्री अमरजीत सिन्हा, सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने किया । श्री सुमित बोस, भारत के पूर्व वित्त सचिव और अध्यक्ष तथा श्री जे के महापात्रा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव, भारत सरकार विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यक्रम विभागों के संयुक्त सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना के राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी, एसआईआरडीपीआर के अध्यक्ष तथा संकाय सदस्य, एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्य, अधिकारियों और राज्य सम्पर्क अधिकारियों (एसएलओ) ने कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यकारी समूह चर्चाओं में एचआर नीति, वित्त पोषण, नेटवर्किंग और प्रशिक्षण कैलेंडर से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श और सिफारिशें की गई थीं।

ख. एनआईआरडीपीआर-राज्य संपर्क अधिकारी (एसएलओ) योजना:

यह योजना पिछले कुछ सालों से प्रचलित है। इस योजना के तहत, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कार्य अनुसंधान के क्षेत्रों में राज्य सरकारों, एसआईआरडी और ईटीसी तथा अन्य आरडी प्रशिक्षण संस्थानों को अकादमिक समर्थन प्रदान करने के लिए एनआईआरडीपीआर संकाय सदस्यों को राज्य सम्पर्क अधिकारी (एसएलओ) के रूप में नामित किया गया है।

ग. एसआईआरडीपीआर और ईटीसी का सुदृढीकरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय, 'आरडी कार्यक्रमों के प्रबंधन और जिला नियोजन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की केंद्रीय योजना के तहत गैर आवर्ती और पुनरावर्ती वस्तुओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कैंपस विकास कार्यों, शिक्षण सहायक उपकरण, कार्यालय उपकरण और फर्नीचर एवं मरमत सहित बुनियादी ढांचे के विकास के सुदृढीकरण हेतु गैर आवर्ती व्यय के लिए एमओआरडी द्वारा एसआईआरडीपीआर को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, एमओआरडी 'गैर-उत्तर-पूर्व राज्यों' में एसआईआरडीपीआर को आवर्ती व्यय का 50% और 'पूर्वोत्तर राज्यों' और तीन हिमालयी राज्यों (जे एंड के, एचपी और उत्तरखंड) में एसआईआरडीपीआर को आवर्ती व्यय का 80% भी प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, सभी एसआईआरडीपीआर को सात प्रमुख संकाय सदस्यों के वेतन पर व्यय की 100% प्रतिपूर्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर की जाती है।

ईटीसी के संबंध में, गैर-आवर्ती के लिए एमओआरडी @ 100% के अनुसार और आवर्ती व्यय के लिए प्रति वर्ष 20.00 लाख रुपये प्रति ईटीसी तक केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि आरडी और पीआर कार्यकर्ताओं और पीआरआई सदस्यों के क्षमता निर्माण के प्रशिक्षण भार को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके ।

स्कीम के तहत निधि समर्थन की मंजूरी पर विचार करने के लिए ग्रा.वि. मंत्रालय को प्रस्तावों की जांच करने और एसआईआरडीपीआर - ईटीसी की सिफारिशें के रुप में एसआईआरडी - ईटीसी के निधि समर्थन को चैनलबद्ध करने के लिए एनआईआरडीपीआर ने अनिवार्य किया है । प्रस्तावों की जांच के एक भाग के रूप में, संस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए प्रमुख कार्यक्रमों के विशेष संदर्भ के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान मौजूदा बुनियादी ढांचे, संकाय की स्थिति और प्रशिक्षण प्रदर्शन के संदर्भ में संस्थानों का मूल्यांकन करता है।

एमओआरडी ने अपने पत्र सं. एम-13015/01/2014-प्रशि. दिनांक 07-08-2017 द्वारा आवर्ती और अनावर्ती में संशोधन किया है जो 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी है । प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 'मॉडल लागत मानदंड' को भी दर्शाया है ।

घ. एसआईआरडीपीआर और ईटीसी का प्रशिक्षण प्रदर्शन

एनआईआरडी-एसआईआरडी-ईटीसी के 'नेटवर्क' ने ग्राहक समूहों के कवरेज और आयोजित कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि के संदर्भ में प्रशिक्षण गतिविधियों के विस्तार में वृद्धि की है। एमओआरडी द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम और अन्य केंद्रीय प्रायोजित विकास योजनाओं के आरंभ के साथ संस्थानों को राज्य विशिष्ट कार्यक्रमों के इन पहलुओं पर अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया था। 2017-18 के लिए एसआईआरडी और ईटीसी का प्रशिक्षण प्रदर्शन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

तालिका 4: एसआईआरडी और ईटीसी: प्रशिक्षण प्रदर्शन 2017-18

क्र.सं.	राज्य	कार्यक्रम	प्रतिभागीगण
1	आंध्र प्रदेश *	17588	879772
2	अरुणाचल प्रदेश	47	3283
3	असम*	1255	78378
4	बिहार	26	938
5	छत्तीसगढ	6791	364374
6	गोआ	211	7997
7	गुजरात*	598	52716
8	हरियाणा*	124	4122
9	हिमाचल प्रदेश	105	2712
10	जम्मू-कश्मीर (केवल जम्मू)	48	1567
11	झारखंड	227	7711
12	कर्नाटक *	196	289646
13	केरल	141	6864
14	मध्य प्रदेश	145	5216
15	महाराष्ट्र*	268	8765
16	मणिपुर	13	325
17	मेघालय	9	237
18	मिजोरम	105	4740
19	नागालैंड	63	2192
20	ओडिशा *	2663	78625
21	पंजाब *	453	20059
22	राजस्थान	84	14052
23	सिक्किम	209	17909
24	तमिलनाडु *	18335	1496149
25	तेलंगाना *	4004	276878
26	त्रिपुरा	105	3036
27	उत्तर प्रदेश	77	2839
28	उत्तराखंड	116	3799
29	पश्चिम बंगाल *	646	155662
		54652	**3790563**

* इनमें ईटीसी आउटरीच कार्यक्रमों और सैटकॉम मोड के माध्यम से पीआरआई कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

अध्याय-3 अनुसंधान और परामर्श

ग्रामीण विकास से संबंधित सभी मुद्दों को कवर करता है एनआईआरडीपीआर के प्रमुख क्रियाकलापों में से अनुसंधान एक है जो अनुसंधान क्रियाकलाप समय-समय पर उभरने वाले ग्रामीण विकास के मुद्दों को समझने और ग्रामीण विकास में अभ्यास द्वारा सीखने में हमें सक्षम बनाते हैं । अत:, एनआईआरडीपीआर के अनुसंधान, सफल ग्रामीण विकास हस्तक्षेपों और नीति विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के व्यापक विश्लेषण पर डाटाबेस तैयार करने में सक्षम बनाता है ।

3.1 उद्देश्य

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अनुसंधान अध्ययनों का आयोजन किया गया:

- ग्रामीण विकास फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर बल देते हुए बदलते ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को समझना ।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रमुख अवरोधों की शिनाख्त करना ।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सर्वांगीण कार्य निष्पादन में सुधार हेतु उपयुक्त नीति और कार्यक्रम हस्तक्षेपों का सुझाव देना ।
- अनुसंधान परिणामों के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करना ।
- ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में ज्ञान निकायी का सृजन करना ।

3.2 अनुसंधान विषय और प्रमुख क्षेत्र

वर्ष के दौरान आरंभ किए गए अनुसंधान के व्यापक विषय और फोकस क्षेत्र निम्नलिखित है

- ग्रामीण आजीविका
- ग्रामीण आधारभूत संरचना
- ग्रामीण ऋण
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
- सुशासन
- ग्रामीण विकास में भू-संसूचना और आईसीटी अनुप्रयोग
- गरीबी उन्मूलन
- मानव संसाधन
- ग्रामीण रोजगार और संबंधित मुद्दे
- भूमि सुधार और कृषि संबंध
- सामाजिक लेखा परीक्षा
- कौशल प्रशिक्षण और स्व-रोजगार
- विकास हस्तक्षेपों के माध्यम से जेंडर संबंध
- ग्रामीण प्रौद्योगिकी को बढावा देना
- स्थानीय स्व-शासित संस्थाएं और उसमें निहित प्रक्रियाएं
- समता और सामाजिक विकास मुद्दे
- कमजोर तबकों के लिए प्रावधान
- आपदा प्रबंधन

3.3 अनुसंधान की श्रेणियाँ

गुणात्मक और मात्रात्मक मुद्दों के समाधान को ध्यान में रखते हुए, एनआईआरडीपीआर के अनुसंधान अध्ययनों को पांच व्यापक श्रेणियों द्वारा आरंभ किया गया और वे है :

i. अनुसंधान परियोजनाएं / अध्ययन
ii. मामला अध्ययन
iii. सहयोगी अध्ययन
iv. कार्य अनुसंधान और ग्राम अभिग्रहण
v. परामर्शी अनुसंधान एवं परियोजनाएं

संकाय सदस्यों के एक समूह द्वारा सूक्ष्म-स्तरीय मुद्दों पर अनुसंधान परियोजनाएं / अध्ययन आरंभ किए गए । मामला अध्ययन मुख्यत: सफल ग्रामीण विकास पद्धतियों पर केंद्रित हैं जिसमें उनके विशिष्ट प्रशिक्षण मूल्य और पुनरावृत्ति की सम्भावनाएं भी है । सहयोगी अध्ययनों को विशेष रूप से एसआईआरडीपीआर / ईटीसी, एएससीआई, आईआरएमए जैसे राष्ट्रीय संस्थानों के संकाय सदस्यों और एनजीओ द्वारा आरंभ किया गया हैं । कार्य अनुसंधान और ग्राम अभिग्रहण अनुसंधानकर्ताओं को ग्रामीण विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के साथ-साथ जमीनी समस्याओं और संभावनाओं के करीब ले गया हैं । कार्य अनुसंधान, ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के मुद्दों को समझने के लिए अनुसंधानकर्ताओं के ज्ञान आधार को समृद्ध करने का प्रयास करता है । इसे संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययनों की नीति सिफारिशों के परिणामों का आकलन करने और कार्यान्वयनात्मकता की जांच करने के लिए किया गया है ।

अनुसंधान और कार्य अनुसंधान के आधार पर संस्थान द्वारा अनुशंसित मॉडल और कार्यान्वयन तंत्र के अनुप्रयोग का प्रदर्शन करने के लिए, 2012-13 के दौरान ग्राम अभिग्रहण योजना आरंभ की गई । इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए संकाय सदस्यों की क्षमताओं को बढ़ाना भी है । ग्राम अभिग्रहण अध्ययन के माध्यम से विशेष रूप

से आरंभ कि गई कार्य अनुसंधान पहल, मुख्य रूप से सामाजिक गतिशीलता को समझना, सामूहिक कार्रवाई के लिए समुदाय को संगठित करना, विकास प्रशासन और गांवों के बीच अंतर को कम करना और सतत विकास को सुविधाजनक बनाने के मुद्दों पर ध्यान देता है ।

संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता और संस्थान द्वारा प्राप्त व्यापक ध्यान की वजह से केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय, कॉर्पोरेट क्षेत्र संगठन अक्सर विशिष्ट उद्देश्य - उन्मुख अनुसंधान अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन आदि करने के लिए एनआईआरडीपीआर से संपर्क करते हैं । इन अध्ययनों को परामर्शी अध्ययन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

3.4 अनुसंधान साधन एवं तकनीक

नमूना सर्वेक्षण, संरचनात्मक साक्षात्कार, मामला अध्ययन, पीआरए तकनीक, विषय विश्लेषण, गुणात्मक मूल्यांकन और प्रभाव विश्लेषण को मिलाकर सहभागी अध्ययन दृष्टिकोण कुछ अनुसंधान साधन एवं तकनीक है जिन्हें अनुसंधान अध्ययन के लिए अपनाया गया है ।

3.5 अनुसंधान प्रस्तावों के अनुमोदन की प्रक्रिया

शिनाख्त किए गए विभिन्न विषयों पर अनुसंधान अध्ययन आरंभ करते समय व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया गया है । प्रारंभिक चरण में, केंद्रीय स्तर के संकाय सदस्य, संबंधित केंद्र के अध्यक्षों के मार्गदर्शन से परामर्श में सम्मिलित होते हैं । इस प्रकार तैयार अनुसंधान प्रस्तावों को व्यापक चर्चा और सुझाव के लिए अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । समूह के समक्ष प्रस्तुतीकरण के पश्चात् प्रस्तावों को टिप्पणियों और सुझावों के लिए बाह्य और आंतरिक विशेषज्ञों की अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) के समक्ष प्रस्तुत करते हुए एतदद्वारा इन प्रस्तावों में सुधार किया जाता है । संशोधित अनुसंधान प्रस्तावों पर फिर आरएसी की औपचारिक बैठक में चर्चा की जाती है और सुझावों पर ध्यान देने के बाद, इसे मंज़ूरी के लिए महानिदेशक को प्रेषित किया जाता है । एसआईआरडीपीआर / ईटीसी / सहभागी संस्थानों के अध्ययन की श्रेणी के अंतर्गत अनुसंधान अध्ययनों के संबंध में, प्रस्तावों को वरिष्ठ संकाय सदस्यों सहित विषय विशेषज्ञों की आंतरिक समिति के समक्ष उनकी टिप्पणी एवं अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया जाता है । अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए सुझावों के समावेशन के बाद प्रस्तावों को महानिदेशक के अनुमोदन हेतु भेजा जाता है ।

3.6 गुणवत्ता नियंत्रण उपाय

अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय भी किए गए हैं । अध्ययन की समाप्ति के बाद संबंधित मसौदा रिपोर्ट को व्यापक परिचर्चा के लिए अध्ययन मंच में प्रस्तुत किया जाता है । सुझावों के आधार पर, अनुसंधान रिपोर्ट के अंतिम निष्कर्ष बनाए जाते है । प्रकाशन के समय, अनुसंधान रिपोर्टों को बाहरी विषय विशेषज्ञों की टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किया जाता है ताकि गुणवत्तापरक अनुसंधान निष्कर्षों को सुनिश्चित किया जा सके ।

3.7 2017-18 के दौरान आयोजित अनुसंधान अध्ययन

वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अर्थात, अनुसंधान अध्ययन, मामला अध्ययन तथा सहयोगी अध्ययन के कुल मिलाकर 164 अनुसंधान अध्ययन संपन्न हुए । इनमें से 77 अनुसंधान अध्ययनों को वर्ष के दौरान प्रारंभ किया गया । इनमें एसआईआरडी, ईटीसी और राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से किए गए 43 अध्ययन भी शामिल है । इनमें से 32 पंचायती राज मंत्रालय की निरंतर प्रशिक्षण और ई-सक्षम परियोजना द्वारा पीआरआई को मजबूत करते हुए भारत को बदलना के तहत मामला अध्ययन रहे हैं । अध्ययनों के विवरण परिशिष्ट-II में दिए गए हैं ।

वर्ष 2017-18 के दौरान, 46 अनुसंधान अध्ययन संपूरित किए गए इसके विवरणों को परिशिष्ट-III में दिया गया है । इन अध्ययनों को असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडीशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में किया गया।

चूंकि अनुसंधान अध्ययन की अवधि वित्तीय वर्ष के दौरान होती है, इसलिए संदर्भ अवधि के दौरान संपूरित अध्ययनों में पिछले वर्ष के दौरान आरंभ किए गए अध्ययनों के साथ-साथ वर्तमान वर्ष में आरंभ किए गए अध्ययनों को भी सम्मिलित किया गया हैं । समय-सीमा के अनुसार, 47 अध्ययन अभी भी चल रहे हैं और विवरण अनुलग्नक-IV में प्रस्तुत किए गए हैं । आरंभ किए गए श्रेणीवार अनुसंधान अध्ययनों को चित्र 1 में दर्शाया गया है

चित्र -1: वर्ष 2017-18 के दौरान आरंभ किए गए अनुसंधान अध्ययनों की श्रेणियां

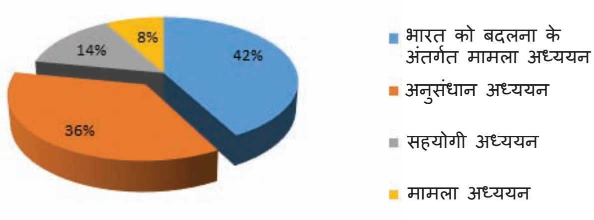

3.8 संपूरित अध्ययनों की प्रमुख विशेषताएं / महत्वपूर्ण जानकरी

3.8.1 आजीविका अध्ययन

- अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग और थेम्बांग परिधि में बागवानी क्षेत्र की सफलता के लिए जिम्मेदार कारकों को समझने के लिए एक अध्ययन

आयोजित किया गया । इस अध्ययन ने बागवानी क्षेत्र में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक सफल मॉडल के रूप में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अन्य भागों में आजीविका पैदा करने में क्षेत्र की सफलता का अनुकरण करने की संभावनाओं का भी विश्लेषण किया है । अध्ययन से पता चला है कि बोड़ुंबा के बागानों और नर्सरी में बागवानी क्रियाकलापों ने दिरांग और थेम्बांग परिधि में युवाओं के लिए आजीविका पैदा की है । बोडुम्बा द्वारा अर्जित आय के लगभग 38 प्रतिशत हिस्से को नामतुंग और जिमतुंग के बागानों और नर्सरी में नियुक्त युवाओं के लिए वेतन का भुगतान करने में खर्च किया जाता है । बोड़ुंबा की सफलता ने दिरांग और थेम्बांग में सेब और कीवी की खेती को प्रारंभ करने और शीतोष्ण फल फसलों को उगाने और प्रचार करने हेतु नर्सरी बनाने के लिए कई कृषि परिवारों को प्रेरित किया है । नामतुंग के अधिकांश किसानों के शीतोष्ण फलों की फसलों के प्रचार तरीकों जैसे ग्राफ्टिंग, बड्डिंग, कीवी बीज, पारंपरिक सेब के बीज, अखरोट के बीज का उत्पादन, खाई लेयरिंग आदि पर अपने ज्ञान के साथ, छोटे किन्तु सफल नर्सरी स्थापित की है इस प्रकार उनकी घरेलू आय में वृद्धि हुई है ।

• त्रिपुरा के ढलाई जिले में एमजीएनआरईजीएस के तहत कमजोर समूहों (दिव्यांग व्यक्तियों) के आजीविका विश्लेषण पर आयोजित अध्ययन से पता चलता है कि इस योजना में उनकी भागीदारी का निम्न स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है जो एक सकारात्मक तस्वीर दर्शाता है । इस योजना में रोजगार ने उन्हें वित्तीय रूप से सुरक्षित, जागरूक, उन्हें विभिन्न अधिकारियों से बातचीत करने और मजदूरी दर तय करने, विभिन्न स्थानीय स्तर के संस्थानों में भाग लेने और विचार साझा करने में सक्षम बना दिया है, जिसने बदले में उनकी आत्म-गरिमा को समृद्ध किया है और उनके बारे में परिवार एवं समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण को कम किया है । कुछ अंतरालों जैसे व्यक्तिगत देखभाल, शिशुओं तथा बच्चों की देखभाल, गैर दिव्यांग कर्मचारियों के नकारात्मक दृष्टिकोण के प्रति एमजीएनआरजीएस अधिकारियों और संबंधित सेवा प्रदाताओं को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि बेहतर भागीदारी सुनिश्चित हो सके और ग्रामीणों एवं कमजोर गरीबों को अधिक कार्य दिवस प्रदान करने में राज्य की सफलता जारी रह सके ।

त्रिपुरा में दिव्यांग एनआरईजीए कार्यकर्ता

• आन्ध्र प्रदेश के चेन्चुओं में आजीविका हस्तक्षेपों के एक मामला अध्ययन से पता चला कि कमजोर समूहों के अधिकांश लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं । ये समूह वन और प्राकृतिक संसाधनों पर पूरी तरह से निर्भर हैं, और ऐसे संसाधन कम हो जाने के कारण उन्हें गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है । इसलिए बकरी पालन हस्तक्षेप से उन्हें अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिली है ।

• पत्थर उत्खनन श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर अंतर-राज्य पलायन के प्रभाव और तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक 5 जिलों में उनकी बेहतर आजीविका की योजना बनाने के लिए एक शोध अध्ययन आयोजित किया गया । अध्ययन से पता चला कि इन क्रियाकलापों में लगे अधिकांश लोग कम आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के थे । अपर्याप्त कौशल और व्यय की उच्च खपत पर्याप्त वसूली उत्पन्न नहीं करता है । अत:, मौजूदा श्रम कानूनों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए एक व्यापक कानूनी तंत्र और प्रभावी पहलों को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है ।

• कृषि आधारित सतत आजीविका पद्धतियों को समझने के लिए झारखंड और कर्नाटक में एक अध्ययन किया गया । इस अध्ययन ने क्षमता निर्माण गतिविधियों, कौशल आधारित पद्धतियों, मिट्टी जल, स्वास्थ्य सुधार पर सुझाव दिया है ।

समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से आजीविका बढोत्तरी पर 6 राज्यों - महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, बिहार और ओडिशा में एक और अध्ययन आयोजित किया गया । इस अध्ययन ने व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों की स्थिति को सुधार के लिए नीतियों को सुधारने की आवश्यकता का सुझाव दिया है । उन्होंने डिजिटल लेनदेन प्रक्रिया की दिशा में एसएचजी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को भी व्यक्त किया है ।

• केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहिष्करण त्रुटियों और कुलीन कब्जे पर एसएचजी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन अध्ययन के तहत क्षेत्र में छोड़े गए अत्यंत गरीबों के विस्तार को पहचानने के लिए

किया गया, ताकि एसएचजी के लोकतांत्रिक कार्यकलाप एवं अधिकार की स्थिति में गरीब किस हद तक हैं इसका पता लगाया जा सके । अध्ययन से पता चलता है कि नेतृत्व स्थिति का ग्रहण हमेशा स्वैच्छिक विकल्प या अधिकार बनाए रखने के लिए एक सूचित निर्णय भी नहीं हो सकता है । कैप्चर की प्रकृति सीबीओ में पावर कैप्चर की गतिशीलता में एक दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो आर्थिक संसाधनों के संदर्भ में समरूप समूहों से बना है ।

- असम के ग्रामीण क्षेत्रों से महिला सूक्ष्म उद्यमियों पर आयोजित मामला अध्ययन में यह देखा गया है कि अधिकांश ग्रामीण महिला उद्यमियों ने सफलतापूर्वक अपनी उद्यमशील इकाइयों की स्थापना की है। प्रशिक्षण और पूंजी तक पहुंच के संदर्भ में सरकारी संस्थानों और संगठनों से प्राप्त समर्थन से उन्हें अपने व्यापार को मजबूत करने में मदद की है ।

ग्रामीण महिला उद्यमियों को खुद का ब्रांड तैयार करने और अपने उत्पादों की लिए पहचान बनाने में मदद करने में समर्थन की अत्यंत आवश्यकता है । मार्केटिंग आउटलेट और ई-पोर्टल बनाने की आवश्यकता है । ग्रामीण महिला उद्यमियों को अच्छे बाजार संबंधों के साथ जोडा जाना चाहिए, जहां से वे नियमित आर्डर प्राप्त कर सकते हैं; कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अक्सर आयोजित करना और उन्हें अधिकतर औद्योगिक मेलों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना हैं ।

महिला उद्यमी -वेस्ट पिरंगा, बोको, कामरूप, असम

- मणिपुर के स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) के तहत एकीकृत योजना पर एक मामला अध्ययन आयोजित किया गया । मणिपुर के 'पहाडी क्षेत्रों' में रहने वाले आदिवासियों के लिए चुराचंदपुर के एडीसी स्थापित किया गया । अध्ययन में पाया गया कि छठी अनुसूची के तहत एडीसी के विपरीत, मणिपुर के पहाडी क्षेत्र एडीसी में विधायी और न्यायिक शक्तियां नहीं हैं । अधिनियम और संशोधन के अनुसार कई अधिकारों और कार्यों को स्थानांतरित कर दिया गया है लेकिन कई शंकाओं के साथ स्थानांतरित किया गया है । वे भिन्न तरीके से काम कर रहे हैं । यहां पर सत्ता और राजनीतिक हित और आकांक्षा का संघर्ष है । परिषद की प्रशासनिक और कार्यकारी संरचना बहुत कमजोर और अलग प्रकार का है । राज्य विभागों द्वारा परिषद को आने वाले फंड योजना आधारित या आकस्मिक तरीके का हैं । उनके पास विकसित कार्यों से संबंधित फंड को स्थानांतरित करने के लिए कोई उचित तंत्र नहीं है । परिषद में वित्तीय प्रबंधन भी बहुत खराब है । राज्य नियोजन के साथ एकीकरण न्यूनतम है । एडीसी के निर्माण के पूरे मुद्दे, उनके लिए अधिकार का हस्तांतरण और जहां एडीसी बनाए गए हैं उन क्षेत्रों में राज्य सरकार की भूमिका को फिर से देखने की तत्काल आवश्यकता है । मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्र एडीसी के लिए संविधान की छठी अनुसूची के विस्तार की मांग है ।

एडीसी स्थानीय गतिविधि केंद्र, मणिपुर

- ग्राम पंचायत संगठन विकास परियोजना की पद्धति पर कर्नाटक के डिब्बरल्ली और चिक्कबल्लापुर में एक मॉडल ग्राम पंचायत विकसित करने पर एक मामला अध्ययन किया गया जिसमें पंचायतों की वित्तीय प्रबंधन क्षमता में सुधार की जरूरत और पंचायत को एक मजबूत संगठन बनाने के लिए उस पर ध्यान देने की आवश्यकता को प्रस्तुत किया गया ।

- पश्चिम सिक्किम के गेरेथांग ग्राम पंचायत और दक्षिण सिक्किम जिले के मेल्ली दारा नामक सफल पंचायतों में विकेंद्रीकृत सुशासन के क्षेत्र में उनकी सफलता में योगदान देने वाले कारकों को समझने के लिए मामला अध्ययन आयोजित किया गया ।

गेरेथांग जीपीयू, सिक्किम द्वारा प्राप्त पुरस्कार

- नागालैंड में शासन, ग्रामीण विकास और लोक सेवाओं के समुदायकरण पर आयोजित एक मामला अध्ययन ने नागा समाज में विद्यमान उच्च सामुदायिक भावना

व्यक्त की है । विविधता, विशिष्टता और नागा लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्र भारत में उन्हें शासन की औपचारिक और संहिताबद्ध प्रणाली में लाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं । एकीकरण के सिद्धांत पर कार्य करते हुए, सरकारों की कई निर्देश-निर्मित व्यवस्था नागालैंड राज्य में की गई है । जैसे कि अनुच्छेद 371 ए का विस्तार नागालैंड राज्य को परंपरागत पद्धतियों और नागा समुदाय के कानूनों के अनुसार कार्य करने के लिए सशक्त बनाता है । सामुदायिक भावना के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए राज्य में 'ग्राम परिषद', ग्राम विकास बोर्ड और सार्वजनिक संस्थान और सेवाओं का समुदायीकरण जैसे कई सांविधिक संस्थान बनाए गए । इन संस्थानों को सांविधिक शक्तियों के साथ-साथ परंपरागत पद्धतियों भी की गयी है । जहां तक इन संस्थानों के कामकाज का सवाल है बहुत कुछ करना है जैसे संरचना और कार्य में समानता, पंचायती राज संस्थानों के लिए वित्त पोषण, अधिक महिला भागीदारी, रिकॉर्ड रखने और सीएजी लेखापरीक्षा ।

तेसमीनिया ग्राम परिषद, नागालैंड

- जिला नियोजन समितियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, उनकी शक्तियां और कार्य को समझने के लिए 4 राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और असम में अध्ययन आयोजित किए गए । अध्ययन में सुझाव दिया गया कि डीपीसी की संरचना में पीआरआई के सभी स्तरों से सदस्य, जीपी सरपंचों से प्रतिनिधित्व के साथ-साथ ब्लॉक पंचायतों के सदस्य जो वर्तमान परिदृश्य में गायब थे उनको भी शामिल करना चाहिए ।

- ग्रामीण सड़कों पर भू-डेटाबेस के सृजन पर एक अध्ययन आयोजित किया गया जिसमें भू-स्थानिक तकनीक के साथ उसके तीनों घटकों का उपयोग भू-डेटाबेस उत्पन्न करने के लिए किया गया था जिससे असम के कामरूप ग्रामीण जिले में रानी ब्लॉक के तहत दक्षिण भोलागांव पंचायत के अध्ययन क्षेत्र से अधिक एकत्रित जानकारी संग्रहीत करने में मदद मिली है । इस अध्ययन ने शोधकर्ताओं को ग्रामीण सड़कों पर भौगोलिक डेटाबेस विकसित करने का विचार प्रस्तुत किया है और वे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को अपना अनुभव साझा करना शुरू कर सकते हैं ।

- डिजिटल समावेशन को समझने और ग्रामीण तथा शहरी आबादी के बीच डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए गुजरात की ई-ग्राम विश्वग्राम परियोजना पर एक मामला अध्ययन आयोजित किया गया । अध्ययन से पता चला है कि तकनीकी हस्तक्षेप ग्रामीण इलाकों के विकास में बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकते है, विशेष रूप से सेवाओं के वितरण में और सभी नागरिकों तक प्रशासन और शासन को ले जाना, जो ग्रामीण गरीबों और जरूरतमंदों के जीवन को आसान बनाता है । पीपीपी के दृष्टिकोण ने बड़ी सफलता प्राप्त की है और सफलता की कुंजी लोगों को सशक्त बनाना और उन्हें परियोजना का हिस्सा बनाना रहा है ।

- 3 राज्यों जैसे (कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान) में आईसीडीएस के निष्पादन और नागरिक रिपोर्ट कार्ड दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन को प्रत्येक राज्य के पांच जीपी में आयोजित किया गया । अध्ययन से पता चला है कि अध्ययन क्षेत्र में आईसीडीएस कार्यक्रम अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है । दी गई सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा पर्याप्त है । अधिकांश उपयोगकर्ता प्राप्त सेवाओं से खुश हैं । आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए खुश हैं और उन्होंने उपयोगकर्ताओं, साथियों एवं वरिष्ठों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने की सूचना दी है । सेवा वितरण के साथ संतुष्टि स्तर उत्साहजनक हैं । कुछ बदलावों के साथ इस कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाया जा सकता है और निर्दिष्ट उद्देश्यों को बिना किसी कठिनाई के

आईसीडीएस लाभार्थी के साथ साक्षात्कार

हासिल किया जा सकता है । सेवा में सुधार करने और इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए उठाये जा सकने वाले कुछ कदम हैं - चूंकि निर्दिष्ट सेवाओं का बहुत कम लाभ उठाया जाता है, आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत विस्तारित इस सेवा का लाभ उठाने के लिए उपलब्धता और प्रक्रिया के बारे में उपयोगकर्ताओं में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जाने चाहिए । आंगनवाडी केन्द्रों की अनिवार्य बुनियादी जरूरतों जैसे बिजली, पानी और शौचालय सुविधाओं को पूरा करना होगा ।

3.8.2 मनरेगा

श्रम बजट और मानव संसाधन

• जीपीडीपी और श्रम बजट (एलबी) पर एनआईआरडीपीआर का मूल्यांकन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एलबी और जीपीडीपी को एकीकृत करने की आवश्यकता को सूचित करता है । एलबी तैयार करने में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

• विभिन्न राज्यों में राज्य न्यूनतम मजदूरी से एमजीएनआरईजी मजदूरी कम प्रतीत होती है । एमजीएनआरजीएस मजदूरी और राज्य न्यूनतम मजदूरी से संबंधित मुद्दों पर विचार करने की सिफारिश की जाती है ।

• एमजीएनआरईजीएस के लिए काम कर रहे अधिकांश श्रमिक ठेके के आधार पर कार्यरत हैं । ग्राम रोजगार सेवक और अन्य एमजीएनआरजीए कर्मचारियों पर योजनाओं में कई कार्यों के प्रबंधन का अधिक बोझ है । श्री सुमित बोस की अध्यक्षता में निष्पादन आधारित भुगतान पर समिति की सिफारिशों के अनुरूप एचआर मुद्दे का तत्काल समाधान किया जाना है ।

3.8.3 संपत्ति निर्माण

• अध्ययनों में व्यक्तिगत संपत्तियों (श्रेणी बी) में उच्च वृद्धि देखी गई।

• यह देखा गया कि लगभग 58 प्रतिशत निर्मित संपत्ति लंबे समय तक स्थिर रही है और लगभग 23 प्रतिशत संपत्ति बहुत कम समय में घट गई है और केवल सीमित अवधि के लिए लाभ प्रदान करने में सक्षम रही है ।

• एक और अध्ययन में कहा गया है कि मनरेगा के तहत संपत्ति निर्माण के परिणामस्वरूप उत्पादकता में सुधार हुआ है और लाभार्थियों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है । जीवन की स्थितियों में सुधार सहित सामाजिक लाभ सामाजिक स्थिति में बदलाव लाई है, सकारात्मक जेंडर संबंध और सकारात्मक आर्थिक प्रभाव यह आश्वासन देता है कि व्यक्तिगत संपत्ति निर्माण तेलंगाना के छोटे धारकों के लिए फायदेमंद रहा है ।

• तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्य में मनरेगा के तहत व्यक्तिगत परिसंपत्ति निर्माण पर किए गए शोध से पता चलता है कि मनरेगा के तहत व्यक्तिगत संपत्तियों के संवर्धन के कारण खेती एक व्यवसाय के रूप में की जा रही है । अध्ययन में पाया गया कि मनरेगा के तहत व्यक्तिगत संपत्तियों के निर्माण के कारण कृषि परिवारों के आय स्तर में काफी वृद्धि हुई है । हालांकि, योजना चरण के दौरान ही मनरेगा के तहत अभिसरण को संस्थागत करने की आवश्यकता है । कृषि भूमि में संपत्ति निर्माण करने से पहले किसानों में जागरूकता निर्माण और संपत्ति का आर्थिक मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है ।

• लाभार्थियों द्वारा लागत हिस्सेदारी शुरू करने की संभावना पर आगे शोध करने की आवश्यकता है, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) या प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) जैसी अन्य योजनाओं के समान होने चाहिए ।

3.8.4 महिला और सामाजिक लेखा परीक्षा

• एमजीएनआरईजीएस में काम करने वाली महिलाओं में विशेष रूप से भोजन, पोषण, शिक्षा और कृषि उत्पादन के संबंध में उच्च स्तर पर निर्णय लेने की संभावना अधिक है । एनआरएलएम कार्यक्रमों के साथ अभिसरण को महिला सशक्तिकरण के लिए रणनीति के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

• दूसरे अध्ययन में महिलाओं की स्थिति पर मनरेगा का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया है । मनरेगा द्वारा प्रदान की गई आय का व्यक्तिगत स्रोत धीरे-धीरे महिलाओं के बीच आत्मविश्वास बढ़ाता है । यह भी पाया गया कि लोग मनरेगा द्वारा निर्मित नहरों और वर्षा जल संचयन संरचनाओं के माध्यम से अपनी आजीविका में सुधार करने में सक्षम हुए है ।

महिला मनरेगा कर्मचारी

• अभी भी लाभार्थियों में सामाजिक लेखा परीक्षा पर कम जागरूकता और सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कुशल व्यक्ति की अपर्याप्तता पाई जाती है । सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने वाले स्वयंसेवकों में उन्नत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आवश्यक है ।

3.8.5 अभिसरण

• एमजीएनआरईजीए के तहत अभिसरण पहलों पर शोध से पता चला है कि इन पहलुओं ने लाभार्थियों को कृषि तालाबों और अन्य जल निकायों के माध्यम से सिंचाई तक आसानी से पहुंच प्रदान की है । अभिसरण

पहलों ने आजीविका के अवसरों को विस्तारित करने और लाभार्थी परिवारों की आय में वृद्धि करने में मदद की है । परिणामस्वरूप, आय और खपत के स्तर में सुधार हुआ है जिससे आवास की स्थिति, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता आदि के संबंध में जीवन की बेहतर गुणवत्ता बढ़ी है ।

• एक अध्ययन में बताया गया है कि एमजीएनआरईजीएस-अभिसरण परियोजनाओं में भाग लेने वाली महिला श्रमिकों का प्रतिशत मैदानी जिलों की तुलना में पहाड़ी जिलों में बहुत अधिक है और अभिसरण गतिविधियों में काम कर रहे अधिकांश परिवार गरीबी रेखा से नीचे पाए गए ।

3.8.6 संयुक्त राष्ट्र महिला परियोजना

"अवसरों से क्षमताओं तक: जेंडर उत्तरदायी शासन के लिए एक बहु क्षेत्रीय दृष्टिकोण" पर संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से संस्थान द्वारा एक परियोजना प्रारंभ की गई । सभी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) के एक शीर्ष निकाय और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जानकारी नेता के विशिष्ट रूप से स्थापित किए जाने पर एनआईआरडीपीआर जेंडर उत्तरदायी शासन (जीआरजी) के क्षेत्र में ज्ञान को बढाने और जीआरजी में प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है । परियोजना ने ज्ञान निर्माण, क्षमता विकास और परामर्श / नेटवर्किंग की तीन प्रवृत्त रणनीति अपनाई है । परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :

i) जीआरजी और प्रलेखन के बेहतर अभ्यासों पर ज्ञान आधार विकसित करना

ii) राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता विकास ढांचा और दृष्टिकोण की समीक्षा करना

iii) स्थानीय शासन के संस्थानों के माध्यम से जेंडर उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श, समन्वय और संपर्क करना

जानकारी निर्माण और अनुसंधान

संस्थान ने विभिन्न विषयों और जानकारी निर्माण के प्रकारों की पहचान की जो नीति और परामर्श के साथ-साथ जेंडर उत्तरदायी शासन पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगी।

क) ई-भंडार

मौजूदा साहित्य (रिपोर्ट, नियमावली, जर्नल लेख, ज्ञान स्रोत और संस्थान (शैक्षणिक / कार्यकर्ता, सरकारी / गैर-सरकारी / एन जी ओ) की पहचान और दस्तावेज़ीकरण करना सबसे पहला काम रहा है जो जेंडर और शासन के मुद्दों का समाधान करता है । इससे जीआरजी पर ई-भंडार के विकास को मार्ग मिला है जो भारतीय संदर्भ में जीआरजी से संबंधित मौजूदा ज्ञान सामग्री, संस्थानों, व्यक्तियों और आंकड़ों का एक ऑनलाइन संग्रह है । इस ऑनलाइन संग्रह को एनआईआरडीपीआर वेबसाइट पर बनाया और आरंभ किया गया है ।

ई-भंडार एक गतिशील संग्रह है जिसे समय-समय पर लोगों के योगदान द्वारा अपडेट किया जाएगा। भंडार एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन डोमेन है जिसका उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में जीआरजी पर सामग्री, संदर्भ और डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है । यह भारत में अपनी तरह की एक अनूठी पहल है ।

ख) जेंडर अनुकूल पंचायत

संयुक्त राष्ट्र महिलाएं द्वारा जेंडर अनुकूल पंचायत के लिए एजेंडा प्रस्तावित किया गया था जो पंचायत स्तर पर जेंडर मुद्दों को मुख्यधारा से जोडने में मदद करेगा । परियोजना के तहत, सीजीएसडी जेंडर-अनुकूल पंचायतों को लागू करने के लिए एक वैचारिक ढांचा, सर्वोत्तम अभ्यास अध्ययन और एक परिचालन दिशानिर्देश विकसित कर रहा है । जेंडर अनुकूल पंचायतों के व्यापक रूप और संकेतक क्या होंगे इस पर संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के परामर्श से वैचारिक दस्तावेज विकसित किया गया था ।

ग) मामला अध्ययनों का सार-संग्रह

भारत के 4 राज्यों : केरल, बिहार, उत्तराखंड और असम जहॉं महिला नेतृत्व वाले विभिन्न पंचायत (जहां पंचायत अध्यक्ष महिलाएँ होती है) कार्यरत है उनके क्षेत्र स्तरीय अध्ययनों के माध्यम से मामला अध्ययन को प्रमाणीकृत किया गया था । राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे साझेदार एसआईआरडी राज्यों में भी अध्ययन आयोजित किए गए । उत्तर, पूर्व और दक्षिण में फैले राज्यों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में अत्यधिक विविधताएं दिखाई देती है और इस तरह पंचायतों में जेंडर अनुकूल प्रक्रियाओं और परिणामों से संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं । साथ में वे सर्वोत्तम पध्दतियों की एक समृद्ध कथा

प्रस्तुत करते हैं जो न केवल सफलता की कहानियां हैं बल्कि जेंडर उत्तरदायी तंत्र और प्रक्रियाओं को बनाने या मजबूत करने के इतिहास के सारांश भी हैं ।

घ) जेंडर-अनुकूल पंचायत (जीएफपी) के लिए परिचालन ढांचा

परिचालन ढॉचे पर हुए अनुसंधान ने पीआरआई के मौजूदा तंत्र के माध्यम से जमीन पर जीएफपी की वास्तविक कार्यान्वयन पद्धति की खोज की है । परिचालन ढांचा एक व्यापक उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न हितधारकों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूदा संरचनाओं और योजनाओं में जेंडर को मुख्यधारा से कैसे जोडा जा सकता है, को समझने के लिए किया जा सकता है । यह जीएफपी की नीति को प्रशासन के मौजूदा ढांचे के भीतर पहचाने जाने योग्य कार्यों और इनपुट में अनुवाद करता है ।

इस शोध से तीन प्रकाशन प्राप्त हुए हैं:

1. जेंडर अनुकूल पंचायतों पर कार्यकारी प्रपत्र
2. जेंडर अनुकूल पंचायतों पर पुस्तक: बेहतर पद्धतियाँ
3. जेंडर अनुकूल पंचायतों पर पुस्तक: परिचालन ढांचा

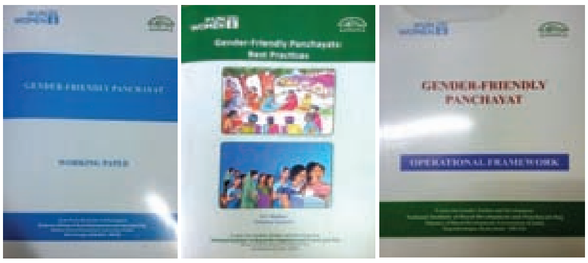

ङ) जेंडर उत्तरदायी शासन के संकेतक

डेस्क शोध, परामर्श और एक लघु प्रयोगिक सर्वेक्षण के आधार पर, यह शोध जीआरजी: मानव संसाधन में जेंडर अंतर और जिला तथा ब्लॉक स्तर कार्यालयों में महिला कर्मचारियों के लिए सुविधाएं सक्षम करना; ग्राम पंचायत में प्रक्रियाओं और परिणामों में जेंडर अंतर के लिए संकेतक स्थापित करने में सक्षम हुआ है । ग्राम पंचायत स्तर के संकेतक समितियों, पंचायत बैठकों और ग्राम सभाओं में भागीदारी और नेतृत्व की स्थिति जैसे विभिन्न विषयों का विस्तार करते हैं; स्कूलों में आधारभूत संरचना, नामांकन और छात्रवृत्ति; मौजूदा और

स्वास्थ्य और पोषण में मौजूदा एवं उपलब्ध सुविधाएं; परिसंपत्ति स्वामित्व और मजदूरी रोजगार के साथ-साथ काम करने की स्थितियों तक पहुंच; और महिलाओं के खिलाफ अपराध । इसे अब "जेंडर उत्तरदायी शासन के लिए संकेतक" पर एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है ।

च) ग्रामीण विकास में जेंडर को मुख्यधारा से जोडना

इस शोध ने वैश्विक स्तर पर और भारत में लिंग और विकास के ऐतिहासिक रूपों की खोज की है । जैसा कि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य जैसे अंतरराष्ट्रीय नीति निर्देश के साथ-साथ भारतीय योजनाओं की प्रगति से स्पष्ट है, की राष्ट्रीय और वैश्विक प्रयासों द्वारा लाई गई नीति में क्रमिक बदलावों के लिए यह जेंडर को मुख्यधारा से जोडने पर वर्तमान ध्यान केंद्रित करता है । शोध ने ग्रामीण विकास क्षेत्रों की एक श्रृंखला में चल रही पध्दतियों और कार्यक्रमों की भी जांच की, उदाहरण के लिए, आजीविका, स्वास्थ्य, वॉश, कृषि, खाद्य और पोषण। इसके परिणामस्वरूप "ग्रामीण विकास में जेंडर को मुख्यधारा से जोडना" पर एक कार्य पत्र का प्रकाशन हुआ है ।

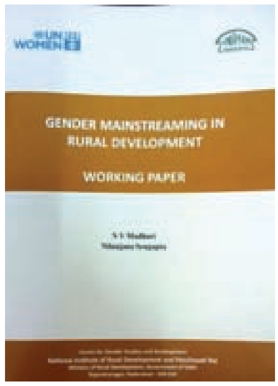

3.9 कार्य अनुसंधान

कार्य अनुसंधान और ग्राम अभिग्रहण, अनुसंधानकर्ताओं को ग्रामीण विकास कार्यों को बढ़ावा देते समय जमीनी समस्याओं और संभावनाओं के करीब ले जाता हैं । कार्य अनुसंधान ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने वाली मुद्दों संबंधी जानकारी को शोधकर्ताओं में बंधने का प्रयास करता है । इसे कार्यान्वयकता की जांच करने और संस्थान द्वारा किए गए शोध अध्ययनों की नीति सिफारिशों के निष्कर्षों का आकलन करने के लिए प्रारंभ किया गया । अत: एनआईआरडीपीआर द्वारा अनुसंधान अध्ययनों की इस विशेष श्रेणी पर अधिक बल दिया गया है ।

संस्थान के कार्य अनुसंधान का ध्यान स्थानीय स्तर पर सुशासन के उभरने और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए विकेन्द्रीकृत विकास प्रक्रिया के संचालन को सुविधाजनक बनाना है । 'सुविधा' प्रक्रिया में सामाजिक संग्रहण, उत्पादकता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मूल्य जोड, प्रशिक्षण

और गैर-प्रशिक्षण हस्तक्षेप के माध्यम से क्षमता निर्माण, स्थानीय संस्थानों का नेटवर्किंग, सामाजिक विकास, सहभागी निर्णय क्षमता आदि शामिल हैं । कार्य अनुसंधान परियोजनाएं लोक केंद्रित हैं और प्रभावी भागीदारी प्राप्त करने के लिए सहभागी उपकरण और तकनीकों का उपयोग करता है । प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों के प्रभावी शिक्षण के लिए परियोजना गांवों में 'सामाजिक प्रयोगशालाओं' के रूप में कार्य अनुसंधान किया जाता है ।

3.9.1 उद्देश्य

- एनआईआरडीपीआर अनुसंधान परियोजनाओं की नीति सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करना और ऐसी सिफारिशों के निष्कर्षों का आकलन करना ।
- ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अनुभव की गई गंभीर समस्याओं का क्षेत्र स्तर पर समाधान खोजना ।
- छोटे निर्माताओं को उनकी आय और उत्पादकता बढाने हेतु प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए प्रभावी नीतियॉ सुझाना तथा
- विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने और वैकल्पिक लागत प्रभावी कार्यक्रम हस्तक्षेपों को प्रस्तावित करने के लिए नए विचारों का प्रयोग करना ।

3.9.2 कार्य अनुसंधान के विषय और क्षेत्र

समकालीन अनुसंधान निष्कर्षों और वर्तमान मुद्दों / समस्याओं पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता को देखते हुए कार्य अनुसंधान के लिए कई विषयों पर , एनआईआरडीपीआर फोकस करता है । 2017-18 के दौरान फोकस किए गए कुछ विषय निम्नानुसार है :

- क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण
- गैर-लकड़ी वन उत्पादों (एनटीएफपी) के लिए मूल्यसंवर्धन
- डेयरी विकास
- मजदूरी रोजगार
- आपदा प्रबंधन
- सहभागी योजना
- भू-संसूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग
- जेंडर
- आजीविका संवर्धन

शिनाख्त किए गए व्यापक विषयों में से कार्य अनुसंधान परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों का चयन किया गया । कार्य अनुसंधान के लिए जोर दिए गए विशिष्ट क्षेत्र थे:

- एसएचजी सदस्यों का सशक्तिकरण
- मजदूरी मांगकर्ताओं का संग्रहण और सशक्तिकरण
- लोगों के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर सहभागी योजना में सुधार करना
- सहभागिता आपदा तैयारी और प्रबंधन
- एनटीएफपी के मूल्यसंवर्धन पर विकास क्षमताओं द्वारा जनजातीय समुदाय का सशक्तिकरण ।

3.9.3 कार्य अनुसंधान टूल्स एवं तकनीक

कार्य अनुसंधान के भाग के रूप में, व्यक्तिगत बातचीत द्वारा लक्षित समुदाय का संवेदीकरण, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन, समुचित कौशल समावेशन और उन्नयन, सहभागी कार्य के लिए समुदाय संग्रहण, समाजार्थिक डेटा पर सर्वेक्षण, डेटा संग्रहण के लिए सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) तकनीक, फोकस समूह चर्चा (एफजीडी), प्रक्रिया प्रलेखन इत्यादि जैसे पद्धतियों को अपनाया गया है ।

3.9.4 आयोजित कार्य अनुसंधान अध्ययन : 2017-18

क) वर्ष के दौरान, कृषि अध्ययन केन्द्र और एनआरएलएम प्रकोष्ट द्वारा "कृषि में संकट को कम करने के लिए परिवर्तनकारी हस्तक्षेप एसएचजी आधारित ग्राम संगठनों के साथ अभिसरण के लिए नीतियॉं" - शीर्षक कार्य अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ किया गया । पिछले वर्षों के सात अध्ययन साल के दौरान अभी भी चल रहे हैं ।

ख) कृषि उद्यमीकर्ता (एई) - ग्रामीण परिदृश्य में नए परिवर्तन एजेंट

भारत में अभी भी अधिकांश ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है । ये क्षेत्र कई ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका अवसर प्रदान करता है । हालांकि छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान क साथ क्षेत्र को उद्यमों में परिवर्तित करते के प्रभावी माध्यमों के विस्तार की कमी के कारण यह क्षेत्र बाधित है । इस बाधा को दूर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने सिंगेंटा फाऊंडेशन इंडिया (एस एफ आई) जो कि कृषि उद्यमशीलता (ए ई) पर एक ''संगठन जो लाभ के लिए नहीं है'' के साथ मिलकर एक

कार्य अनुसंधान परियोजना आरंभ की है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों और कृषकों की मदद करेंगे । कार्य अनुसंधान परियोजना में युवकों को कृषि उद्यमियों के रूप में प्रशिक्षण देना, मिड कोर्स सुधार के लिए निरंतर निगरानी के साथ उन्हें क्षेत्र और अनुभवजन्य अनुसंधान में रखना जैसे घटक सम्मिलित है ।

कार्यक्रम का कार्यान्वयन करते समय ग्रामीण बेरोजगार युवकों का चयन, प्रशिक्षण और कृषि भूमि पर उन्हें रखने का काम एसएफआई द्वारा किया जा रहा है, जबकि एनआईआरडीपीआर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, एई कार्यक्रम के एई परामर्शदाता को प्रशिक्षण देना, एम एण्ड ई अध्ययनों का आयोजन, प्रक्रियाओं का मानचित्रण और कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुधारने में नियमित फीडबैक प्रदान करने के कार्यों में सम्मिलित है । वर्तमान में, यह मॉडल 7 राज्यों : आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीशा और पश्चिम बंगाल में सक्रिय रूप से कार्यरत है । अक्तूबर 2018 तक, 580 से अधिक एई 75,000 से अधिक किसानों की सेवा कर रहे हैं ।

किसानों तक पहुंचने और ग्रामीण बेरोजगार युवाओं की आजीविका को सुधारने में इस कार्यक्रम की संभावनाओं को देखते हुए, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) ने अपने संबंधित राज्यों में एक आरोग्य प्रस्ताव में कृषि उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एनआईआरडीपीआर से हाथ मिलाया है । वर्तमान में, एई कार्यक्रमों को बिहार के पांच जिलों और आ.प्र. के दो जिलों में और महाराष्ट्र के 13 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

3.10 ग्राम अभिग्रहण

अनुसंधान और कार्य अनुसंधान के आधार पर संस्थान द्वारा संस्तुत कार्यान्वयन तंत्र और मॉडलों के अनुप्रयोग का प्रचार करने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान ग्राम अभिग्रहण योजना को प्रारंभ किया गया। विकास पहलों में अभिसरण लाने की दृष्टि से वर्ष 2017-18 के दौरान समूह दृष्टिकोण को अपनाया गया । इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को साध्य बनाने के लिए संकाय सदस्यों की क्षमताओं का विकास करना है । विशेष रूप से ग्राम अभिग्रहण अध्ययनों के माध्यम से प्रारंभ की गई कार्य अनुसंधान पहल, सामाजिक सक्रियता को समझना, सामूहिक कार्रवाई के लिए समुदाय संग्रहण; विकास प्रशासन और गांवों के बीच अंतराल को कम करना; और सततयोग्य विकास को सरलीकृत करने के मुद्दों पर बल देता है । इस प्रयास ने संकाय सदस्यों को जमीनी वास्तविकताओं से रूबरू होने में सक्षम बनाया है ।

3.10.1 ग्राम अभिग्रहण की प्रक्रिया

संकाय सदस्यों को गॉव की जनसंख्या और गॉव में प्रचलित पिछड़ेपन के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट गांव / ग्राम समूहों का चयन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

गांवों के चयन पर, नामित संकाय सदस्य को गांव की रुपरेखा और प्रचलित सामाजिक-आर्थिक स्थितियों आदि का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । गांव को समझने की शक्ति के साथ संकाय सदस्य स्थानीय सरकारी एजेन्सियों से अपेक्षित आवश्यक हस्तक्षेप को प्रदान करते है ।

ग्राम अभिग्रहण योजना के तहत 29 राज्यों से लगभग 150 गांवों का चयन किया गया । विस्तृत सूची अनुलग्नक-V में संलग्न है ।

अक्तूबर 2017 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा अभियान समारोह के भाग के रूप में एनआईआरडीपीआर ने सभी अभिग्रहित गांवों में स्वच्छता और अन्य संबंधित क्रियाकलाप किए है । किए गए क्रियाकलाप निम्नानुसार है -

- संकल्प से सिद्धी पर प्रतिज्ञा को पढ़ना
- स्वयं को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के महत्व और किस तरह कुछ उचित पध्दतियों का पालन करके हम कई बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर रख सकते हैं, के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना । खाने से पहले हाथों को साफ रखने के महत्व पर लाइव प्रदर्शन दिखाया गया ।
- कई बीमारियों और अन्य सामाजिक समस्याओं से बचने के लिए लोगों को शौचालयों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।
- गरम पानी पीना, प्लास्टिक बैग / बोतलों के बजाय कपडे के बैग का उपयोग, मच्छर दानी के उपयोग के महत्व में संवेदनशील किया गया और एनआईआरडीपीआर द्वारा खाना बर्बाद न करें' पोस्टर वितरित किए गए।
- घरेलू अपशिष्ट / कचरे को प्रबंधित करने के तरीके पर जागरूकता ।
- लोगों की सक्रिय सहभागिता को शामिल करते हुए गॉव के समग्र विकास के लिए एनआईआरडीपीआर

ने इस गांव अभिग्रहण किया है संदेश को गांव के प्रमुख इमारतों पर चित्रित किया गया ।

- बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति और शैक्षणिक स्थिति को समझने के लिए, संकाय सदस्यों ने आंगनवाड़ी श्रमिकों और आशा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत की। उन्होंने प्रत्येक गांव के अध्यक्षों से ग्राम पंचायत विकास योजना की स्थिति के बारे में भी पूछा और यह पाया गया कि जीपीडीपी पर जानकारी की पूरी कमी है ।

- अंत में, संकाय सदस्यों ने गांव के लोगों के साथ मिलकर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से बने झाड़ू का उपयोग करके गांव की मुख्य सड़क और स्कूल परिसर की सफाई में सक्रिय रूप से भाग लिया ।

चिन्न कनाल ग्रा.पं. इदुक्कीक, केरल में "संकल्प से सिद्धी" पर शपथ

उत्तर प्रदेश के राय बरेली जिले में प्रमुख भवनों पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से एनआईआरडीपीआर के ग्राम अभिग्रहण पहल का प्रचार-प्रसार

मलपुरा

बेहटा कला

बंडई

नर्सिंगपुर

अभिग्रहित गांवों में स्वच्छता कार्यों के अंतर्गत क्रियाकलाप

3.11 परामर्शी अध्ययन

संकाय सदस्यों की उपलब्ध विशेषज्ञता और संस्थान द्वारा व्यापक ध्यानाकर्षण को देखते हुए केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय, कॉर्पोरेट क्षेत्र संगठन विशिष्ट उद्देश्य - उन्मुख अनुसंधान अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन आदि आरंभ करने के लिए अक्सर एनआईआरडीपीआर से अनुरोध करते हैं । इन अध्ययनों को परामर्शी अध्ययनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । इस संबंध में कुछ ग्राहक समूह है - पंचायती राज मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, केरल सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, विश्व दृष्टि भारत, एसएसी-इसरो , अनुसूचित जाति कल्याण निदेशालय, यूनिसेफ, नाबार्ड, धन फाउंडेशन आदि ।

परामर्शी अध्ययन शुरू करने की प्रक्रिया संस्थान के प्रत्येक केंद्र की उपलब्ध विशेषज्ञता पर आधारित होती है । अध्ययन के अधिदेश के अनुसार प्रत्येक केंद्र प्राप्त अनुरोधों के आधार पर इन अध्ययनों को आरंभ करते है । वर्ष 2017-18 के दौरान, 25 नए परामर्शी अध्ययन आरंभ किए गए जो 2017-18 से पहले आरंभ किए गए किए गए 12 अध्ययनों के अलावा है । 37 अध्ययनों में से नौ संपूरित हुए है शेष 28 अध्ययन अभी भी चल रहे हैं । अध्ययन की संक्षिप्त जानकारी ग्राफ 5 में दी गई है । अध्ययन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट - IX में दिया गया है । विभिन्न अध्ययनों में सभी 29 राज्यों को कवर किया गया है ।

आलेख-5: परामर्शी अध्ययनों की स्थिति

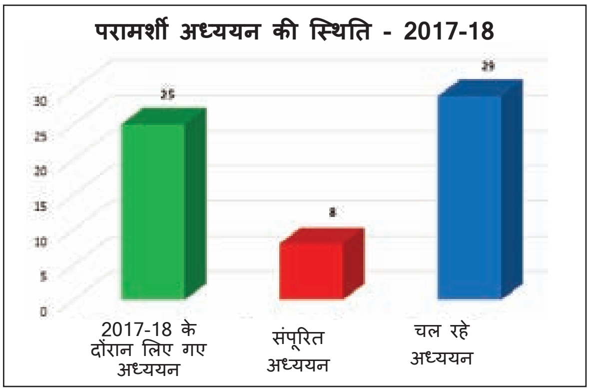

संपूरित परामर्शी अध्ययनों की संक्षिप्त जानकारी नीचे दिया गया है -

3.11.1 पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

पीएमजीएसवाई की भावना और उद्देश्य कोर नेटवर्क में योग्य असंयोजित ग्रामीण आवासों के लिए एकल मौसमी अनुकूल सड़क संपर्क प्रदान करना है । मंत्रालय ने योजना के क्रियान्वयन की प्रगति और वास्तविक समय के आधार पर राज्यों द्वारा मैन्युअल / इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्ट की गई प्रगति के बीच भिन्नता का पता लगाने

के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता महसूस की । इसका मुख्य उद्देश्य लागत-प्रभावशीलता और अन्य भू-स्थलीय बाधाओं के संदर्भ में सड़कों के प्रस्तावित संरेखण की व्यवहार्यता की जांच करना उपग्रह चित्रों का उपयोग कर सड़कों की भौतिक प्रगति का आकलन करना; यह सत्यापित करना कि क्या अनुमोदित डीपीआर और अनुमोदित संरेखण के अनुसार सड़क बनायी जा रही है और यह सत्यापित करना कि क्या सड़क वास्तव में अनुमोदित डीपीआर के अनुसार लक्षित आवास / आवासों को जोड़ती है या नहीं । पांच राज्यों के 10 जिलों में से राजस्थान (जयपुर और अलवार जिला), असम (कामरूप और दरांग जिला), छत्तीसगढ़ (रायगढ़ और कोरबा जिला) ओडिशा (पुरी और नयागढ़ जिला और तेलंगाना (नलगोंडा और करीमनगर जिला) में पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण पर प्रगति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग-अलग समय के उपग्रह डेटा का विश्लेषण किया गया था । अध्ययन के लिए कुल 242 पीएमजीएसवाई सड़कों को लिया गया । ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) पर राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रगति रिपोर्ट पीएमजीएसवाई के एमआईएस को पीएमजीएसवाई सड़क के निर्माण में कार्यान्वयन की प्रगति के साथ सत्यापित किया गया जिसे उपग्रह इमेजरी की मदद से जमीन पर वास्तविक रूप से बनाया गया । अध्ययन से पता चलता है कि 242 सड़क कार्यों (सभी संपूरित) में से, इनमें परिवर्तन है (i) लंबाई में 70 सड़कों (28.9 2%) की रिपोर्ट, (ii) 47 सड़कों में आवास कनेक्टिविटी (1 9 .4%), (iii) 55 मामलों में सीसी सड़क की लंबाई (22.72%)। अवधारणा के सबूत के आधार पर, मंत्रालय ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग का उपयोग करके पूर्ण और चल रही सड़कों के लिए पूरे देश के लिए परियोजना को बढ़ा दिया है।

3.11.2 सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस ए जी वाई)

गांवों में भौतिक और संस्थागत आधारभूत संरचना विकसित करने और उन्हें मॉडल गांवों में बदलने की ज़िम्मेदारी लेने के दौरान सभी राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों को एक साथ लाने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई । इस योजना के तहत, संसद के प्रत्येक सदस्य को अपने गांव या उनके ससुराल के गांव को छोड़कर प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचन क्षेत्र से एक गांव का चयन करना है और पैरामीटर तय करके 2019 तक इसे मॉडल गांव बनाना है । एसएजीवाई (खंड III और IV) की निष्पादन प्रगति रिपोर्ट को एनआईआरडीपीआर और एमओआरडी द्वारा तैयार किया गया जिसमें भारत के अभिग्रहित 346 ग्राम पंचायतों में सांसदों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई ।

क्रियाकलापों को विकास के 8 वर्टीकल के तहत किया गया, जिसमें 4 वर्टीकल के तहत प्रमुख कार्यों को मुख्य रूप से किया गया यथा व्यक्तिगत विकास (व्यक्तिगत मूल्य, स्वच्छता, सांस्कृतिक विरासत और व्यवहार परिवर्तन), आर्थिक विकास (आजीविका, कौशल, वित्तीय समावेशन और बुनियादी सुविधाएं / सेवाएं), सामाजिक विकास (स्वैच्छिकता, सामाजिक मूल्य / नैतिकता, सामाजिक न्याय और सुशासन) और मानव विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा) । अन्य श्रेणियों में शामिल हैं- बुनियादी सेवाएं और सुविधाएं, पर्यावरण विकास, सामाजिक सुरक्षा और सुशासन ।

एसएजीवाई कार्यान्वयन के प्रभाव और जीपी में अब तक हासिल की गई उपलब्धियों को पंचायत दर्पण संकेतकों के माध्यम से मापा जाता है । अधिकांश गांवों में किए गए कुछ कार्यों में मध्याह्न भोजन, प्राथमिक स्कूल जाने वाले बच्चे (6-14 वर्ष), आधार में नामांकित पात्र व्यक्ति, निर्मित आंतरिक ग्राम सड़क, वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे पात्र व्यक्तियों, बुनियादी पेयजल और बिजली के प्रावधान जैसी आधारभूत संरचना सुविधाएं शामिल हैं ।

3.11.3 आजीविका

अध्ययन तेलंगाना सरकार द्वारा कार्यान्वित बागवानी विभाग के अभिसरण में पादाप सामग्री, सूक्ष्म सिंचाई और तकनीकी सलाह की आपूर्ति के साथ श्रेणी बी के तहत एमजीएनआरजीएस बागवानी योजना और भूमि विकास कार्यों के प्रभाव का विश्लेषण करता है । अध्ययन से उभरने वाली प्रमुख समस्या है मुख्य रूप से स्रोत में जल स्तर की अपर्याप्तता और इसका कारण है कि पूरा अध्ययन क्षेत्र लगातार दो साल 2013-14 और 2014-15 में सूखे से प्रभावित रहा है । कुछ मामलों में , खराब गुणवत्ता वाले पौधों की आपूर्ति, अपर्याप्त विस्तार सहायता और बागवानी में किसानों की रूचि न होना ने बागवानी योजना के तहत पौधों के मर जाने में योगदान दिया है । उत्तरजीवित दर में सुधार के लिए, जंगली सूअरों से बागवानी के पौधों की रक्षा करना आवश्यक है क्योंकि अध्ययन के कुछ स्थानों में यह एक समस्या है । पत्थरों का बांध बनाना इस समस्या का समाधान हो सकता है । जहां भी उत्पादन की सूचना दी जाती है, किसानों को उनके उत्पादन को लाभकारी मूल्य पर निपटान की विपणन सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और यदि इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, तो सफलता दर को काफी बढ़ाया जा सकता है और उसी समय, किसानों के जीवन स्तर में भी महत्वपूर्ण सुधार होगा । इसके अलावा, अच्छी गुणवत्ता वाले आम के लिए विभिन्न खेती पद्धतियों पर प्रशिक्षण और जागरूकता निर्माण करना भी महत्वपूर्ण है ।

3.11.4 तेलंगाना में बाल विवाह को रोकने के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार नीति

सी आर यू दल ने सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन को व्यक्तियों के सक्रिय कार्य, समुदाय और बहु-स्तरीय सरकारी प्रणाली के सक्रिय कार्य पर आधारित होने के रूप में विश्लेषण किया है । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परंपरागत मान्यताओं और दृष्टिकोणों को केवल पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई), स्कूलों, धार्मिक नेताओं, आशा कर्मियों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), एनजीओ आदि को शामिल करके ही बदला जा सकता है ।

तेलंगाना को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने के संचार लक्ष्य के साथ एनआईआरडीपीआर की संचार संसाधन इकाई ने तेलंगाना में बाल विवाह रोकने के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार नीति विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया है । बाल विवाह पर उपलब्ध साहित्य और माध्यमिक डेटा की गहरी समीक्षा के बाद नीति विकसित की गई थी और सरकारी एवं एन जी ओ के क्षेत्र विशेषज्ञों से इनपुट प्राप्त करने के लिए बातचीत भी की गई ।

वर्तमान एसबीसीसी नीति उद्देश्यों का विवरण देती है जो विशेष रूप से संचार लक्ष्य के साथ संरेखित है । नीति का उद्देश्य बाल विवाह से संबंधित ज्ञान और दृष्टिकोण को सुधारना है और परामर्श तथा सक्षम पर्यावरण के सृजन के लिए नीतियां प्रस्तवित करती है । सामाजिक रीति-रिवाजों और मानदंडों को बदलने की नीतियां वर्तमान दस्तावेज़ के दायरे से बाहर आती हैं । हालांकि, यह रणनीति मुख्य हितधारकों को योजना और संचार गतिविधियों का हिस्सा बनने का विवरण देती है जो हितधारकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपयुक्त हैं । इनमें प्राथमिक हितधारकों, माध्यमिक हितधारक और तृतीयक हितधारक शामिल हैं । यह नीति मनोरंजन, भूमिका मॉडलिंग और प्रदर्शनों के माध्यम से सतत और निरंतर जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न मीडिया और चैनलों के उपयोग का वर्णन भी करती है । हितधारकों और उनके वर्तमान व्यवहार पर व्यवहार विश्लेषण दिया जाता है । इसे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन और अवरोधों के साथ जोडा जाता है और परिवर्तन को मूर्त रूप देने वाले समर्थकों को जोडता है। मुख्य संदेश के बारे में विवरण प्रदान किया गया है और संचार चैनल का उपयोग मुख्य संदेशों को प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है,

3.11.5. संगारेड्डी जिले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अपनाई गई स्वास्थ्य कॉल सेंटर, ईडीडी (डिलीवरी की अपेक्षित तिथि) पर बेहतर पद्धतियॉं :

सीआरयू ने संगारेड्डी जिले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किए गए बेहतर पद्धतियों की दस्तावेजीकरण करने के लिए एक क्षेत्रीय क्रियाकलाप प्रारंभ किया है और स्वास्थ्य कॉल सेंटर, ईडीडी (प्रसव की अपेक्षित तारीख) कैलेंडर और एनआरसी (नवजात पुनर्वास केन्द्र) पहलुओं के प्रभाव पर प्रकाश डाला है जिसके परिणामस्वरूप आईएमआर और एमएमआर को कम कर प्रसूति पूर्व परीक्षण, संस्थागत आपूर्ति में वृद्धि हुई है । ईडीडी कैलेंडर न केवल गर्भवती महिलाओं के परिवारों में व्यवहारिक परिवर्तन लाया है बल्कि पूरे स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण प्रणाली में भी परिवर्तन लाया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मातृ मृत्यु दर को कम करने और सुरक्षित मातृत्व तथा बाल उत्तरजीविता को बढाने के लिए प्रशिक्षित नर्स की

स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार ईडीडी कैलेंडर

देखरेख में सुरक्षित जगह पर प्रसव हो सके है । यह निष्कर्ष निकाला गया कि जिले की यह पहल एक वास्तविक सबूत है कि अगर किसी भी विभाग द्वारा उचित संचार नीतियों और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, तो इससे समुदाय के सेवा मांगने के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन आयेगा ।

3.11.6 तेलंगाना में खुले में शौच को खत्म करने के लिए सामाजिक मानदंड को लागू करने पर नीतिगत ढांचा

खुले में शौच (ओडी) अर्थात खुले में खुद को हल्का करने का काम है । दुनिया भर में एक बिलियन से ज्यादा लोग खुले में शौच करते हैं । यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है क्योंकि यह कई स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान देता है, जिसमें जल प्रदूषण और बीमारियों का फैलना शामिल है और जो बचपन में कुपोषण का कारण बनता है । भारत विश्व के बच्चों में सबसे ज्यादा डायरिया से ग्रस्त मौत की रिपोर्ट करता है, हर वर्ष भारत में पांच वर्ष से कम आयु के 1,17,285 बच्चे मरते हैं । खुले में शौच नकारात्मक रूप से महिलाओं को प्रभावित करता है, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ती है।

उपरोक्त तथ्यों का विश्लेषण करते हुए सीआरयू केन्द्र ने तेलंगाना में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए सामाजिक मानदंड सिद्धांत को लागू करने के लिए नीतिगत ढांचा विकसित करने हेतु बाहरी संसाधन का उपयोग किया है । वर्तमान सरकारी हस्तक्षेपों, स्थिति विश्लेषण और व्यवहार विश्लेषण की समीक्षा करते हुए, ओडीएफ को समाप्त करने के लिए सामाजिक मानदंड सिद्धांत को लागू करने के तरीके पर एक विस्तृत ढांचा दिया गया । विभागों के काम को कम करने के लिए परिवर्तन, संचार योजना, प्रशिक्षण योजना और संचार क्रियाकलापों की निगरानी और मूल्यांकन सिद्धांत प्रदान किया गया ।

सामाजिक मानदंड और ओडी: "एक सामाजिक मानदंड व्यवहार का एक नियम है जैसे कि व्यक्ति इस शर्त पर इस बात का पालन करना पसंद करते हैं कि जिसे वे मानते हैं (क) उनके संदर्भ नेटवर्क में अधिकांश लोग इसके अनुरूप (अनुभवजन्य उम्मीद), और (ख) उनके संदर्भ नेटवर्क में अधिकांश लोग मानते हैं कि उन्हें इसके अनुरूप है होना चाहिए (मानक उम्मीद)। सामाजिक मानदंड सिद्धांत उन स्थितियों से संबंधित है जिनमें व्यक्ति सहकर्मियों और अन्य समुदाय के सदस्यों के दृष्टिकोण और / या व्यवहार को समझते हैं और मानदंडों के लिए अपने स्वयं के व्यवहार को अपनाते हैं । ओडी व्यवहार सामाजिक मानदंड हस्तक्षेप के मानदंडों को पूरा करता है, और एक ऐसे मानदंड बनाने की आवश्यकता है जो लोगों को खुले में शौच करने से रोक सकता है और उन्हें शौचालयों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है । इस प्रकार, यह ढांचा तेलगांना राज्य को ओ डी एफ बनाने के लिए तेलंगाना की आबादी के लिए एक उचित हस्तक्षेप का सुझाव देता है ।

3.11.7 किशोरों के स्वास्थ्य सुधार में जेंडर को मुख्यधारा से जोडने के लिए कर्तव्य पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण का ढांचा

सीआरयू दल ने उपलब्ध, साहित्य परिस्थिति और जेंडर विश्लेषण की संपूर्ण समीक्षा द्वारा किशोरों के स्वास्थ्य सुधार में जेंडर को मुख्यधारा से जोडने के लिए कर्तव्य पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण पर एक ढांचा विकसित किया है । अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों में जेंडर संवेदनशीलता पर विषय प्रारंभ करने के लिए प्रवेश बिंदुओं की पहचान करना रहा है । विशेष गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना एक विकल्प हो सकता है, सभी संचार अर्थात नीति एवं कार्यक्रम दस्तावेज के साथ-साथ प्रशिक्षण मॉड्यूलों में जेंडर संदेश को सम्मिलित करना एक व्यवहार्य एवं स्थायी विकल्प होगा । यह दस्तावेज़ दो अलग-अलग कार्यक्रमों के तहत तीन मॉड्यूलों के विश्लेषण को एक साथ लाता है:

- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं पर चिकित्सा अधिकारियों के अभिमुखीकरण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं पर एएनएम के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल
- सबला पर मॉड्यूल
- जेंडर के मुद्दे और उपरोक्त मॉड्यूल में जेंडर को मुख्यधारा से जोडना पूरा कर लिया गया है

अध्याय-4 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

एनआईआरडी पीआर ने 1999 में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) नामक एक नवोन्मेषी संकल्पना शुरू की है जिसमें सफल उद्यमियों की मदद से ग्रामीण विकास से संबंधित शिनाख्त किए गए नवोन्मेषी / प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाता है। उन्हें एनआईआरडी और पीआर परिसर में स्थित आरटीपी का प्रौद्योगिकी साझेदार कहा जाता है। लगभग 65 एकड़ भूमि के क्षेत्र में स्थापित, यह गांवों के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास और हस्तांतरण के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। आरटीपी के पास उत्पादकता में वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए ग्रामीण गरीबों को उचित और किफायती प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रसार में तेजी लाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का एक दृष्टिकोण है, जिससे समुदाय को सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क की पहल कुछ उचित और स्थायी ग्रामीण प्रौद्योगिकियों की पहचान करने की दिशा में एक छोटा कदम है जिसे प्रौद्योगिकी भागीदारों द्वारा प्रशिक्षण सह उत्पादन के एक सिंगल विंडो के प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है ताकि उन्हें अपनाने में इच्छुक लोगों को प्रेरित किया जा सके। इन प्रौद्योगिकियों को उनकी आजीविका के भाग के रूप में एनआईआरडी और पीआर एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर, वास्तव में इंटरफेस को बढ़ा सकते हैं, और उपयुक्त संस्थानों के साथ गठबंधन कर सकते हैं जो युवाओं की उद्यमशील आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं तथा अभिनव विचारों और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की उम्मीदों पर विचार कर रहे हैं। आरटीपी संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए प्रशिक्षण-सह-उत्पादन सुविधा के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक सक्षमता करता है। एनआईआरडी और पीआर इकाइयों को संचालित करने और परिचालित करने वाले निजी भागीदारों को आवश्यक भौतिक आधारभूत संरचना के साथ अनुभव का समर्थन प्रदान करता है। वर्तमान में 60 से अधिक प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया जा रहा है और प्रशिक्षण-सह-उत्पादन सुविधा के लिए उपयोग किया जा रहा है। सफल परिणामों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है।

आरटीपी में राष्ट्रीय ग्रामीण बिल्डिंग सेंटर विभिन्न प्रौद्योगिकियों के साथ निर्मित मॉडल ग्रामीण आवासों का प्रदर्शन करता है। स्वच्छता पार्क में प्रमुख स्वच्छता मॉडल हैं। आरटीपी ग्रामीण युवाओं और विभिन्न ग्रामीण प्रौद्योगिकियों पर महिलाओं के लिए कई प्रदर्शन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाओं का आयोजन करता है। नवंबर के महीने में एनआईआरडी और पीआर स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर, ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। देश के विभिन्न भागों से लगभग 200 ग्रामीण नवप्रवर्तक, ग्रामीण कारीगर, महिला / लघु उद्योग उद्यमियों, सरकारी संस्थानों आदि । "मेक इन इंडिया" अभियान का समर्थन करने और जमीनी नवप्रवर्तक / स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए, एनआईआरडी और पीआर में 2016 के दौरान एक इन्कुबेशन और स्टार्ट अप समर्थन केंद्र स्थापित किया गया था। इसके भाग के रूप में, ग्रामीण इनोवेटर्स स्टार्ट अप कॉन्क्लेव (आरआईएससी) हर साल आयोजित किया जाता है। आरटीपी में प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार के भाग के रूप में गतिविधियों, हितधारकों और सेवाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष 2017-18 के दौरान आरटीपी में क्षमता निर्माण कार्यों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। कैंपस कार्यक्रमों के अलावा, विभिन्न राज्यों में अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचने के लिए ऑफ-कैंपस कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। ग्रामीण आवास कार्यक्रमों और सौर ऊर्जा संवर्धन पर प्रभाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मिट्टी प्रसंस्करण, जैव कीटनाशक तैयारी, एलईडी लाइट निर्माण और सुगंधित तेलों के उत्पादन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपक्रम के लिए भागीदारों को शामिल करने की नई पहल की गई है। ये इकाईयां आगामी वर्ष में स्थापित की जाएगी। प्रतिष्ठित संस्थानों से विभिन्न तकनीकी विषयों से स्नातकों की भर्ती के लिए युवा व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। सीआईएटी की विभिन्न गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

4.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभिन्न गतिविधियों में आरटीपी का मुख्य कार्य है प्रशिक्षण प्रदान करना, वर्ष के दौरान 83 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 1062 प्रतिभागियों को शामिल किया गया, जिनमें स्वयं सहायता समूहों, खासकर देश के विभिन्न भागों से ग्रामीण क्षेत्रों से अल्प बेरोजगार / बेरोजगार युवा शामिल हुए ।

प्रशिक्षण के लिए अपनाई गई पद्धति में एक या दो दिनों के प्रदर्शनी दौरों में गांवों के समूहों को प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें आरटीपी में संबंधित इकाइयों में लाइव डेमो द्वारा प्रौद्योगिकियों का उजागर / समझाया जाता है। उन प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने के लिए उनके साथ बातचीत होती है जिसमें वे उत्पादों की क्षमता और विपणन क्षमता के आधार पर सीखने में सहज होते हैं और विस्तृत बातचीत के बाद उनके द्वारा चुनी गई तकनीकों में प्रशिक्षण की पेशकश की जाती है। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम सैद्धांतिक पहलुओं के साथ अनुभव पर आधारित होते हैं।

महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ जिनमें प्रशिक्षण अनुभव को गृह आधारित उत्पादों, मशरूम की खेती / प्रसंस्करण, कंम्प्रेस्ड स्थाई मड ब्लॉक बनाने, सौर रोशनी के संयोजन, सौर घर प्रकाश प्रणालियों की स्थापना और रखरखाव, पत्ती प्लेट बनाने, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश, नीम तेल निष्कर्षण और केक बनाने, शहद मधुमक्खी पालन, हस्तनिर्मित कागज बनाने / रूपांतरण, सौर निर्जलीकरण प्रौद्योगिकी, सोया उत्पादों की प्रसंस्करण, प्राकृतिक रंगाई आदि सम्मिलित है ।

उत्पाद बनाने में प्रशिक्षण के अलावा, प्रशिक्षुओं को गुणवत्ता वाले कच्चे माल की खरीद और तैयार उत्पादों के विपणन पर प्रतिनिवेश दिया गया था। इसके अलावा, जहां भी आवश्यक हो वहां इकाइयों की स्थापना में प्रशिक्षुओं को समर्थन दिया जा रहा है ।

विभिन्न संगठनों के सहयोग से निम्नलिखित कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

1. ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ / सहयोग से 3 महीने की अवधि के राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) के सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन ।
2. तेलंगाना राज्य में मत्स्यपालन विभाग और मत्स्य पालन समितियों के अध्यक्षों के लिए मछली संरक्षण और निर्जलीकरण प्रौद्योगिकी ।
3. मैनेज हैदराबाद के सहयोग से एग्रि क्लिनिक और एग्रि व्यापार केंद्रों, उद्यमियों के तहत कार्यक्रम ।

4.2 प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता:

वर्ष के दौरान, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के 613 छात्र गृह निर्माण प्रौद्योगिकियों, सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों, जैव द्रव्यमान, कार्बनिक खेती, हस्तनिर्मित कागज पर विशिष्ट ध्यान देने के साथ लाइव प्रदर्शन के माध्यम से आरटीपी पर आधारित प्रौद्योगिकियों से परिचित हुए । एनआईआरडीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 684 प्रतिभागियों और पड़ोसी संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 1848 प्रतिभागियों को भी आरटीपी में प्रदर्शित प्रौद्योगिकियों के साथ परिचित कराया गया ।

उपर्युक्त जागरूकता कार्यक्रमों ने आरटीपी में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रसार में मदद की है जिसके परिणामस्वरूप कई संभावित प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए संपर्क कर रहे हैं।

4.2.1 इंटर्नशिप और ब्लॉक स्थापन :

आरटीपी में कॉलेजों के प्रदर्शन दौरों ने विभिन्न तकनीकों पर आरटीपी में छात्रों की इंटर्नशिप में वृद्धि की है। वर्ष के दौरान, निम्नलिखित कॉलेजों के छात्रों ने इंटर्नशिप की शुरुआत की है और हाउसिंग टेक्नोलॉजीज, ग्रामीण उद्यमिता, खाद्य प्रसंस्करण और पिरैमिड मॉडल - रसोई उद्यान विकसित करने पर भी अपनी परियोजनाएं की हैं।

1. के. एन. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, हैदराबाद
2. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, काकीनाडा
3. कॉलेज ऑफ होम साइंसेज, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी, हैदराबाद

4.3 परामर्शी

आरटीपी निम्नलिखित क्षेत्रों में परामर्शी सेवाओं का विस्तार कर रहा है:

1. सौर गृह प्रकाश प्रणालियों सौर मिल्स (हाइब्रिड-सौर प्लस हवा) का प्रतिष्ठापन
2. पर्यावरण मैत्री और लागत प्रभावी आवासीय मकानों का निर्माण और कंप्रेस्ड स्थाई मिट्टी के ब्लॉक का निर्माण

मत्स्यपालन आयुक्त, आ.प्र. सरकार के अनुरोध पर आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारत सरकार की नील क्रांति योजना के तहत शीतलन और निर्जलीकरण प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया।

झारखंड में चंडील बांध, ताजा जल ब्रूड बैंक, भुवनेश्वर और लक्षद्वीप राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड में सौर मिलों की स्थापना की परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया ।

मिशन समृद्धि के अनुरोध पर, कन्नड़ सेवाएं गमौरी गांव, यवतमाल जिला, महाराष्ट्र में पीएमए के तहत सदनों के निर्माण के लिए विस्तारित की जा रही हैं जिसमें सामग्री बनाने के लिए मशीनरी की खरीद में उनकी सहायता करने के अलावा सीएसई ब्लॉक बनाने, निर्माण नींव के निर्माण, रैट ट्रैप बॉन्ड वालिंग प्रौद्योगिकियां बनाने में निर्माण श्रमिकों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण शामिल है।

4.4 ग्रामीण प्रौद्योगिकी गठबंधन

ग्रामीण इलाकों की समस्याओं की पहचान करने और इसके समाधान खोजने के लिए विशेष रूप से डीआरडीओ से सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की एक स्वैच्छिक समूह से "ग्रामीण प्रौद्योगिकी गठबंधन" नाम तैयार किया गया जिसके साथ आरटीपी, एनआईआरडीपीआर नियमित रूप से बातचीत करता है। इस प्रक्रिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए प्रासंगिक डीआरडीओ के लाइफ क्लस्टर डिवीजन द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की पहचान की गई है और डीआरडीओ के विभिन्न प्रयोगशालाओं की सहायता से प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता पैदा करने के लिए आरटीपी में प्रदर्शन किया गया है। इस युनिट का उद्घाटन 18.07.2017 को पद्म विभूषण डॉ डी वीरेंद्र हेगड़े, धर्मधिकारी, श्रीक्षेत्र धर्मस्थल ने किया था।

डीआरडीओ की तकनीक के आधार पर, आरटीपी द्वारा एक नया टॉवर मॉडल विकसित किया गया था और इसका उद्घाटन 12 फरवरी, 2018 को माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास और भूमि संसाधन राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव ने किया था।

इसके अलावा, रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (डीआईबीआर), हल्दवानी, उत्तराखंड, डीआरडीओ द्वारा विकसित अंगोरा फार्मिंग पर प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण उत्तराखंड के राज्य ग्रामीण जीवन मिशन (एसआरएलएम) के माध्यम से उत्तराखंड के गांवों में किया गया था। आगामी वर्ष में कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर चर्चा चल रही है।

4.5 फ्रुगल नवोन्मेषण पर कार्यशाला

सतत विकास के लिए ग्रामीण परिवर्तन में नवोन्मेषण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह काफी स्पष्ट है कि आवश्यकता आधारित नवोन्मेषण हो रहे हैं और हमेशा जारी रहेंगे अंतिम उपयोगकर्ताओं और इस तरह के मितव्ययी नवाचार जो सरल, किफायती, गुणात्मक और स्थायी हैं को प्रोत्साहित करने बारे में अधिक जागरूकता इस सीमा तक नहीं पायी जाती है जो क्षमताओं और समर्थन को बढ़ाने की कमी और उपरोक्त नवोन्मेषण प्रोटो प्रकार या विचार मंच के रूप में शेष हैं। कई बार इस तरह के नवाचार अपर्याप्त डिजाइन सुधार और भौतिक दक्षता के कारण इसे हटाने में असफल रहे हैं जिन्हें उजागार करने की आवश्यकता है

उपरोक्त पृष्ठभूमि में और ऐसे नवप्रवर्तकों के लिए एक मंच बनाने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी (आईएनएई) और विज्ञान भारती के सहयोग से एनआईआरडीपीआर ने 07 - 08 जुलाई, 2017 को एनआईआरडी और पीआर में फ्रुगल नवाचारों पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्घाटन श्री एम. वेंकैया नायुडू, माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, माननीय संसद सदस्य (एलएस), डॉ वीके सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग और कई अन्य सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। 200 से अधिक प्रतिभागियों के साथ आईएनएई सदस्यों, बिजनेस मैन्टर्स, टेक्नोक्रेट्स, वित्तीय संस्थानों, इनोवेटर्स और छात्रों ने कार्यशाला में भाग लिया है।

4.6 अभिनव पैकेजिंग पर कार्यशाला

एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित ग्रामीण प्रौद्योगिकी शिल्प मेला के दौरान देश के विभिन्न भागों में व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों में संस्थान ने भाग लिया। यह देखा गया कि छोटे उद्यमियों, एसएचजी आदि द्वारा विकसित उत्पादों में आकर्षक और उपयुक्त पैकेजिंग की कमी है जिसके परिणामस्वरूप यह उन उत्पादों को वाणिज्यिक रूप से बढ़ावा देने में विफल रही है, हालांकि उनकी गुणवत्ता किसी भी ब्रांडेड उत्पादों से कम नहीं है।

पैकेजिंग और इसकी तकनीक पर आवश्यक जागरूकता बढाने के लिए, एनआईआरडीपीआर ने 19 से 21 सितंबर, 2017 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग (आईआईपी), मुंबई और हैदराबाद के सहयोग से तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला ने उद्यमियों की मदद की है और उनमें से कई ने कार्यशाला के दौरान सुझाई गई तकनीक और पैकिंग विधियों को अपनाया है। एनआईआरडीपीआर की प्रतिक्रिया के आधार पर, आरटीपी देश के विभिन्न भागों

में एसआईआरडीपीआर में अपने आउटरीच में सुधार के लिए ऐसी कार्यशालाओं / प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार कर रहा है।

4.7 15 वॉ ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं शिल्प मेला 2017

एनआईआरडीपीआर का स्थापना दिवस समारोह हर साल 9 - 30 नवंबर के दौरान आयोजित किया जाता है। समारोहों के भाग के रूप में, "ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला" प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर आयोजित किया जाता है। इस परंपरा को जारी रखते हुए, 15 वां "ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला" 30 नवंबर - 4 दिसंबर, 2017 से "स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्युरशिप - ए वे फॉरवर्ड फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन" के विषय पर आयोजित किया गया था।

देश भर में ग्रामीण कारीगरों, तकनीशियनों, उद्यमियों, एसएचजी और गैर सरकारी संगठनों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। निमंत्रण के जवाब में, 18 राज्यों के प्रतिभागियों ने पिछले साल के कार्यक्रम में भाग लिया। मेला में प्रदर्शित प्रौद्योगिकियों में शामिल हैं - सौर, बांस, कार्बनिक, कृषि, चमड़ा, स्वच्छता, हैंडलूम, आयुर्वेदिक, बाजरा, जूट, सिल्क, कृत्रिम आभूषण, लकड़ी का कटलरी, पेपर पेंसिल, कश्मीरी शाल, सजावटी सामान, केले फाइबर, हैंडी शिल्प, मिट्टी के सामान, कढ़ाई कार्य, लकड़ी शिल्प, सूखी सजावटी फूल, आदि,. बिक्री के लिए 230 से अधिक स्टाल लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने आ.प्र., असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जैसे सत्रह राज्यों से भाग लिया।

कार्यक्रम के विषय को ध्यान में रखते हुए संगठनों, कौशल विकास कार्यक्रम में शामिल एजेंसियों को कार्यक्रम में अपनी गतिविधियों को जोड़ने और बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनमें से प्रमुख राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नई दिल्ली, डीडीयू-जीकेवाई परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (पीआईए) हैं जो विभिन्न राज्यों से आतिथ्य, बीपीओ, खुदरा व्यापार, टैली और व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। ये एजेंसियां उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रशिक्षण का संचालन करती हैं और प्रशिक्षित उम्मीदवारों के साथ पद नियुक्ति को सुरक्षित करने के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों का समर्थन करती हैं।

4.8 महानिदेशक बंगला - लॉरी बेकर्स प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन

आरटीपी लगातार पर्यावरण अनुकूल लागत प्रभावी आवास प्रौद्योगिकियों - लॉरी बेकर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। वर्ष के दौरान इन प्रौद्योगिकियों की योग्यता और इसकी प्रभावशीलता का प्रदर्शन करने के लिए उपरोक्त तकनीकों का उपयोग करके महानिदेशक के लिए बंगले का निर्माण शुरू किया गया, जिसमें हैबिटैट टेक्नोलॉजी ग्रुप, केरल की सहायता ली गई थी।

निर्माण में इस्तेमाल और स्थापित प्रौद्योगिकियों में आरआर स्टोन चिनाई, रैट ट्रैप बांड ब्रिक, कंप्रेस्ड स्टेबिलाईजड मड ब्लॉक, फिलर स्लैब, मिड प्लास्टरिंग, सीएसई ब्लॉक, टंडूर स्टोन फ़्लोरिंग, बांस रेलिंग, लकड़ी की जल्ली, बांस स्क्रीन पर पॉइंटिंग और पेंटिंग वर्षाजल संचयन प्रणाली, ग्रे जल उपचार, सौर ऊर्जा इकाई इत्यादि हैं। यह 2018 के पहले छमाही के दौरान पूरा हो जाएगा। यह विभिन्न प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन होगा और इसे बढ़ावा देने में मदद करेगा।

4.9 जैविक अपशिष्ट प्रबंधन पहल

जनसंख्या वृद्धि, खपत पैटर्न और तेजी से आर्थिक विकास के कारण अपशिष्ट निपटान एक बढ़ती समस्या है। जैविक अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा और खराब प्रबंधन से परिवारों, समुदायों और संस्थानों जैसे - होटल, अस्पताल और वृद्धाश्रम में पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दे बढ़ रहे है। खाद्य अपशिष्ट का निपटान करने के लिए, एनआईआरडीपीआर, आरटीपी ने आरटीपी में प्रौद्योगिकी डेवलपर बायो-टेक केरल की सहायता से 15 घन मीटर रसोई अपशिष्ट संचालित बायोगैस संयंत्र का रसोई अपशिष्ट स्थापित किया है। संयंत्र का उद्घाटन 13 सितंबर, 2017 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री अमरजीत सिन्हा ने किया था।

4.10 केस स्टडी: सफल ईंट बनाने वाले उद्यमीकर्ता

कोड्रु गांव आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के अंकपल्ली मंडल में स्थित है। इस गांव में अधिकतर दैनिक मजदूर हैं, जबकि महिलाएं घरेलू गतिविधियों तक ही सीमित हैं। गरीबी की समस्या से निपटने के लिए, गांव की महिला सदस्यों ने स्व-रोजगार गतिविधियों की ओर रूचि दिखायी । बीएचपीवी लिमिटेड के एक सेवानिवृत्त इंजीनियर ने इस गांव की महिलाओं के उत्साह को देखते हुए, संस्थानों की पहचान करना शुरू कर दिया जो स्व-रोज़गार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर सकते थे।

आरटीपी, एनआईआरडीपीआर के साथ हुई चर्चाओं के आधार पर, शुरुआत में छह महिलाओं की पहचान "कंप्रेसड मिट्टी ब्लॉक बनाने" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए की गई थी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उत्साह के साथ, महिलाओं ने अपने गांव लौटने पर ईंट बनाने की इकाई स्थापित की और इसे "नावा ब्रिक्स कार्यो" के रूप में नामित किया। भारत सरकार की मुद्रा योजना के तहत, महिलाओं ने मशीनरी खरीदने के लिए एसबीआई से 1.5 लाख रुपये का ऋण लिया।

इस युनिट को वर्तमान में दो महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है और वे सफलतापूर्वक कंप्रेस्ड मिट्टी ब्लॉक का निर्माण कर रही हैं। समूह बैंक से लिया गया ऋण चुकाने में कामयाब रही । ईंटें 8/- प्रति ईंट, रुपये की लागत से निर्मित की जाती हैं। और हर ईंट 15/- रुपये की कीमत पर बेचा जाता है, जिससे प्रति ईंट 7/- रुपये का लाभ मार्जिन रहता है। महिलाएं गांव में आने वाले बड़े अस्पताल के निर्माण के लिए 80,000 ईंटों की आपूर्ति करने में भी कामयाब रहीं।

4.11 प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण: यवतमाल जिला में पीएमएवाई आवास

स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पीएमएवाई कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के गन्नौरी गांव के ग्राम समुदाय के क्षमता निर्माण के लिए विशेष प्रयास किए गए। प्रारंभ में, मिशन समृद्धि के अधिकारियों ने एनआरबीसी, आरटीपी का दौरा किया और स्थायी आवास और स्वच्छता मॉडल के निर्माण के लिए आरटीपी के साथ सहयोग करने में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई। उचित स्थायी लागत प्रभावी आवास समाधान के महत्व को समझना, महानिदेशक, मिशन समृद्धि के अधिकारियों और गांव के प्रतिनिधि के साथ चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि सीएसई मिट्टी ब्लॉक का उपयोग करते हुए इन आवासों का निर्माण किया जाएगा ।

बीडीओ, ग्राम सेवक, लाभभोगियों सहित लगभग 60 प्रतिभागियों, मिशन समृद्धि के सदस्यों ने एनआईआरडीपीआर में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। सीएसई मिट्टी ब्लॉक बनाने जैसे कार्यों, आर्क फाउंडेशन और रैट ट्रैप बांड वालिंग की प्रौद्योगिकियों का निर्माण प्रशिक्षण प्रतिभागियों को दिया गया । प्रशिक्षण के बाद एक फॉलो अप के रूप में, सीएसई मिट्टी के ब्लॉक बनाने और गांवों में निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के लिए 5 मार्डिनी प्रेस मशीनों की खरीद की गई। आरटीपी टीम ने साइट का दौरा किया और लाभार्थियों को सीएसई मिट्टी ब्लॉक बनाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया। अनुमान लगाया है कि अगले वर्ष में लगभग 2000 घरों का निर्माण किया जाएगा। एसआरएलएम के माध्यम से डीआरडीए द्वारा वित्त पोषण की सुविधा प्रदान की गई और घरों का निर्माण पीएमएवाई आवास कार्यक्रम के तहत किया जाएगा।

4.12 नवोन्मेषी क्रियाकलाप

1. ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में राष्ट्रीय ग्रामीण भवन केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने "कंप्रेसड स्टेबिलाईज्ड अर्थ टाइल" की एक अभिनव श्रृंखला विकसित की है जो कम लागत वाली और पर्यावरण के अनुकूल इमारतों को बढ़ावा देने में काफी मदद कर सकती है। यह प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मिट्टी का उपयोग करके मिट्टी के ब्लॉक, छत की टाइलें, फर्श टाइल्स और पॉवर ब्लॉक बनाने में मदद करेगी, कम मात्रा में लोगों के दरवाजे पर सीधे हाथ से संचालित कंप्रेस्ट मशीनों को प्रतिष्ठपित करेगी। शुरुआती परीक्षणों ने छत टाइल्स विकसित करने में बहुत ही आशाजनक परिणाम दिखाए हैं जिन्हें बाहरी मार्गों के लिए ठोस छत स्लैब, फर्श टाइल्स और पॉवर ब्लॉक के लिए भराव सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है। 15 वे आरटीपी मेला के दौरान माननीय संसद सदस्य श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने उत्पादित प्रायोगिक टाइल्स लॉन्च किए ।

2. आरटीपी के मुख्य क्रियाकलापों में से एक नवीकरणीय ऊर्जा को बढावा देना है और इकाइयों की स्थापना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से स्थापित इस तरह के 5 किलोवाट का उद्घाटन 25 जून 2018 को माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। इस इकाई से उत्पन्न बिजली का उपयोग कार्यालयों और प्रौद्योगिकी इकाईयों में दिन-प्रतिदिन किया जाता है।

3. आरटीपी में स्थित मौजूदा आवास मॉडल के अतिरिक्त, पूर्व-फैब्रिकेटेड स्टील का उपयोग करने पर प्रदर्शन किया जाता है जो कम लागत वाला है और दूरस्थ स्थानों पर आसानी से निर्मित किया जा सकता है। यह भूकंप प्रवण क्षेत्रों में निर्मित आवास की समस्याओं का भी समाधान करता है । 25 जनवरी 2018 को माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आवास मॉडल का उद्घाटन किया।

4. ग्रीन उर्जा विशिष्ट टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (जीयुयुटीएस) और राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) द्वारा समर्थित पहल के तहत सूर्यमित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं द्वारा एक मिनी सौर संयंत्र (3 किलोवाट) की स्थापना की गई थी। 12 फरवरी 2018 को ग्रामीण विकास और भूमि संसाधन राज्यों के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राम कृपाल यादव ने सड़क रोशनी के लिए 3 किलोवाट सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया।

5. कंप्रेसड स्थिरीकृत अर्थ ब्लॉक (सीएसईबी) पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक वृत्तचित्र फिल्म "चिकनी मिट्टी" तकनीक के ब्योरे के साथ बनाई गई थी और इसे माननीय केंद्रीय पंचायती राज और खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और 16 फरवरी, 2018 को जारी किया था । व्यापक प्रसार के लिए यूट्यूब पर भी इसे अपलोड किया गया था।

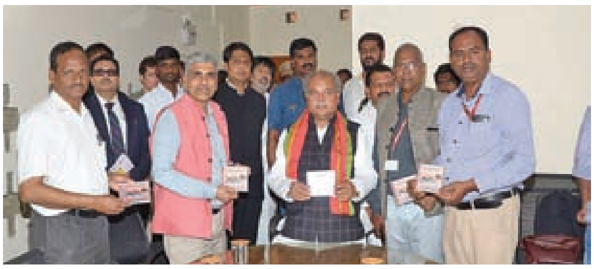

6. **पैराबॉलिक सौर कुकर:**

बेयरफुट कॉलेज टिलोनिया, राजस्थान से महिला सौर इंजीनियरों ने स्वचालित सूरज की रोशनी ट्रैकिंग पैराबॉलिक सौर कुकर विकसित किया जो आरटीपी में मितव्ययी नवाचार के प्रदर्शन के लिए स्थापित किया गया था।

7. हाइड्रोलिक ईंट बनाने की मशीन:

कंप्रेसड स्थिरीकृत अर्थ ब्लॉक (सीएसईबी) की बड़ी मात्रा की मांग को सुविधाजनक बनाने और उसकी पूर्ति के लिए, एक हाइड्रोलिक सीएसईबी मशीन तैयार की जा रही है जो आने वाले वर्ष की दूसरी तिमाही में उपलब्ध होगी।

4.13 प्रदर्शनी में ग्रामीण प्रौद्योगिकियों पर प्रदर्शन

ग्रामीण प्रौद्योगिकियों पर अधिक जागरूकता निर्माण करने और पैन इंडिया आधार पर आउटरीच में सुधार के लिए आरटीपी में विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में भाग लिया है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाये थे :

- सरस मेला, तेलंगाना
- भारतीय तिलहन बीज अनुसंधान संस्थान, तेलंगाना
- हैब फेस्ट, केरल
- स्थायी आवास, महाराष्ट्र
- केरल विज्ञान कांग्रेस, केरल
- वालमतरी, तेलंगाना में संयुक्त राष्ट्र जल दिवस समारोह
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तेलंगाना में भूमि संपोषण में राष्ट्रीय सम्मेलन
- लॉरी बेकर, तिरुवनंतपुरम की स्थायी विरासत पर राष्ट्रीय प्रदर्शनी
- ग्रामीण विकास मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला, नई दिल्ली

4.14 आइवरी कोस्ट में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना

आइवरी कोस्ट में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क और सीजीएआरडी केंद्र की स्थापना के संबंध में वर्ष के दौरान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के साथ चर्चा की गई। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वित्तीय लेखा के साथ जमा की गई थी और यह विचाराधीन है। यह उम्मीद की जाती है कि स्थापना की प्रक्रिया आने वाले वर्ष में शुरू हो सकती है।

अध्याय-5 नवोन्मेषी कौशल और आजीविका

1.3 बिलियन जनसंख्या सहित भारत की 62 प्रतिशत से अधिक आबादी जनसांख्यिकीय लाभांश के स्वर्णिम दायरे में है । कार्यरत आयु वर्ग में 25 वर्ष से कम उम्र की 54% से अधिक आबादी है । वर्ष 2022 तक आबादी की औसत आयु संयुक्त राज्य अमेरिका में 40 वर्ष, यूरोप में 46 वर्ष और जापान में 47 वर्षों के मुकाबले भारत में 29 वर्ष होगी । अगले 15 वर्षों के दौरान, औद्योगिक दुनिया में श्रम बल 4% घट जाएगा, जबकि भारत में, यह 32% की वृद्धि करेगा, जिससे भारत को इस युवा शक्ति का लाभ उठाने का एक अभूतपूर्व अवसर मिल जाएगा जो देश में प्रभावी रूप से उन्हें कौशल प्रदान करते हुए विकास इंजन को शक्ति प्रदान कर सकेगा । कौशल विकास के अलावा, ग्रामीण गरीबी को खत्म करने के लिए आजीविका दृष्टिकोण अपनाया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), एक शीर्ष कार्यक्रम है तथा 1999 में एक दशक से भी अधिक समय तक लागू करने के साथ इसे पुनर्गठित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2010-11 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया जा रहा है । एसजीएसवाई का लक्ष्य ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति / आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से गरीबी से बाहर लाने के लिए स्थायी आय प्रदान करना था । एसजीएसवाई को मूल्यांकन के आधार पर आजीविका दृष्टिकोण को अपनाया गया था ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के विशेष कार्यों को सरलीकृत करने के उद्देश्य से एनआईआरडी और पीआर में विशेष परियोजनाएं और संसाधन कक्ष स्थापित किए गए हैं । इनमें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) पर संसाधन कक्ष, ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) पर परियोजना कक्ष, आदि शामिल है । इसके अलावा 2012 में एस.आर. शंकरन चेयर की स्थापना भी की गई थी । ग्रामीण श्रम की स्थितियों में सुधार के लिए अनुसंधान और नीति संवाद को बढ़ावा देने के लिए संस्थान द्वारा इन परियोजनाओं और सेलों का विवरण नीचे दिया गया है ।

5.1 डीडीयू-जीकेवाई प्रभाग

इस संभावना को समझते हुए, सरकार ने जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), उडान जैसी कई योजनाओं को स्किलिंग और रोलिंग के लिए अलग-अलग मंत्रालय बनाने की प्रमुख पहल की है । डीडीयू-जीकेवाईएस ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत देश के ग्रामीण युवाओं के लिए नियुक्ति से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है । रोशनी, हिमायत, सगममाला, प्रो-लाइफ भी डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत आते हैं । कार्यक्रम परियोजना मोड में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जहां सरकार पूरी लागत का वहन करती है । प्रशिक्षण अवधि 3 महीने से 12 महीने तक भिन्न होती है ।

एनआईआरडीपीआर में सेंटर फॉर स्किल्स एंड जॉब्स (सीएसजे) में डीडीयू-जीकेवाई डिवीजन केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसियों (सीटीएसए) में से एक है, डीडीयू-जीकेवाई, हिमायत (जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष कार्यक्रम) और रोशनी के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (सबसे महत्वपूर्ण वामपंथी आतिवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पहल)। सीटीएसए के रूप में, एनआईआरडीपीआर 18 राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के महत्वपूर्ण अंग के रुप में कार्य करता है जिसमें 3 उत्तर-पूर्वी राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं ।

5.1.1 निगरानी और मूल्यांकन

निम्नलिखित गतिविधियों के लिए डीडीयू जीकेवाई उत्तरदायी है:

- सम्यक परिश्रम समर्थन
- नियुक्ति सत्यापन
- प्रशिक्षण और विकास
- परियोजनाओं की प्रदर्शन निगरानी
- राज्यों के प्रदर्शन / गैर-प्रदर्शन की समीक्षा करना और मंत्रालय में आगे बढ़ना
- एमओआरडी और राज्यों में समर्थन करना:
- मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को लागू और अद्यतन करना और दिशानिर्देश संशोधन
- शिकायत का निपटान
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों का अनुभव और परामर्श
- प्रभाव अनुसंधान परियोजनाओं को जारी रखना

आगे, यह प्रभाव डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम में उच्च ड्रॉप-आउट दर के कारणों पर एक शोध परियोजना के लिए कई राज्यों से डेटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करने में सक्रिय रूप से शामिल है ।

सीटीएसए के रूप में एनआईआरडीपीआर ने लगभग सभी राज्यों को महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतकों को परिभाषित करने, उन्हें मापने, डिफ़ॉल्ट प्रबंधन का प्रबंधन करने आदि के लिए अनुभव प्रदान किया है । इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप राज्यों में परियोजनाओं में बेहतर प्रदर्शन हुआ है । चूंकि सीटीएसए संरचित निरीक्षण एसआरएलएम और पीआईए प्रशिक्षण केंद्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं कि वे मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार कौशल कार्य कर रहे हैं । वर्ष के दौरान किए गए निरीक्षण तालिका 5 में दिए जाते हैं ।

तालिका 5 - 2017-18 के दौरान आयोजित निरीक्षण

क्र.सं.	राज्य	संपूरित निरीक्षण की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	223
2	असम	127
3	बिहार	94
4	छत्तीसगढ	10
5	गुजरात	17
6	हरियाणा	21
7	झारखंड	72
8	कर्नाटक	111
9	केरल	125
10	मेघालय	1
11	ओडिशा	28
12	पंजाब	108
13	राजस्थान	50
15	तमिलनाडु	7
16	तेलंगाना	153
17	पश्चिम बंगाल	50
	कुल	**1197**

5.1.2 प्रशिक्षण और विकास

डीडीयू-जीकेवाई का प्रशिक्षण और विकास विभाग, सेंटर फॉर स्किल्स एंड जॉब्स, एनआईआरडीपीआर द्वारा डीडीयू-जीकेवाई परियोजना के विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण हस्तक्षेप प्रदान करता है । हितधारकों में शामिल हैं:

क. विभिन्न स्तरों पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के अधिकारी:

- सीईओ, सीओओ, एसपीएम, परियोजना प्रबंधक, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी

ख. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्यकर्ता

- सीईओ, ऑपरेशंस टीम, क्वालिटी टीम, एमआईएस टीम, डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों के फाइनेंस टीम ट्रेनर्स

वित्त वर्ष 2017-2018 के लिए आयोजित प्रशिक्षण निम्नानुसार हैं:

प्रशिक्षण कवरेज: 2017-2018	
कार्यक्रमों की कुल संख्या	170
लक्ष्य के विपरीत प्रशिक्षण	92%
प्रशिक्षित हितधारकों की कुल संख्या	4646
कवर किए गए राज्यों की संख्या	23

टी एवं डी दल

18 एनआईआरडीपीआर राज्यों और अन्य एनएबीसीओएनएस राज्यों में भाग लेना

परिसर में और बाहर एसएमई द्वारा प्रशिक्षण वितरण समन्वय

हितधारकों के लिए सह-वितरण / अग्रणी प्रशिक्षण सत्र

जनवरी-मार्च 2018 में कार्यशाला पंजीकरण डिजिटलीकरण करके पेड़ का 6% बचाया ।

प्रशिक्षण और कार्यशालाओं, ऑन और बाहरी कैंपस में संभावित पीआईए (प्री-पीआरएन) के लिए अभिमुखीकरण, संभावित पीआईए (पीआरएन के साथ) के लिए अभिमुखीकरण, परियोजनाओं के साथ नए पीआईए के लिए प्रेरण, पीआईए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण - कौशल प्रवीण, डीडीयू पर एसआरएलएम के लिए प्रेरण -जीकेवाई / एसओपी, एमपीआर और ई-एसओपी (आभासी) पर विषयपरक कार्यशाला, एमपीआर सिस्टम और एमआईएस विषयों पर कार्यशालाएं, वित्त और मूल्यांकन विषयों, पीएफएमएस पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, उचित परिश्रम, डिफ़ॉल्ट प्रक्रियाएं, क्यूए, निरीक्षण इत्यादि सम्मिलित है ।

क) प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए: कौशल प्रवीण (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण)

ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. 61/2017 2.iii के अनुसार पीआईए और अन्य प्रशिक्षण भागीदारों के लिए एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है । इसके अलावा, बेसलाइन और बेंचमार्क प्रशिक्षण की गुणवत्ता की आवश्यकता है और इसे उद्योग मानकों से मेल खाना आवश्यक है । इस दृष्टि से, अक्तूबर, 2017 के एनआईआरडीपीआर में पीआईए के साथ एक परामर्श आयोजित किया गया था । पीआईए से प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतराल को जोड़ने और डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, दिसंबर 2017 में प्रारंभिक परीक्षण और मूल्यांकन के बाद प्रतिकृति के लिए एक मॉडल कार्यशाला डिजाइन और प्रयोग की गई थी । डिज़ाइन किए गए मॉडल में पंजीकरण, प्री-टेस्ट (एंड्रोगोगी और कौशल प्रशिक्षण पद्धति और सिद्धांतों का ज्ञान), पूर्व कार्यशाला डेमो शिक्षण को मौजूदा वितरण कौशल का आकलन करने के लिए 6 चरणों में शामिल किया गया है, 3 दिवसीय कार्यशाला जिसमें कौशल प्रशिक्षण पद्धति पर 3 प्रैक्टिस टीच-बैकस शामिल हैं एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक और ऑनलाइन लाइव डिलीवरी के अवलोकन के रूप में ऑनलाइन परामर्श सीखा । इस प्रयास के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्र कौशल परिषद आरएएससीआई की विशेषज्ञता का लाभ उठाया और ग्रामीण उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयुक्त 72 घंटे की सुविधा मार्गदर्शिका विकसित की ।

ख) प्रशिक्षण पद्धति के लिए लाइव प्रयोगशाला और टीओटी प्रशिक्षण के प्रभाव को आंकना

टीओटी एक समय कार्यक्रम नहीं है । प्रभाव को मापने और प्रशिक्षक के अनुभव को नई पद्धति के फायदे में मदद करने के लिए, प्रत्येक क्षेत्र में 2-3 जीवंत प्रयोगशालाएं बनाई जाती हैं और एनआईआरडीपीआर गुणवत्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त प्रशिक्षकों के निरंतर अवलोकन का संचालन करेगा । गुणवत्ता जांच के लिए परामर्श और लाइव अवलोकन के लिए आभासी अवलोकन का संयोजन अपनाया जाता है ।

ग) आयोजित अनुसंधान और विकास

- एम एंड ई टीम के सहयोग से, एसआरएलएम में डीडीयू-जीकेवाई के लिए जनशक्ति का अध्ययन आयोजित किया गया था, जो डीडीयू-जीकेवाई लागू करने के लिए जिम्मेदार एसआरएलएम अधिकारियों के एचआर बेस को मजबूत करने के लिए सिफारिशें प्रदान करना था ।
- एसओपी के एसएफ 5.2 में एवं उद्योग संरेखन के लिए प्रशिक्षण गुणवत्ता मापन रूब्रिक विकसित किया गया

घ) शुरू किया गया प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप

1. प्रशिक्षण प्रशासन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए कार्यशालाओं का ऑनलाइन पंजीकरण सक्षमता
2. पंजीकरण से प्रमाण पत्र तक कार्यशालाओं के पेपरलेस आयोजन क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्रति कार्यशाला के पेपर की औसतन 30 शीट की बचत
3. वास्तविक प्रशिक्षण डैशबोर्ड जो वास्तविक समय में प्रशिक्षण कवरेज को कैप्चर और प्रकाशित करता है
4. शुरू किया गया वास्तविक प्रशिक्षण
5. प्रशिक्षण डेटा के लिए लाइव डैशबोर्ड

ड.) जारी किया गया कौशल समाचार

ट्रेनिंग प्रभाग से एक ई-न्यूजलेटर जो मासिक समाचार और हितधारकों की स्किलिंग की सूचना प्रकाशित करता है उसे 2018 में जारी किया गया था और उद्घाटन केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था । न्यूजलेटर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एसआरएलएम और पीआईए कर्मियों के अधिकारियों को वितरित किया जाता है ।

च) आयोजित आवश्यकता विश्लेषण

प्रशिक्षण आवश्यकताओं को एक संरचित आवश्यकताओं के विश्लेषण प्रश्नावली के माध्यम से राज्यों के साथ आयोजित किया गया था, जिसने 2018-2019 के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर की योजना बनाने के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण में मदद की है ।

एनआईआरडी एवं पीआर द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा आयोजित क्रियाकलाप आधारित कक्षाएँ

छ) कार्यशालाएं

वित्तीय वर्ष 2016-17 में शुरू किए गए प्रयासों को जारी रखने के लिए अप्रैल-अगस्त 2017 के महीनों के दौरान 5 राज्यों, असम, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब में 2074 डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों के लिए 77 कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं ताकि केंद्रों में छात्रों को प्रेरित करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सके ।

5.1.3 आईटी प्रभाग के कार्य

एमआईएस, आईटी और तकनीकी सहायता की जरूरतों को पूरा करने के लिए आईटी प्रभाग का गठन किया गया था । आईटी टीम विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने में लगी है जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के विकास, विभिन्न रिपोर्टों के साथ परियोजनाओं से संबंधित डेटा / सूचना के साथ समर्थन, आईटी बुनियादी ढांचे का रखरखाव, अनुप्रयोग और विक्रेता प्रबंधन, ई कार्यालय के लिए तकनीकी सहायता, वीपीएन , आईएमएपी और डीएससी स्थापना और विन्यास, आदि कार्यों में कार्यरत है । 2017-18 के दौरान की गई विभिन्न एमआईएस गतिविधियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

1. अनुप्रयोग विकास

1.1. मूल्यांकन मॉड्यूल

डीडीयू-जीकेवाई में परियोजना मूल्यांकन और स्वीकृति प्रक्रिया एसआरएलएम को स्वीकृति के लिए निर्णय लेने में एक संरचित तरीके से पीआईए के अनुप्रयोगों का आकलन और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है । सीटीएसए आईटी मंच के मूल्यांकन मॉड्यूल का उपयोग करते हैं । आईटी डिवीजन ने मूल्यांकन मॉड्यूल विकसित किया है और परियोजनाओं के कुशल प्रबंधन के लिए सभी राज्यों के लिए सक्षम बनाया है । मूल्यांकन मॉड्यूल के शेयर धारकों में आवेदक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए), परियोजना मूल्यांकन एजेंसियां (पीएए), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम), केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसियां (सीटीएसए) और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के अधिकारी शामिल हैं।

1.2. डीयूडीजीकेवाई. इंफो

डीडीयूजीकेवाई के एमआईएस अनुभाग, एनआईआरडीपीआर ने आंतरिक रूप से विकसित सभी अनुप्रयोगों को आरंभ करने के लिए “डीडीयु-जीकेवाई. इंफो” नामक पोर्टल विकसित किया है । इन सभी अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए नियमित रखरखाव की जरूरतों को पूरा किया है जिसमें होस्टिंग सेवर्स, सर्वर क्षमताओं का उन्नयन, डाटाबेस क्षमता, क्लाउड सर्वर विनिर्देश इत्यादि शामिल हैं । विभिन्न प्रयोगों को एकत्रित किया जाता है और इस पोर्टल पर प्रबंधित किया जाता है ।

1.2.1. पदस्थापन मॉड्यूल

डीडीयूजीकेवाई के एमआईएस अनुभाग, एनआईआरडीपीआर ने एसओपी और दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजनाओं की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “प्लेसमेंट” मॉड्यूल विकसित किया है । इससे एसआरएलएम ने न्यूनतम प्रशिक्षण और नियुक्ति मानदंडों पर विचार करके पात्र परियोजनाओं की आंशिक प्रक्रिया शुरू करने में मदद की । प्लेसमेंट मॉड्यूल के हित धारकों में पीआईए क्यू टीम, एसआरएलएम और सीटीएसए के अधिकारी शामिल हैं ।

1.2.2. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल

डीडीयूजीकेवाई के एमआईएस सेक्शन, एनआईआरडीपीआर ने लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, प्रिंटर, वाई-फाई डिवाइस, सर्वर इत्यादि जैसे सभी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक को बनाए रखने के लिए “आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर” मॉड्यूल विकसित किया है, रखरखाव में कर्मचारियों को गैजेट आबंटन, अद्यतन करना शामिल है स्टॉक विवरण ऑनलाइन, कर्मचारियों से ऑनलाइन घोषणा जारी करना और कोई देय प्रमाणपत्र नहीं आदि । आईटी आधारभूत संरचना मॉड्यूल के शेयर धारकों में एनआईआरडीपीआर के डीडीयूजीकेवाई के कर्मचारी शामिल हैं ।

1.2.3. पावती ट्रैकर

डीडीयूजीकेवाई के एमआईएस अनुभाग, एनआईआरडीपीआर ने एमओआरडी, पीआईए और डीडीयूजीकेवाई आंतरिक कर्मचारियों से प्राप्त डीडीयूजीकेवाई कर्मचारियों की ई-ऑफिस में फाइलों और रसीदों को ट्रैक करने के लिए “पावती ट्रैकर” मॉड्यूल विकसित किया है । प्राप्त फाइलों और रसीदों पर यह मॉड्यूल व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को नंबर की स्थिति और उस पर कार्रवाई की गई जानने में मदद करता है । उपयोगकर्ता को प्राप्त फाइल / रसीदों के खिलाफ की गई कार्रवाई की स्थिति को अपडेट करना होगा।

डैशबोर्ड लंबित फाइलों / रसीदों की स्थिति और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किए गए समय को समझने में मदद करता है । पावती ट्रैकर मॉड्यूल के हित धारकों में डीडीयु जीकेवाई एनआईआरडी एवं पीआर के कर्मचारी शामिल हैं ।

1.3. ग्रामीण संयोजन (कॉल सेंटर एप्लिकेशन)

डीयूडीजीकेवाई के एमआईएस अनुभाग, एनआईआरडीपीआर ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के तहत विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं से संबंधित शिकायत और जानकारी के संचालन के लिए “ग्रामीण संयोजन” एप्लिकेशन विकसित किया है ।

“ग्रामीण संयोजन” एक अद्वितीय केंद्रीकृत आईटी मंच है जो शिकायत निवारण, विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी और एमओआरडी के तहत योजनाओं

की निगरानी जैसे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करेगा । ग्रामीण संयोजन एनसीएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत सभी एसआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) की मदद करेगा ताकि ईको सिस्टम के भीतर विभिन्न योजनाओं के सभी लाभार्थियों / शेयरधारकों की सूचना आवश्यकताओं और शिकायतों का निपटान कर सके ।

1.4. डीडीयू-जीकेवाई के लिए ईआरपी प्रणाली (आरंभिक चरण)

डीडीयू-जीकेवाई एनआईआरडीपीआर के एमआईएस अनुभाग ने डीडीयूजीकेवाई के तहत सभी परियोजनाओं के लिए एकल आईटी मंच की अवधारणा में डीडीयूजीकेवाई परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए "कौशल भारत" नामक "डीयूडीजीकेवाई के लिए ईआरपी सिस्टम" विकसित करने की शुरुआत की। यह डीडीयूजीकेवाई एसओपी और दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार डीडीयूजीकेवाई के अंतिम प्रक्रिया प्रवाह के रूप में कार्य करेगा ।

2. एप्लिकेशन रखरखाव

2.1. ई एसओपी लर्निंग पोर्टल

डीयूडीजीकेवाई एनआईआरडीपीआर के एमआईएस अनुभाग ने डीयूडी-जीकेवाई एसओपी के ई-लर्निंग की अवधारणा को डिजाइन किया है और सी-डैक की मदद से विकासशील साझेदार के रूप में "ईएसओपी लर्निंग पोर्टल" नामक एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है । ईएसओपी पोर्टल मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं को सीखने के लिए विभिन्न स्तरों पर डीडीयू-जीकेवाई परियोजना के सभी कार्यकर्ताओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है । यह प्रमाणन परीक्षा से गुजरने के लिए परियोजना में शामिल विभिन्न कार्यकर्ताओं को भी सक्षम बनाता है । एमओआरडी द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा एसओपी पैरामीटर में संशोधन को ध्यान में रखते हुए सामग्री और प्रश्न बैंक तदनुसार अपडेट किया गया था ।

पोर्टल को अधिक आकर्षक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए कई यूजर इंटरफेस (यूआई) संशोधन किए गए थे। पोर्टल के बढ़ते उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करने के लिए, कई सर्वर और बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन अपडेट किए गए थे और उपयोगकर्ताओं के लिए नई रिपोर्ट शामिल की गई हैं । "ईएसओपी लर्निंग पोर्टल" के शेयर धारक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम), तकनीकी सहायता एजेंसियां (टीएसए), केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसियां (सीटीएसए) और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी भी हैं।

3. क्षमता निर्माण

डीयूडीजीकेवाई एनआईआरडीपीआर के एमआईएस अनुभाग ने डीडीयूजीकेवाई की एमआईएस गतिविधियों पर विभिन्न हित धारकों को क्षमता निर्माण प्रदान करने में रत है, जिसमें "डीडीयूजीकेवाई के लिए एमपीआर सिस्टम", "ईएसओपी लर्निंग पोर्टल", "एमआरजीएस", "कौशल पंजी", "मूल्यांकन मॉड्यूल" शामिल है । , एनआईएफडीआर कैंपस और एसआरएलएम कार्यालयों में ईऑफिस, गूगल शीट टेम्पलेट्स इत्यादि। स्टेक धारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाक्षिक आधार पर एमआईएस गतिविधियों पर व्यापार स्काइप पर रिमोट ट्रेनिंग (वर्चुअल क्लासेस) को कार्यान्वित किया गया ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए), संभावित पीआईए, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) और केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (एनआईआरडीपीआर) के अधिकारी शामिल हैं ।

5.1.4 कौशल नवोन्मेषण हब

दिसंबर 2017 में स्थापित, स्किल इनोवेशन हब एक नए कोण के तहत एनआईआरडीपीआर का विस्तार करने की योजना बना रहा है जो भविष्य में तैयार विपणन योग्य कुशल उद्यमियों और / या कार्यबल के लिए ग्रामीण आबादी को सक्षम करने के लिए विभिन्न अभिनव दृष्टिकोणों की पहचान करेगा । हब निम्नलिखित कार्य करता है ।

1. राष्टीय कौशल मंत्रालय, आरएसई, के अंतर्गत डीडीयू - जीकेवाई और अन्य समान कार्यक्रमों समेत देश में कौशल को गति देने के लिए नवप्रवर्तन रणनीतियों की संकल्पना करना और जुटाना
2. कौशल विकास को सक्षम करने वाले नए क्षेत्रों की खोज करना जो रोजगार निर्माण या उद्यमिता विकास के लिए संभावित है और रणनीतियों का गठन करते हैं और कौशल संरचना तैयार करते हैं जिससे विद्यमान प्रक्रिया में उन्हें मंजूरी मिलें
3. एशिया और अफ्रीकी महाद्वीपों पर विशेष ध्यान देकर अन्य देशों को सेवा सुपुर्दगी के लिए अंतरराष्ट्रीय 'कौशल हब' के रुप में एनआईआरडीपीआर का प्रदर्शन करना
4. देश के अनौपचरिक क्षेत्र के कौशल के लिए रणनीतियाँ तैयार करना और कार्यक्रम विकसित करना

नवप्रवर्तन एवं कार्यान्वयन के लिए, हम चित्र में दर्शाए गए डबल-लूप का अनुसरण करेगे।

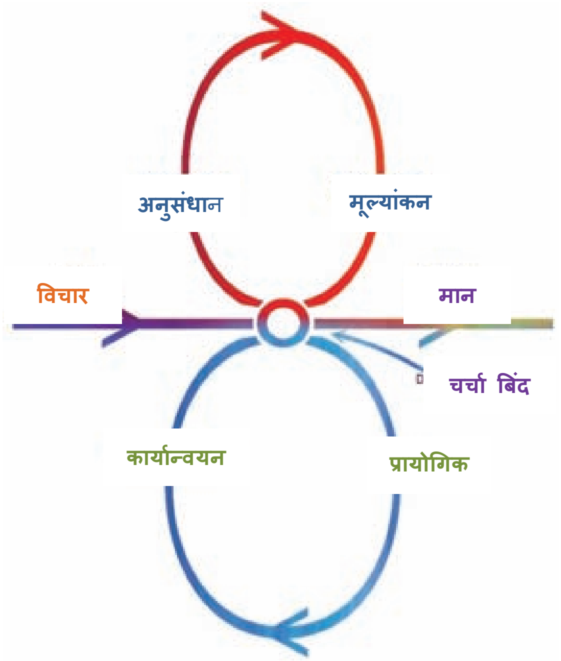

डबल-लूप हमें एक ऐसे विचार के विकास के विभिन्न चरणों के से ले जाता है जो हमारे विशाल देश के सुदुर तक पहुंचाएगा । शीर्ष लूप एक शोध और मूल्यांकन-आधारित क्षेत्र है, जिसमें एनआईआरडीपीआर की 25 से अधिक केंद्रों में विशेषज्ञता हासिल है जबकि निचला लूप क्रिया-आधारित कार्यान्वयन है जिसमें एनआईआरडीपीआर, डीडीयू-जीकेवाई और पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य करती है । इन दो लूपों का अभिसरण मूल बिंदु को दर्शाता है । परियोजना की आवश्यकता के आधार पर, लूप (एस) पर बल और कार्रवाई का निर्णय दिया जाना चाहिए ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में, इनोवेशन हब ने निम्नलिखित कार्यों को पूरा किया-

1. महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी के लिए उद्यमिता विकास केंद्र, ओएसडी के सहयोग से ग्रामीण गृहस्थ पर्यटन के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया ।
2. इन्नोवेशन हब ने मॉनीटर के लिए एसओपी विकसित किया जो डीडीयू-जीकेवाई की विभिन्न निगरानी और मूल्यांकन गतिविधियों में कार्यरत है ।
3. डीडीयू-जीकेवाई के अन्य वर्टिकल के सहयोग से, इन्नोवेशन हब ने एसओपी के तीसरे संस्करण को संशोधित किया, जिसे अग्रेषित करने के लिए संयुक्त सचिव, कौशल, एमओआरडी को अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया गया है ।
4. इन्नोवेशन हब ने एनआईआरडीपीआर के लिए एनएएसएससीओएम और एफआईसीसीआई की सदस्यता प्राप्त की ।

5.1.5 वित्तीय निगरानी

इस प्रभाग ने 18 कार्य योजनाओं (एपी) राज्यों के त्रैमासिक यादृच्छिक लेखापरीक्षा सत्यापन के माध्यम से वित्तीय समवर्ती निगरानी आयोजित की । एसओपी, एनआईआरडी और पीआर के अनुसार एपी राज्यों में परियोजनाओं के तिमाही यादृच्छिक लेखा परीक्षा आयोजित करना है । 2016-17 के दौरान एमओआरडी ने सीटीएसए को वार्षिक योजना राज्यों में कार्य योजना राज्यों में स्वीकृत सभी परियोजनाओं को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है । चूंकि सभी परियोजनाओं को संबंधित एसआरएलएम में स्थानांतरित कर दिया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान एनआईआरडी और पीआर ने 18 कार्य योजना राज्यों में सत्यापन किया हैं जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

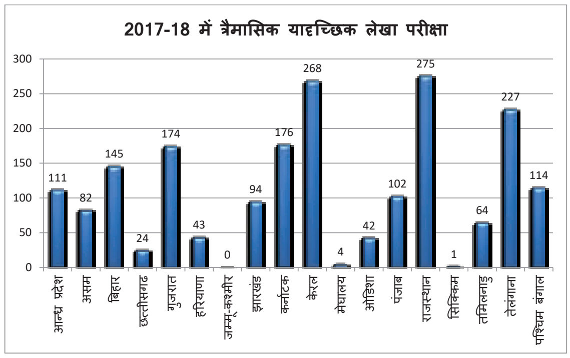

5.1.6 परियोजना मूल्यांकन एजेंसी (पीएए)

पीएए के स्तर पर डीडीयू-जीकेवाई डिवीजन ने पूरे देश में 13 राज्यों में प्रारंभिक स्क्रीनिंग और योग्यता मूल्यांकन किए, इसके बाद परियोजना स्वीकृति समिति की बैठकों में भाग लिया ।

डीडीयू-जीकेवाई में मूल्यांकन प्रक्रिया दो चरणों में एक संरचित तरीके से आवेदन का आकलन और मूल्यांकन करता है, जैसे प्रारंभिक स्क्रीनिंग और योग्यता मूल्यांकन। प्रारंभ में गुणात्मक मूल्यांकन एजेंसियों को आउटसोर्स किया गया था, प्रभाग अब मूल्यांकन की अंत तक प्रक्रिया को आयोजित करता है । मूल्यांकित स्थिति नीचे दी गई तालिका में इंगित की गई है जिसके बाद प्रारंभिक स्क्रीनिंग और योग्यता मूल्यांकन स्थिति का चित्र में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 6: मूल्यांकन स्थिति

31 मार्च 2018 (2017-18) को मूल्यांकन स्थिति									
क्र.सं	परियोजना राज्य	प्राप्त कुल प्रस्ताव	अतिरिक्त लक्ष्य	औद्योगिक इंटर्नशिप	प्रारंभिक जांच			योग्य मूल्यांकन	
					अनुशंसित (चैंपियन नियोक्ता)	अनुशंसित (गैर-चैंपियन नियोक्ता)	सिफारिश नहीं की गई	सिफारिश की गई	सिफारिश नहीं की गई
1	आन्ध्र प्रदेश	13	0	0	0	6	7	4	2
2	असम	169	1	2	6	41	119	31	10
3	बिहार	277	0	1	10	115	151	86	29
4	छत्तीसगढ	290	0	0	12	108	170	81	27
5	हरियाणा	56	0	0	7	15	34	8	7
6	जम्मू एवं कश्मीर	151	13	0	10	26	102	16	10
7	झारखंड	237	0	1	8	74	154	60	14
8	कर्नाटक	173	1	0	9	63	100	43	20
9	मेघालय	25	0	0	3	9	13	6	3
10	पुडुचेरी	1	0	0	0	0	1	0	0
11	सिक्किम	26	0	0	1	10	15	6	4
12	तेलंगाना	128	8	0	3	21	96	5	16
13	उत्तराखंड	79	0	3	4	20	52	15	5
	कुल योग :	1625	23	7	73	508	1014	361	147

ग्राफ - 7: प्रारंभिक स्क्रीनिंग की स्थिति

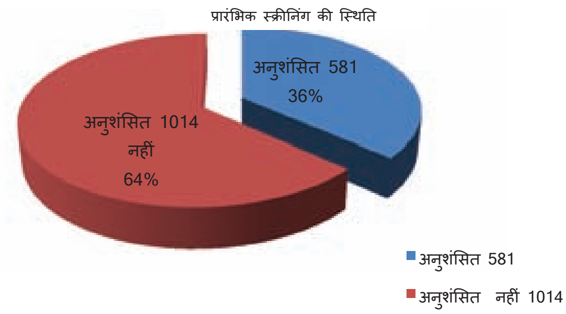

ग्राफ - 8 : योग्य मूल्यांकन की स्थिति

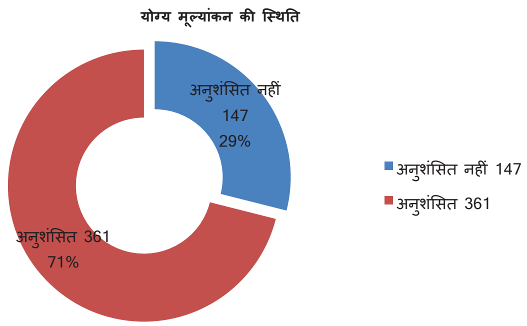

5.1.7 पीएफएमएस के लिए नोडल एजेंसी (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम)

एनआईआरडीपीआर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के लिए नोडल एजेंसी है और किए गए कार्यों में हैं:

- नए बैंक खातों का पंजीकरण
- एकाधिक बैंक खातों का जोड़ और संयोजन
- तकनीकी सहायता का प्रावधान
- एसआरएलएम और पीआईए का क्षमता निर्माण

5.1.8 परियोजना कार्यनिष्पादन पर प्रतिनिवेश का प्रावधान

देश के 18 राज्यों में डीयूडीजीकेवाई / रोशनी / हिमायत / सगरमाला के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर एसआरटीए प्रतिक्रिया प्रदान की गई । सीआईटीएसए के रूप में एनआईआरडी और पीआर ने विभिन्न राज्यों के पीएसी को 654 से अधिक फीडबैक प्रस्तुत किए। समितियों में निर्णय समर्थन के लिए इस्तेमाल किया गया है । प्रदान की गई सीटीएसए प्रतिक्रिया की स्थिति नीचे चित्र में इंगित की गई है:

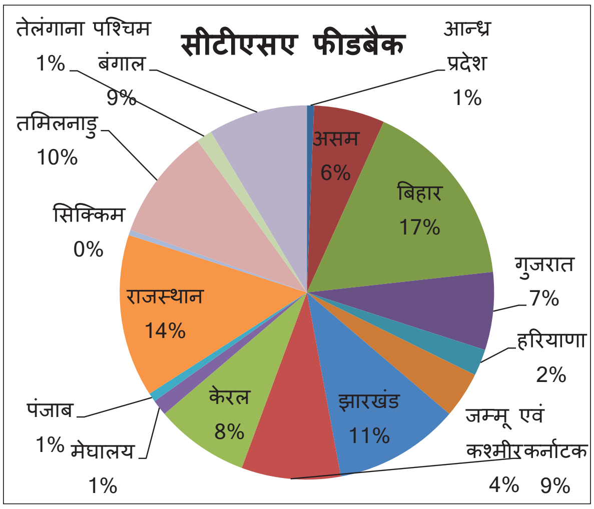

5.2 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा शुरू किया गया था । मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के कुशल और प्रभावी संस्थागत प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिससे उन्हें स्थायी आय के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में मदद मिल सके । आजीविका में वृद्धि और वित्तीय सेवाओं में बेहतर पहुंच हो सके । एसजीएसवाई के मूल्यांकन और ग्रामीण ऋण मुद्दों पर समिति के आधार पर गरीबी को खत्म करने के लिए आजीविका दृष्टिकोण अपनाया गया था ।

सरकार ने गरीबी में कमी के लिए अधिक ध्यान और गति प्रदान करने और 2015 तक सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को प्राप्त करने के लिए समिति की सिफारिश को स्वीकार किया और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में पुनर्गठित एसजीएसवाई को स्वीकार किया । मिशन औपचारिक रूप से 3 जून 2011 को प्रारंभ किया गया था, एनआरएलएम का नाम बदलकर दीन दयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम (डीएई-एनआरएलएम) रखा गया। विभिन्न ग्रामीण आजीविका अंतर्दृष्टि को सुविधाजनक बनाने के लिए संसाधन सेल बनाया गया था । इसके अलावा, उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय एनआरएलएम संसाधन केंद्र की स्थापना जुलाई, 2015 में एनईआरसी, गुवाहाटी में उत्तरी पूर्वी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी ।

5.2.1 एनआरएलएम के उद्देश्य

1. गरीब परिवारों को कार्यात्मक रूप से प्रभावी एसएचजी और उनके संघों में संग्रहित करना
2. बैंक क्रेडिट और वित्तीय, तकनीकी और विपणन सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि
3. लाभदायक और स्थायी आजीविका विकास के लिए क्षमताओं और कौशल का निर्माण
4. गरीब परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सहायता सेवाओं के कुशल वितरण के लिए विभिन्न शैक्षिक एम्स का अभिसरण करना

5.2.2 एनआरएलएम संसाधन सेल, एनआईआरडी और पीआर के उद्देश्य

1. एनआरएलएम संसाधन सेल (एनआरएलएम आरसी) से कार्यान्वयन समर्थन की व्यवस्था करते हुए एसआरएलएम की क्षमता निर्माण के माध्यम से एनआरएलएम के कार्यान्वयन को मजबूत करना ।
2. आवश्यकता के अनुसार सभी एसआरएलएम और एमओआरडी के लिए एनआरएलएम संसाधन सेल से प्रशिक्षित राष्ट्रीय, राज्य, जिला, फील्ड व्यावसायिकों के निरंतर प्रवाह की सुविधा देना ।

5.2.3 प्रमुख गतिविधियां

आरसी, एनआईआरडीपीआर ने 2017-18 के दौरान प्रमुख 5 क्रियाकलापों को निष्पादित किया

1) एसआरएलएम की आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमता निर्माण (सीबी) की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण और कार्यशाला
2) क्षेत्र में आयोजित अध्ययन
3) 6 वां वार्षिक राष्ट्रीय राइटशॉप आयोजित किया
4) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास
5) एनआईआरडीपीआर के अन्य इकाइयों को समर्थन

5.2.4 2017-18 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

क) वर्ष 2017-18 के दौरान एनआरएलएम आरसी ने 155 ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया और एसआरएलएम अधिकारियों, एसआईआरडी संकाय सदस्यों, क्षमता निर्माण एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, पीआईए, सरकारी अधिकारियों और सीबीओ आदि को एमओआरडी कार्यक्रमों का समन्वय भी किया । सीबी कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित इस प्रकार हैं ।

ख) आयोजित किए गए अध्ययन

एनआरएलएम आरसी ने इस साल कुछ अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। विवरण निम्नानुसार हैं:

1) समुदाय आधारित संगठनों द्वारा प्रबंधित सामुदायिक निवेश कोष पर अध्ययन

2) गैर-संक्रमणीय रोगों के नियंत्रण और प्रबंधन को बढ़ावा देने में महिलाओं के स्व-सहायता समूहों की

तालिका 7: सी बी कार्यक्रमों की जानकारी

क्र.सं.	विवरण	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागीगण	ग्राहक
1	एनआईआरडीपीआर कैंपस प्रशिक्षण	55	1953	एनआरएलएम अधिसदस्य, एसपीएम, डीपीएम, बीबीएम, बीपीएफटी, सीसी, सीआरपी और अन्य विभागीय कर्मचारी
2	एनआरएलएम (आरसी) द्वारा आयोजित कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम	76	3878	डीपीएम, बीपीएम, एनजीओ, बीसीसी और अन्य विभागीय कर्मचारी
3	एनआईआरडी और पीआर द्वारा समर्थित ऑफ कैंपस कार्यशाला	9	284	सीसी, सीटी, सीएम, बीपीएम, डीपीएम, एसपीएम, एसएपीएस, थीमैटिक विशेषज्ञ, वीओ और सीएलएफ ईसी सदस्य, एमडी, सीईओ
4	एनएमएमयू, एमओआरडी के साथ समन्वयित एनआईआरडीपीआर कैंपस कार्यशालाएं	15	376	सीईओ, एसपीएम, एनजीओ वरिष्ठ अधिकारी, समुदाय
	कुल	155	6491	

भूमिका पर अध्ययन - कुड्डम्बश्री मिशन, केरल के तहत स्वास्थ्यम और सांतवानम पहल

3) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन **(एसआरएलएम)** द्वारा पोषण और डब्ल्यु ए एस एच (वॉश) पर किए गए कार्यों को प्रलेखन करना

ग) प्रशिक्षण मॉड्यूल और संसाधन सामग्री का विकास - एनआरएलएम आरसी ने एसएचजी बैंक लिंकेज, लिंग और विकेंद्रीकरण, एसवीईपी - ई-प्रशिक्षण मॉड्यूल, संस्थागत तंत्र, लिंग और गतिशीलता, सामुदायिक प्रबंधित स्थायी कृषि के लिए संसाधन मार्गदर्शिका पर हैंडबुक जैसे प्रशिक्षण मॉड्यूल और संसाधन सामग्री विकसित की , एसवीईपी- पीआईए अभिविन्यास, लिंग और आजीविका, अधिकार, एंटाइटेलमेंट्स और सेवाएं, महिला एवं शिक्षा और लिंग - खाद्य और पोषण।

5.3 ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) परियोजना:

एनआईआरडी और पीआर ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के आरएसईटीआई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य सामान्य रूप से ग्रामीण युवाओं और बीपीएल में प्रचलित बेरोजगारी की समस्या को कम करना है । इस परियोजना के तहत, युवाओं के कौशल विकास / कौशल उन्नयन के लिए आरएसटीआई नामक प्रत्येक जिले में एक समर्पित आधारभूत संरचना का प्रस्ताव है । एनआईआरडीपीआर को विभिन्न प्रायोजन बैंकों से बुनियादी ढांचे अनुदान प्रस्तावों को प्राप्त करने और प्रसंस्करण की जिम्मेदारी दी जाती है, एमओआरडी की मंजूरी लेना, प्रतिबंधों को व्यक्त करना और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन जारी किया जाता है । एनआईआरडीपीआर विभिन्न

जिला स्तरों के साथ-साथ राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ भूमि / कब्जे के आबंटन से संबंधित मुद्दों को भी उठाता है और उन्हें हल करने की कोशिश करता है । एनआईआरडीपीआर आरसेटी भवनों के निर्माण में बैंकों को भी सहायता / मार्गदर्शन और सुझाव देता है । इसके अलावा, एनआईआरडीपीआर बैंक के नोडल अधिकारी, राज्य के संपर्क अधिकारी के लिए कार्यशालाएं आयोजित करके विभिन्न हितधारकों के क्षमता निर्माण कार्य में शामिल है । एनआईआरडीपीआर ने प्रशिक्षण के लिए मानक पाठ्यचर्या मॉड्यूल तैयार किया है । एनआईआरडीपीआर आरसेटी के नेटवर्किंग का निर्माण करने के लिए समय-समय पर **"एंटरप्राइज़"** - आरसेटी त्रैमासिक समाचार पत्र, सफलता की कहानियां इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकाशन को भी प्रकाशित करता है ।

5.3.1 उपलब्धि की प्रगति

31.3.2018 तक विभिन्न बैंकों द्वारा प्रायोजित देश में 587 कार्यात्मक आरसेटी हैं । एनआईआरडी और पीआर ने अब तक 31.3.2018 को कुल 356.20 करोड़ रुपये 486 आरएसईटीआई जारी किए हैं, जिसमें 29 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं । 212 जिलों में आरएसटीआई भवनों का निर्माण पूरा हो गया है और 88 अन्य स्थानों पर पूरा हो रहा है । निर्माण कार्य प्रगति पर है और शेष जिलों / स्थानों पर है । वर्ष के दौरान 29.01 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई ।

5.4 एस.आर. शंकरन चेयर

जाने माने प्रसिद्ध सिविल सेवक श्री एस.आर. शंकरन के सम्मान में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज में शंकरन चेयर (ग्रामीण श्रम) की स्थापना की गई है जिन्होंने आजीवन और सेवानिवृत्ति के बाद अपने निर्धन तक गरीबों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास किया । चेयर का उद्देश्य उन मुद्दों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है जो कार्य की दुनिया में सुधार और ग्रामीण श्रम के जीवन में सुधार लाने में मदद करेंगे । सहयोगी अनुसंधान, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और नीतियों के संवाद, संस्थानों, संगठनों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को समान उद्देश्यों के साथ शामिल करते हुए, और परिणामस्वरूप कागजात, प्रसिद्ध पत्रिकाओं, पुस्तकों और नीतिगत ब्रीफ के माध्यम से बड़े सार्वजनिक क्षेत्र आदि चेयर के लिए सेट किए गतिविधियों का भाग है । अगस्त, 2012 से इसने औपचारिक कार्य शुरू कर दिया । संक्षेप में इसने उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने और श्री एस आर शंकरन के दर्शन का प्रसार करने के लिए कई क्रियाकलाप शुरू किए हैं ।

वर्ष के दौरान अध्यक्ष की गतिविधियों के भाग के रूप में, "भूमि बाजार और ग्रामीण गरीब" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार 18 और 19 जनवरी, 2018 को आयोजित किया गया था । संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य प्रगति का आकलन करना, बाधाओं को पहचानना और ग्रामीण गरीबों के भूमि संसाधनों तक पहुंच में सुधार के तरीकों का पता लगाना है जो उन्हें विभिन्न हितधारकों / संस्थानों से निपटने और अपनी आजीविका में सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है ।

अध्याय-6 शैक्षणिक कार्यक्रम

देश में युवा ग्रामीण विकास प्रबंधन व्यवसायियों का एक प्रतिबद्ध और सक्षम संवर्ग विकसित करने के लिए, एनआईआरडीपीआर ने शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किया है । इन कार्यक्रमों (सीपीजीएस एवं डीई) की सुविधा के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्र की स्थापना की गई । इसके भाग के रूप में, संस्थान ने वर्ष 2008 में ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडीआरडीएम) नामक एक-वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम की शुरूआत की है जिसके प्रत्येक बैच की क्षमता 50 छात्र है । एनआईआरडीपीआर ने प्रति वर्ष 100 छात्रों तक क्षमता बढाकर वर्ष 2014 से दो बैच शुरू किए हैं ।

ग्रामीण विकास में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित कार्यबल की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, एनआईआरडीपीआर ने शुरु में हैदराबाद विश्वविद्यालय (यूओएच) के सहयोग से सतत ग्रामीण विकास में एक-वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी-एसआरडी) के साथ 2010 में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है । संस्थान ने वर्ष 2012 में जनजातीय विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी-टीडीएम) कार्यक्रम और अगस्त 2014 में ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग (पीजी-सीगार्ड) में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू किया है ।

ग्रामीण विकास में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित कार्यबल की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, एनआईआरडीपीआर ने शुरु में हैदराबाद विश्वविद्यालय (यूओएच) के सहयोग से सतत ग्रामीण विकास में एक-वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी-एसआरडी) के साथ 2010 में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है । संस्थान ने वर्ष 2012 में जनजातीय विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी-टीडीएम) कार्यक्रम और अगस्त 2014 में ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग (पीजी-सीगार्ड) में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू किया है ।

राष्ट्रीय प्रौद्यागिकी संस्थान (एनआईटी), अरुणाचल प्रदेश ने 2013-14 से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के सहयोग से स्व-प्रायोजित पाठ्यक्रम के रूप में एम-टेक (समुचित प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता पद्धति) कार्यक्रम शुरू किया है । इन कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

6.1 ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम)

वर्ष 2017-18 में, स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र (सीपीजीएस एवं डीई) ने साथ ही साथ ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) के दो कार्यक्रम आयोजित किए है । पीजीडीआरडीएम 13 वॉ बैच, 13 जनवरी, 2017 से आरंभ होकर 27 दिसंबर 2017 को समाप्त हुआ । 16 अगस्त, 2017 से बैच -14 शुरू हुआ और यह जारी है ।

पीजीडीआरडीएम : 2017 (बैच -13), में सैंतीस छात्रों ने प्रवेश लिया है जिसमें मध्य भारत से 5, दक्षिणी भारत से 18, उत्तरी भारत से 5, पूर्वी भारत से 9 है ।

पीजीडीआरडीएम : 2017 -18 (बैच -14) में भारत के विभिन्न भागों से अर्थात् मध्य भारत, दक्षिण भारत, उत्तर-पूर्वी, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और सिर्डाप और आर्डो जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय सेवाकालीन छात्रों को मिलाकर कुल चौवन छात्रों को प्रवेश दिया गया । इनमें से 18 महिला छात्र हैं । अंतरराष्ट्रीय छात्र अफगानिस्तान, फिजी, इराक, म्यामार, जाम्बिया, सूडान और ईरान से हैं ।

दोनों ही बैचों में, लगभग 1 प्रतिशत छात्र विज्ञान से संबंधित हैं (जैसे कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान) 39 प्रतिशत, विज्ञान शाखा से तथा 21 प्रतिशत छात्र कला से और शेष 39 प्रतिशत छात्र व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जैसे प्रबंधन, इंजीनियरिंग, वाणिज्य समूह इत्यादि से संबंधित है । प्रवेश प्रक्रिया को समूह परिचर्चा और तत्पश्चात् व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया गया ।

6.1.1 पाठ्यचर्या

तीन तिमाही कार्यक्रम में क्लासरूम शिक्षण घटक, क्षेत्र परिचय, आवधिक परीक्षांए, निमत कार्य, परियोजना रिपोर्ट और अंतिम परीक्षा शामिल है । क्लासरूम घटक में तीन तिमाही होते है और साथ ही साथ तिमाही - II, तिमाही - III के बीच छह सप्ताहों में क्षेत्र दौरे पर ले जाया जाता है । कार्यक्रम में पाठ्यक्रम के कुल 52.5 क्रेडिट है ।

6.1.2 क्षेत्र संबद्धता (एफए) / ग्रामीण संगठनात्मक इंटर्नशिप

पीजीडीआरडीएम: बैच -13 के छात्रों को 14 अगस्त 2017 से 29 सितंबर 2017 और बैच -14 के छात्रों को 9 अप्रैल 2018 से 19 मई 2018 तक छह सप्ताह के लिए क्षेत्र संबद्धता और ग्रामीण संगठनात्मक इंटर्नशिप लागू किया गया ताकि छात्रों को ग्रामीण समाज की गहन समस्याओं और उसकी सक्रियता से अवगत कराया जा सके । इंटर्नशिप घटक संस्थानों, संगठनात्मक संरचनाओं, संगठनात्मक संस्कृति, प्रबंधन प्रणाली, मानव संसाधन विकास, वित्त, उत्पादन प्रक्रियाओं, विपणन, मूल्यसंवर्धन इत्यादि पर ध्यान देता है । क्षेत्र कार्यों के संगठनों में : (i) सिर्डाप - ढ़ाका, बांग्लादेश (ii) झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (iii) असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (iv) आईसीआईसीआई फाउंडेशन (v) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (vi) एनडीडीबी, गुजरात (vii) उत्तर प्रदेश कौशल (viii) राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ix) ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क , एनआईआरडीपीआर (x) राजस्थान खाद्य और नागरिक आपूर्ति (xi) उत्तरांचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (xii) पश्चिम बंगाल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (xiii) श्रीजन शामिल हैं ।

6.1.3 फोरम प्रस्तुतीकरण

शिक्षण अभ्यास के भाग के रूप में, छात्रों के लाभ के लिए ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञों की फोरम प्रस्तुतियाँ समय-समय पर आयोजित की जाती हैं ।

6.1.4 पीजीडीआरडीएम: 2017 (बैच -13) पदस्थापना

13 वें बैच का पदस्थापना कार्य 24-30 अक्टूबर 2017 के दौरान आयोजित किया गया था । कैंपस पदस्थापना कार्य में प्रतिष्ठित संगठनों ने भाग लिया है । 37 पीजीडीआरडीएम के वे छात्र जिन्होंने पीजीडीआरडीएम बैच -13 में प्रवेश लिया है उन सभी छात्रों को पदस्थापित किया गया है । दोनों बैचों के पदस्थापन कार्यक्रम में भाग लेने वाले संगठन थे (i) डीडीयू-जीकेवाई (ii) रुरबन मिशन (iii) हरियाणा एसआरएलएम (iv) आरजीएवीपी (v) सुरक्षित शिक्षा (vi) ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी), एनआईआरडीपीआर (vii) एनआईआरडीपीआर आदि ।

6.1.5 पीजीडीआरडीएम-2017 : बैच -13 के लिए डिप्लोमा अवार्ड समारोह

एनआईआरडीपीआर के पीजीडीआरडीएम बैच -13, 2017 का डिप्लोमा अवॉर्ड समारोह का आयोजन 27 दिसंबर 2017 को किया गया । श्री एम.के. राउत, आईएएस, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे । डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक एवं अध्यक्ष, अकादमिक समिति, एनआईआरडीपीआर पीजीडीआरडीएम ने डिप्लोमा अवार्ड समारोह की अध्यक्षता की।

6.1.6 पीजीडीआरडीएम को दो वर्ष की एआईसीटीई अनुमोदित पीजीडीएम (ग्रामीण प्रबंधन) बनाने की तैयारी

संस्थान की कार्यकारी परिषद की मंजूरी के आधार पर, एक वर्ष के पीजीडीआरडीएम कार्यक्रम को दो साल के

एआईसीटीई अनुमोदित और पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम में शामिल करने के लिए तैयारियां की गई । एआईसीटीई से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने और 2018-19 से दो वर्षीय कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है ।

6.2 उपयुक्त प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता (एटीई) पर सहयोगी दो वर्षीय एम.टेक कार्यक्रम

केंद्र ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से उपयुक्त प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता (एटीई) पर दो वर्षीय एम.टेक कार्यक्रम आयोजित किया । चौथे बैच के छह छात्र कार्यक्रम के तीसरे और चौथे सेमेस्टर में है जो मई 2018 में समाप्त होगा । एनआईआरडीपीआर में उनके आवास के दौरान, छात्रों ने उन विषयों और उत्पादों पर काम किया जिनमें रागी बिस्कुट बनाना; वाहनों में पवन ऊर्जा डालना; एसएचजी महिलाओं की नियुक्ति के लिए स्टार्ट-अप आदि शामिल था ।

6.3 दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

6.3.1 सतत ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएसआरडी)

वर्तमान में पीजीडीएसआरडी बैच -10 प्रगति पर है । इस कार्यक्रम की अवधि जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक है । इस बैच में 270 छात्र हैं । संपर्क कक्षाएं और पहले सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाएं 2 से 10 जुलाई, 2018 तक आयोजित की गई और दूसरा सेमेस्टर दिसंबर 2018 में आयोजित किया जाएगा ।

अफगानिस्तान ग्रामीण विकास संस्थान (एआईआरडी), काबुल ने पीजीडीएसआरडी में प्रवेश के लिए 39 आवेदन भेजे हैं, जिनमें से 33 आवेदनों को प्रवेश के लिए चुना गया । केवल 24 छात्रों ने एआईआरडी को आवश्यक शुल्क का भुगतान किया है, जिसे उन्होंने एनआईआरडीपीआर खाते में स्थानांतरित कर दिया है । इसके बाद, पाठ्यक्रम सामग्री के 24 सेटों को एआईआरडी को भेज दिया गया ।

6.3.2 जनजातीय विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीटीएमएम)

पीजीडीटीडीएम बैच -7 जनवरी 2018 से शुरू हुआ है । इस बैच में 46 छात्र हैं । संपर्क कक्षाएं और पहला सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाएं जुलाई 2018 के महीने में आयोजित की गई और दूसरा सेमेस्टर दिसंबर 2018 के महीने में आयोजित किया जाएगा ।

6.3.3 ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीजीएआरडी)

पीजीडीजीएआरडी बैच - 3 प्रगति पर है । इस कार्यक्रम की अवधि जनवरी 2018 - दिसंबर 2018 तक है । इस बैच में 126 छात्र हैं । संपर्क कक्षाएं और पहले सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा जून, 2018 के महीने में आयोजित की गई दूसरा सेमेस्टर दिसंबर 2018 के महीने में आयोजित किया जाएगा ।

अध्याय-7 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर विशेष फोकस

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र (एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी) को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं और क्षमताओं के लिए अपने प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को कार्योन्मुख करने और सततयोग्य विकास को सक्षम बनाने के उद्देश्य से जुलाई 1983 में गुवाहाटी में स्थापित किया गया था ।

7.1 अधिदेश

क्षेत्रीय केंद्र का अधिदेश निम्नानुसार है:

- वरिष्ठ विकास अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करना ।
- अपने स्तर पर या अन्य एजेंसियों के माध्यम से अनुसंधान आरंभ करना, सहायता करना, बढ़ावा देना और समन्वय स्थापित करना ।
- ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, विकेन्द्रीकृत शासन, आईटी अनुप्रयोग, पंचायती राज और उनसे जुड़े मुद्दों के लिए कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है उनका विश्लेषण कर समाधान करना ।
- संस्थान के मूल उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में पत्रिकाओं, रिपोर्टों और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार करना ।

7.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशाला / सेमिनार

7.2.1 प्रशिक्षण के लिए मुख्य ग्राहक समूहों में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के सरकारी पदाधिकारी, पीआरआई / निर्वाचित प्रतिनिधि, बैंकर्स, एसआरएलएम कर्मचारी, शिक्षाविदों और एन जी ओ / वीओ अधिकारी आदि शामिल हैं ।

7.2.2 प्रशिक्षण / कार्यशाला / सेमिनारों के फोकस क्षेत्र में ग्रामीण आजीविका, दोहरी प्रविष्टि लेखा पद्धति और वित्तीय प्रबंधन, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, ई-शासन और डिजिटल वित्तीय लेनदेन, कृषि क्षेत्र में कौशल विकास, प्रबंधन सूचना प्रणाली, डेयरी फार्मिंग और बागवानी, पीआरआई / स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण, व्यवहार कौशल, बैंकर अभिमुखीकरण कार्यक्रम, पीएमजीएवाई, ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से आजीविका और नव नियुक्त एसआरएलएम कर्मचारियों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण शामिल है ।

7.2.3 प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं

2017-18 के दौरान 2941 प्रतिभागियों को सम्मिलित करते हुए एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी द्वारा एनआरएलएम - आरसी के कार्यक्रमों सहित कुल 98 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें हर कार्यक्रम में 30 प्रतिभागियों की औसत भागीदारी रही । कार्यक्रमों में 84 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 12 कार्यशालाएं और दो

एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी, कैम्पस

एनईआरसी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का परिचर्या सत्र

सेमिनार शामिल हैं । प्रत्येक कार्यक्रम में औसत महिला भागीदारी लगभग 11 रही है । 72 कार्यक्रम कैंपस कार्यक्रम थे जबकि 26 ऑफ-कैंपस कार्यक्रमों को एसआईआरडी और क्षेत्र के अन्य संस्थानों और संगठनों में आयोजित किया गया ।

आलेख-10: जेंडर वार प्रतिभागिगण

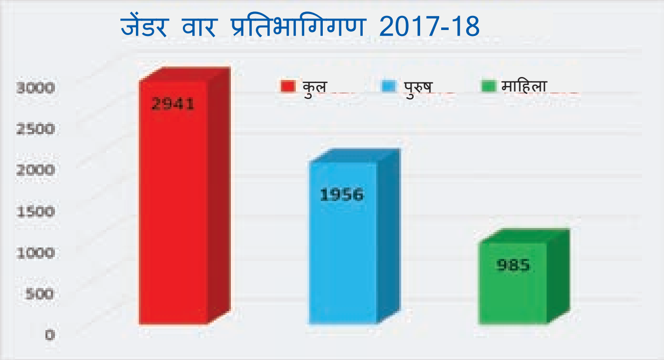

मसाला प्रसंस्करण इकाई के क्षेत्र दौरे में एनईआरसी के प्रशिक्षार्थी

2017-18 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित हुए राज्य-वार प्रतिभागियों के विवरण को नीचे तालिका में दिया गया है ।

क्रम सं.	राज्य	प्रतिभागियों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	242
2.	असम	721
3.	मणिपुर	144
4.	मेघालय	784
5.	मिजोरम	178
6.	नागालैंड	251
7.	सिक्किम	342
8.	त्रिपुरा	80
9.	अन्य राज्य	199
	कुल	**2941**

7.3 परामर्शी सहित अनुसंधान

एनईआरसी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की क्षेत्र-विशिष्ट समस्याओं पर अनुसंधान आयोजित करता है और इस क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में नैदानिक और कार्यक्रम उन्मुख अनुसंधान अध्ययन भी आयोजित करता है ।

7.3.1 अनुसंधान के फोकस क्षेत्र

फोकस क्षेत्रों में आईडब्ल्यूएमपी मूल्यांकन अध्ययन, ग्रामीण आजीविका का उन्नयन, ग्राम अभिग्रहण अध्ययन, बेसलाइन सर्वेक्षण, झुम कृषि, पारंपरिक ग्रामीण हस्तशिल्प, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विकास अध्ययन, असम में वन गांव और महिला नेतृत्व वाले ग्राम पंचायत का अध्ययन शामिल हैं ।

7.3.2 अनुसंधान हस्तक्षेपों की विशेषताएं

एनआईआरडीपीआर के परामर्शी और कार्य-अनुसंधान की श्रेणियों के तहत कुल मिलाकर 21 शोध अध्ययन किए गए जिनमें से 9 संपूरित किए गए हैं और 12 वर्ष 2017-18 के दौरान सम्पूर्णता के विभिन्न चरणों में हैं । इन अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है-

7.3.3 परामर्शी अध्ययन

क्षेत्रीय केंद्र ने 10 परामर्शी अध्ययनों को प्रारंभ किया है जिनमें से 4 पूरे हो गए हैं और 6 चल रहे हैं ।

7.4 विशेष पहल

7.4.1 उत्तर पूर्वी भारत में ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से आजीविका पर राष्ट्रीय सम्मेलन: भावी कार्य

6-7 जनवरी, 2018 के दौरान एनईआरसी, गुवाहाटी द्वारा एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया । इसमें भूतपूर्व सचिव, पर्यटन मंत्रालय और यूएन विश्व पर्यटन संगठन के स्थायी प्रतिनिधि श्री एम.पी. बेजबरूआ; एनईसी के सदस्य श्री.सी. दास; भूतपूर्व सचिव, कृषि मंत्रालय के श्री भास्कर बरुआ; पूर्व आयुक्त और सचिव, पर्यटन विभाग के श्री स्वप्निल बरुआ; एनईसी के सचिव

एनईआरसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्षेत्र हस्तक्षेप

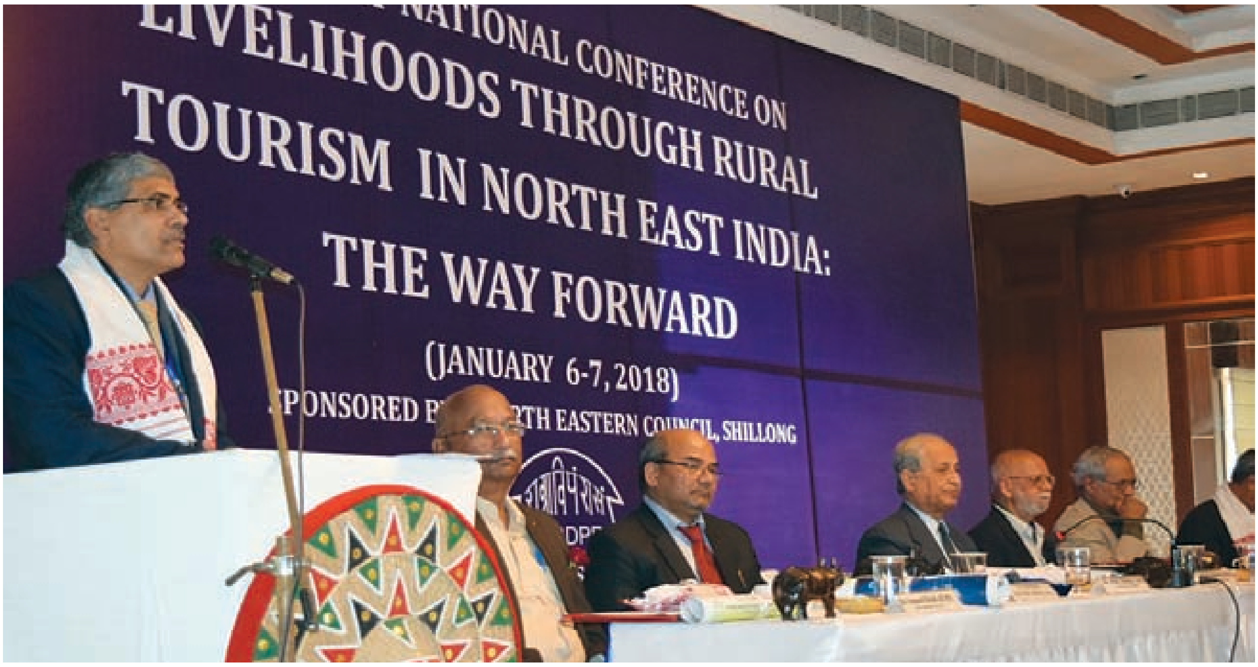

श्री राम मुइवाह और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के महानिदेशक, डॉ. डब्ल्यू. रेड्डी उपस्थित हुए । पूर्वोत्तर भारत जो देश के कुल गांवों में से 7.02 प्रतिशत गांवों और इसकी विविध सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र के ग्रामीण गरीबों में सततयोग्य आजीविका उपायों के रूप में होम-स्टे पर विशेष बल के साथ ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया । इस सम्मेलन के परिणामों का उपयोग ग्रामीण पर्यटन में आजीविका गतिविधि के रूप में एक प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू करने के लिए किया जाएगा ।

श्री सी. के दास, माननीय उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य डॉ. आर.एम. पंत निदेशक एनईआरसी एवं प्रो. के. हलोई डॉ. के.के. भट्टाचार्जी संकाय एनईआरसी के साथ आईईएस परिवीक्षार्थी

7.4.2 भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारियों के लिए अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) 2016 बैच के अधिकारियों के लिए दिनांक 19 से 23 जून 2017 तक ग्रामीण विकास के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र की संभावना' पर अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कुल मिलाकर 15 आईईएस परिवीक्षार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया । श्री सी.के. दास, माननीय उत्तर पूर्वी परिषद के सदस्य ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और एक्ट ईस्ट पॉलिसी और उत्तर पूर्वी परिषद की भूमिका पर एक व्याख्यान दिया ।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों की समाजार्थिक और पर्यावरणीय पृष्ठभूमि, औद्योगिक नीति, उद्यमिता विकास और आर्थिक विकास, उत्तर पूर्व में स्थानीय स्व-सरकारी संस्थान, सहकारिताएँ, आर्थिक विकास में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की संभावनाएँ, कौशल विकास और रोजगार उत्पादन, पर्यावरण पर्यटन और इसकी क्षमता, जल संसाधनों की क्षमता और इसका प्रभावी उपयोग, बागवानी क्षेत्र और इसकी निर्यात संभावनाएँ, वन प्रबंधन आधारित समुदायों के विशेष संदर्भ के साथ उत्तर पूर्वी भारत में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सहित विभिन्न संबंधित विषयों पर व्याख्यान देने के लिए प्रसिद्ध स्त्रोत व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया ।

7.4.3 प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल का उपयोग

प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) पंचायत एंटरप्राइज़ स्यूट्स (पीईएस) का एक घटक है और इसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है । टीएमपी निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों की आवश्यकताओं / प्रशिक्षण मांगों को समझते हुए संस्थानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है । टीएमपी स्त्रोत व्यक्तियों और प्रशिक्षण एजेंसियों को अपने साथ पंजीकरण करने की अनुमति भी देता है । एजेंसी

समापन संमारोह में प्रतिभागीयों के साथ तकनीकी मुद्दों पर परिचर्या

पंजीकरण में प्रशिक्षण स्थल, आधारभूत संरचना, महत्वपूर्ण क्षेत्र वाले क्षेत्रों, संकाय, संसाधन सामग्री उपलब्धता आदि पर जानकारी साझा करना शामिल है । प्रशिक्षण कैलेंडर प्रकाशित होने के बाद, यह प्रशिक्षण संगठन के लिए अग्रणी गतिविधियों का पालन करने में प्रशिक्षण संगठन को सुविधा प्रदान करता है । पोर्टल प्रशिक्षुओं और प्रदाताओं के लिए मांग और आपूर्ति को जानने के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करता है और एक पाठ्यक्रम एवं प्रतिक्रिया में प्रशिक्षुओं का पंजीकरण, अलर्ट, नामांकन, उपस्थिति सहित फीडबैक की भी सुविधा प्रदान करता है ।

वर्ष 2017-18 के दौरान, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी ने टीएमपी लागू किया । वर्तमान में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम टीएमपी में प्रकाशित हैं और प्रतिभागियों का फीडबैक केवल टीएमपी के माध्यम से ऑनलाईन होता है । 22-23 मई, 2017 के दौरान एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी में "प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के एसआईआरडी से संकाय सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया ।

7.4.4 'प्राइड ऑफ इंडिया' प्रदर्शनी में एनआईआरडीपीआर की स्टॉल

16-20 मार्च, 2018 के दौरान से मणिपुर विश्वविद्यालय परिसर, इम्फाल में 105 वां राष्ट्रीय साईंस कांग्रेस प्राइड ऑफ इंडिया प्रदर्शनी आयोजित की गयी । माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डॉ हर्षवर्धन, माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी विज्ञान मंत्री, भारत सरकार श्रीमती नजमा अकबर अली हेपतुल्ला, राज्यपाल, मणिपुर, श्री एन. बिरेन सिंह, मुख्यमंत्री, मणिपुर अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति की उपस्थिति में साईस कांग्रेस का उद्घाटन किया । तत्पश्चात् माननीय केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा जनता के लिए प्राइड ऑफ इंडिया प्रदर्शनी खोली गयी ।

एनआईआरडीपीआर ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया । प्रदर्शनी में एनआईआरडीपीआर की स्टॉल जनता में पर्याप्त दिलचस्पी पैदा कर सकी और प्रदर्शनी के दौरान बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित किया । प्रदर्शनी में एनआईआरडीपीआर की भागीदारी का मुख्य उद्देश्य एनआईआरडीपीआर के ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) की ग्रामीण प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करना और बढ़ावा देना था । श्री एस.के. घोष, वरिष्ठ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एसोसिएट के नेतृत्व में एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी की एक टीम द्वारा स्टॉल लगाई गई ।

स्टाल का मुख्य आकर्षण ग्रामीण प्रौद्योगिकी के उत्पाद जैसे मैंगो बार, हस्तनिर्मित आयुर्वेदिक साबुन, विभिन्न स्नैक्स, मशरूम नूडल्स, ड्राई कैप्सिकम, ड्राई मशरूम, पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी कपड़े के बैग, साल पत्तियों की प्लेट्स, वर्मीकंपोस्टिंग खाद और कीटनाशक थे । सुपारी के पत्तों से प्लेट्स और कटोरे बनाने की प्रक्रिया ने अधिकांश आगंतुकों का ध्यान

एनआईआरडीपीआर स्टॉल प्रदर्शनी

आकर्षित किया। अपशिष्ट कागजों से बने पेपर बैग और कार्यालय फ़ोल्डरों ने आगंतुकों और संभावित उद्यमियों का ध्यान आकर्षित किया । पोर्टेबल सौर लैंप भी स्टाल का दौरा करने वाले कई आगंतुकों का आकर्षण का केंद्र बना रहा । आरटीपी के राष्ट्रीय ग्रामीण बिल्डिंग सेंटर (एनआरबीसी) के तहत विभिन्न प्रकार के टिकाऊ आवास प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करना प्रदर्शनी में एनआईआरडीपीआर स्टॉल के प्रमुख विषयों में से एक था ।

7.4.5 थेंबांग गांव अरुणाचल प्रदेश में स्वच्छता गतिविधियां

स्वच्छता पखवाड़ा के भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी ने समुद्र तल से 2300 मीटर की ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के डरंग के पास स्थित एक गांव थेम्बांग में स्वच्छता गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की । 42 परिवारों के साथ 250 लोगों की कुल जनसंख्या वाला थेंम्बांग गॉव अपने समृद्ध मोम्पा इतिहास के कारण यूनेस्को विरासत की स्थिति के लिए एक मजबूत दावेदार है जो अभी भी थेंबांग के निवासियों की जीवन शैली में दिखाई देता है । इस कार्य के लिए एनईआरसी के निदेशक डॉ. आर.एम. पंत ने केवीके वेस्ट कामेंग के अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया । आम जनता के साथ थेंम्बांग के सरकारी मिडिल स्कूल में एक बैठक आयोजित की गई, जिनमें स्कूली बच्चे, महिलाएं और ग्रामीणों सहित, आंचल के अध्यक्ष गॉन बुरा और पंचायत सदस्य उपस्थित थे । मंडल अधिकारी (थेम्बांग), चिकित्सा अधिकारी (दिरांग), पशु चिकित्सक, जिला कृषि अधिकारी, पोषण विशेषज्ञ, बीडीओ और केवीके दिरांग के तीन विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस) सहित जिला अधिकारी और स्कूल शिक्षक सामान्य जनता के साथ बैठक में उपस्थित हुए ।

निम्नलिखित स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की गईं:

- निदेशक एनआईआरडीपीआर, एनईआरसी द्वारा 'संकल्प से सिद्धि' का परिचय, स्वच्छता महत्व और 'स्वच्छता प्रतिज्ञा'
- डॉ. दिव्या पांडे, एसएमएस, केवीके द्वारा बच्चों और महिलाओं के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता पर परिचर्या सत्र ।
- डॉ. ग्यानी मोप, एमओ दिरंग द्वारा बच्चों और महिलाओं की स्वास्थ्य जांच ।
- गॉन बुरा ने गांव में केवीके के हस्तक्षेपों की सराहना की और विशेष रूप से थेंबांग में ग्राम विकास गतिविधियों में एनआईआरडीपीआर की दिलचस्पी पर खुशी व्यक्त की ।
- दिन के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों जैसे 'स्लोगन राइटिंग', 'निबंध लेखन', 'ड्राइंग' इत्यादि स्कूल के बच्चों को एनआईआरडीपीआर द्वारा नोट बुक और पेन वितरित किए गए ।
- अधिकारियों और ग्रामीणों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया ।
- स्कूल में चर्चा के पश्चात्, गांव में 'स्वच्छता जुलूस' निकाला गया और इसके बाद गांव की 'सफाई' हुई।
- माध्यमिक स्कूल के स्कूली बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में टीम शामिल हुई, भोजन करने से पहले 'बौद्ध प्रार्थना' की गई ।

7.4.6 एनईआरसी में ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्र (आरटीसी)

मौजूदा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विस्तार केंद्र (आरटीईसी) को सुदृढ करने के लिए, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी ने एक पूर्ण ग्रामीण प्रौद्योगिकी

डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर द्वारा एनईआरसी में 'ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्र' के उद्घाटन की झांकिया

केंद्र (आरटीसी) स्थापित करने का विचार किया है । इस आरटीसी केंद्र को विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी, और लाइव मॉडल के साथ एनईआरसी में आने वाले पाठ्यक्रम प्रतिभागियों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और आगंतुकों के लिए प्रौद्योगिकी मॉडल का प्रदर्शन करने के लिए स्थापित किया गया । सिद्ध प्रौद्योगिकियों को गांवों में फैलाने के लिए केन्द्र उपयोगी होगा और ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं, समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ), स्व-सहायता समूह (एसएचजी), ग्राम पंचायत (जीपी) एन जी ओ और प्राथमिक हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ व्यावहारिक रूप से इन तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा ।

26 अक्तूबर 2018 को एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी द्वारा ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्र (आरटीसी) का उद्घाटन किया गया । डॉ. फ्रैंकलिन लाल्तिनखुंमा, रजिस्ट्रार, एनआईआरडीपीआर, डॉ.आर. एम. पंत, निदेशक, एनईआरसी और डॉ. के. हेलोई, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सी-गार्ड और एनईआरसी के अन्य सभी कर्मचारी इस यादगार अवसर के दौरान उपस्थित थे । एनईआरसी महिला मंडली, युवा नवप्रवर्तक और अन्य हितधारक भी इस अवसर पर उपस्थित थे । डॉ. रेड्डी ने सभी हितधारकों से बातचीत की और केंद्र की स्थापना में एनईआरसी की भूमिका की सराहना की।

7.4.7 आरटीसी, एनईआरसी में बहु-उद्देश्य प्रसंस्करण मशीन

राष्ट्रीय नवोन्मेषण फाउंडेशन (एनआईएफ) के समर्थन से ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्र, एनईआरसी में एक बहुउद्देश्यीय फल और जड़ी-बूटी प्रसंस्करण मशीन स्थापित की गई । मशीन के नवप्रवर्तक श्री धर्मवीर सिंह कंबोज द्वारा एनईआरसी के महिलाओं के लिए फल प्रसंस्करण और विभिन्न मूल्यसंवर्धित उत्पादों के उत्पादन का प्रदर्शन किया गया ।

बहुउद्देश्यीय प्रसंस्करण मशीन पोर्टेबल है जो सिंगल फेस मोटर पर काम करती है और विभिन्न फलों, जड़ी-बूटियों और बीजों के प्रसंस्करण में उपयोगी है । इसमें तापमान नियंत्रण और संक्षेपण तंत्र जैसी विशेषताएं हैं जो फूलों और औषधीय पौधों की खुशबू और गूदा निकालने में मदद करती हैं । यह मशीन अनूठी है क्योंकि इसमें फल या सब्जी के बीज को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादों की एक विस्तृत विविधता को संसाधित करने की क्षमता है । इसका उपयोग आम, आमला, एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंध और फूल जैसे गुलाब, चमेली, लैवेंडर के प्रसंस्करण के लिए किया जा सकता है । बहुउद्देश्यीय मशीन दो मॉडल में उपलब्ध होती है जो 50 किलो / घंटा और 150 किलो / घंटा रस निकाल सकती है । ग्रामीण समुदायों के लिए इस प्रकार का नवाचार अच्छा है, क्योंकि इसमें आय सृजन के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं ।

नवप्रवर्तक श्री धर्मवीर सिंह कम्बोज द्वारा एनईआरसी के स्टॉफ को उनके बहु-उद्देशीय फल प्रसंस्करण मशीन का प्रदर्शन कराते हुए

7.5 हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किए गए क्रियाकलाप : 2017-18

7.5.1 हिंदी का प्रगामी उपयोग

वर्ष 2017-18 के दौरान, कार्यालय के सभी कंप्यूटरों में द्विभाषी सुविधा प्रदान कराई गई । पत्राचार और नोटिंग में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं । हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए संबंधित विभाग को नियमित रूप से त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजी गई है ।

7.5.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठक

निदेशक, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) गठित है । यह समिति हिंदी के प्रयोग में प्रगति की समीक्षा हर तिमाही में करती है और राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित सुझाव देती है । 2017-18 के दौरान, चार ओएलआईसी बैठकें आयोजित की गई ।

7.5.3 हिंदी सप्ताह का समारोह

08 से 14 सितंबर, 2017 तक एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी में हिंदी सप्ताह आयोजित किया गया । इस अवसर पर श्रुतलेखन एवं टंकण, पेपर प्रस्तुतीकरण, समयस्फूर्त भाषण, हिंदी प्रश्नोत्तरी, हिंदी लेखन और कविता पठन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार, स्मृति चिन्ह और प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया ।

7.5.4 हिंदी कार्यशालाएं

वर्ष 2017-18 के दौरान, अधिकारियों को अधिक काम हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दो हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और इन कार्यशालाओं में 55 अधिकारी / कर्मचारियों ने भाग लिया । ये कार्यशालाएं काफी सफल हुई और हिंदी में काम करते समय अधिकारियों / कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों का समाधान किया गया ।

7.5.6 हिंदी में नोटिंग / ड्रॉफ्टिंग काम के लिए प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन

वर्ष 2017-18 के दौरान, राजभाषा विभाग द्वारा प्रारंभ हिंदी में नोटिंग / ड्राफ्टिंग के लिए प्रोत्साहन योजना को एनईआरसी में लागू किया गया । इस योजना में पहले दो पुरस्कार 5000 / - रुपये तीन दूसरे पुरस्कार, 3000 / - रूपये और 2000 / - रुपये के पांच तीसरे पुरस्कार हैं ।

7.6 एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी पुस्तकालय की प्रगति

एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी पुस्तकालय उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण विकास पर संसाधन और सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है । इसने अपने संग्रह के तहत संसाधनों का कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस विकसित किया है ।

एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी पुस्तकालय में राजनीति, इतिहास, महिला अध्ययन, सूचना प्रौद्योगिकी, जेंडर, जीआईएस, प्रबंधन अध्ययन, कानून, कृषि और पर्यावरणीय अध्ययन जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मानकों पर किताबें, आवधिक पत्रिकाएं(राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय), प्रसिद्ध जर्नल, सरकारी रिपोर्ट, अनुसंधान परियोजना रिपोर्ट और मानचित्र आदि का संग्रह है । पुस्तकालय संग्रहण का प्रमुख विषय ग्रामीण विकास और पंचायती राज है ।

वर्तमान में पुस्तकालय में 11,185 किताबों का संग्रह है । वर्ष 2017-18 के दौरान, पुस्तकालय ने विभिन्न विषयों पर 161 से अधिक किताबों द्वारा पुस्तकों का संग्रहण बढ़ाया है । इन पुस्तकों का चयन निदेशक, सभी संकाय सदस्य और क्षेत्रीय केंद्र के वरिष्ठ कर्मचारियों की उपस्थिति में स्पॉट बुक चयन आयोजित करके किया गया था । पुस्तकालय समिति की सिफारिश और वरिष्ठ अधिकारियों के अनुरोध पर पुस्तकालय द्वारा चयनित पुस्तकें खरीदी जाती हैं ।

7.6.1 पुस्तकालय में वर्तमान जागरूकता सेवा, समाचार पत्र क्लिपिंग सेवा, फोटो कॉपिंग सेवा और इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है । पुस्तकालय किताबो का डाटाबेस ई-ग्रंथालय 3.0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाया रखा जाता है

7.6.2 एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी पुस्तकालय में बच्चों के कॉर्नर की स्थापना: 9 दिसंबर, 2017 को संस्थान के पुस्तकालय में एक बच्चों का कॉर्नर स्थापित किया गया है । पुस्तकालय के इस नए अनुभाग का उद्देश्य बच्चों को उनकी पढ़ने की आदत और ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना था ।

7.7 एनआरएलएम-संसाधन कक्ष, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी के क्रियाकलाप

एनआरएलएम संसाधन कक्ष, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी की स्थापना अगस्त 2015 में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा की गई । राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) क्षे.का. भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के हितधारकों के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण पहल में सम्मिलित है ।

7.7.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआरएलएम प्रोटोकॉल के अनुसार और उत्तर पूर्व एसआरएलएम की आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम विकसित किए जाते हैं । वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 1495 प्रतिभागियों की कुल संख्या के साथ कुल 46 प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की गईं । इसके विवरण नीचे दिए गए हैं ।

तालीका-9: प्रशीक्षण कार्यक्रम

वि.व.	एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी में कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम		एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी में सहयोजित कार्यक्रम		ऑफ-कैंपस कार्यक्रम		कूल	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागीगण	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागीगण	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागीगण	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागीगण
2017-18	24	631	9	456	13	408	46	1495

वर्ष के दौरान, एनईआरसी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के प्रकार में प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम चरण I, II और III, विषयगत प्रशिक्षण, एसआरपी / बीआरपी प्रशिक्षण, हितधारकों का प्रशिक्षण और कैडर प्रशिक्षण, परिचयात्मक दौरा और कार्यशालाएं शामिल हैं ।

1) प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान तेरह प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें से एक कार्यक्रम मेघालय के गैर-गहन ब्लॉक के कर्मचारियों के लिए था, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और असम के लिए चरण I में प्रवेश पर 9 कार्यक्रम, मेघालय एसआरएलएम के लिए चरण II प्रवेश पर 2 कार्यक्रम और मेघालय एसआरएलएम के लिए चरण III प्रवेश पर एक प्रशिक्षण चरण I प्रवेश प्रशिक्षण के तहत कुल 242 प्रतिभागी (91 महिला), चरण II प्रवेश प्रशिक्षण के तहत 50 (22 महिला), चरण III प्रशिक्षण के लिए 38 (11 महिला) और गैर-गहन ब्लॉक स्टाफ प्रशिक्षण के लिए 23 (12 महिला) थे ।

आईआईबीएम, गुवाहाटी में पशुधन पर एसआरपी प्रशिक्षण

ख) विषयगत प्रशिक्षण कार्यक्रम:

सभी उत्तर पूर्वी एसआरएलएम के लिए नौ विषयगत प्रशिक्षण आयोजित किए गए । पीएफएमएस, भेद्यता न्यूनीकरण योजना, एनआरएलएम का वित्तीय प्रबंधन, सीएलएफ प्रबंधन और पोषण, सूक्ष्म ऋण योजना, वीओ अवधारणा सीडिंग और प्रबंधन एवं लेनदेन आधारित एमआईएस पर प्रशिक्षण आयोजित किस गए । 129 महिला प्रतिभागियों के साथ कुल 302 प्रतिभागियों ने सहभाग किया ।

ग) एसआरपी / बीआरपी प्रशिक्षण:

2017-18 के दौरान, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों के लिए एसआरपी के लिए दो कार्यक्रम और बीआरपी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 66 महिला प्रतिभागियों सहित 114 प्रतिभागी उपस्थित हुए ।

नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए एनआईआरडीपीआर - एनईआरसी में सतत कृषि (8 दिन) और पशुधन (7 दिन) पर एसआरपी आजीविका प्रशिक्षण आयोजित किया गया । राज्य स्त्रोत व्यक्ति (एसआरपी) को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे महिला किसानों को क्षेत्रीय प्रशिक्षण देने के लिए सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति (सीआरपी) को प्रशिक्षित कर सके। कृषि विकास, बीज और रोपण सामग्री, भंडारण, पोषण, मिट्टी पोषण और नमी, संरक्षण और प्रबंधन, मौसम और जलवायु, ऋण प्रबंधन, कृषि पारिस्थितिक पद्धतियों, कीट और रोग प्रबंधन एवं सीआरपी के प्रशिक्षण के विभिन्न उपकरण तथा तकनीक वर्ष के दौरान और एनआरएलएम में उनकी भूमिका पर ब्लॉक स्त्रोत व्यक्तियों (बीआरपी) और सिक्किम के एसआरएलएम के कर्मचारियो के लिए तीन दिन का प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया ।

7.7.2 आयोजित कार्यशालाएं

2017-18 के दौरान 457 प्रतिभागियों (197 महिला प्रतिभागियों) सहित नौ कार्यशालाएं आयोजित की गईं । इनमें त्रिपुरा में एक क्षेत्रीय राईटशॉप और स्वच्छता पखवाड़ा के तहत मासिक धर्म स्वच्छता पर 2 कार्यशालाएँ शामिल हैं । गुवाहाटी में एनआरएलएम के हितधारकों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में वित्तीय समावेशन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई ।

गंगटोक सिक्किम में एसआरएलएम के लिए भेद्यता न्यूनीकरण योजना

7.7.3 हितधारकों का प्रशिक्षण, कैडर प्रशिक्षण और परिचयात्मक दौरा

असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड के बैंकरों के लिए मुख्य रूप से आठ हितधारक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । इसमें कुल 135 प्रतिभागी उपस्थित हुए । बैंक सखी और सीआरपी (सतत कृषि) सहित 3 कैडर प्रशिक्षण प्रदान किए गए जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय के 55 कैडर और 3 एसआरएलएम कर्मचारियों के साथ 58 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया । नागालैंड एसआरएलएम से एसएचजी सदस्यों के लिए 3 परिचयात्मक दौरे भी आयोजित किए गए । दो एसआरएलएम कर्मचारियों के साथ आरआरटीसी, उमरान के तहत विभिन्न आजीविका गतिविधियों के लिए कुल 74 एसएचजी सदस्यों का परिचय कराया गया ।

7.8 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

डीडीयू-जीकेवाई, ग्रामीण विकास मंत्रालय की पदस्थापना - संबंधित कौशल्य प्रशिक्षण योजना को ग्रामीण गरीब युवाओं को नियोजनीय कौशल के साथ सशक्त बनाने और नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया है । ग्रामीण गरीबों की आय में विविधता लाने और युवाओं की व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता के कारण यह विकसित हुआ है । डीडीयू-जीकेवाई का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाना और उन्हें न्यूनतम मजदूरी पर या उससे ऊपर नियमित मासिक मजदूरी दिलाने वाली नौकरियाँ प्रदान करना हैं ।

15 से 35 आयु वर्ग के किसी भी ग्रामीण युवा या तो मनरेगा कार्यकर्ता परिवार (अपने परिवार के सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिनों के काम) के साथ, या आरएसबीवाई कार्ड वाले परिवार या परिवार जिन्हें अंत्योदय अन्न योजना कार्ड या बीपीएल पीडीएस कार्ड प्राप्त है या एनआरएलएम-एसएचजी परिवार या एसटीसीसी 2011 के ऑटो समावेशन पैरामीटर के अंतर्गत कवर किए परिवार डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं ।

डीडीयू-जीकेवाई के तहत कौशल और पदस्थापना में आठ अलग-अलग कार्य सम्मिलित हैं:

- i अवसरों पर समुदाय में जागरूकता निर्माण
- ii गरीब युवाओं की पहचान करना
- iii दिलचस्पी रखने वाले ग्रामीण युवाओं को संगठित करना
- iv युवाओं और माता-पिता की परामर्श
- v योग्यता के आधार पर चयन
- vi ज्ञान, उद्योग से जोडने वाले कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करना जो रोजगार को बढ़ाता है ।
- vii ऐसी नौकरियाँ प्रदान करना जिन्हें ऐसे पद्धतियों से सत्यापित किया जा सकता है जिनकी स्वतंत्र जांच हो सके और जो न्यूनतम मजदूरी से अधिक भुगतान करते हैं ।
- viii पदस्थापना के बाद स्थिरता के लिए नियोजित व्यक्ति का समर्थन करना

डीडीयू-जीकेवाई के कार्यान्वयन में केंन्द्र और राज्य सरकारें, तकनीकी सहायता एजेंसियाँ जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), और परियोजना कार्यान्वयक एजेंसियां (पीआईए) सम्मिलित हैं ।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए, एनआईआरडीपीआर 3 राज्यों अर्थात उत्तर पूर्व, असम और मेघालय के लिए केंद्रीय

अरुणाचल एसआरएलएम एवं असम के डीडीयु प्रशिक्षार्थी के बीच परिचर्या सुविधा प्रदान करते हुए डीडीयु-जीकेवाई टीम

गुवाहाटी, असम में वजीर एडवाईजर के प्रशिक्षण केंद्र में प्रायोगीक प्रशिक्षण में प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थी

तकनीकी सहायता प्रदान करता है । नियमित आधार पर निगरानी और मूल्यांकन करने के अलावा, इसकी भूमिका में शामिल हैं:

- प्रशिक्षण केंद्र और नियमित आधार पर निरीक्षण करने से पहले सावधानी बरतते हुए डीडीयू-जीकेवाई को लागू करने में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करना । कुछ प्रमुख मानदंडों में शामिल हैं:
  - डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देशों और एसओपी के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाना
  - एसओपी के अनुसार बॉयोमीट्रिक उपकरणों और सीसीटीवी की स्थापना सुनिश्चित करना
  - छात्रों के लिए गुणात्मक भोजन और आवास सुविधाएं प्रदान की जा रही है
  - दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित आईटी और डोमेन प्रयोगशालाएं
  - परियोजना आवश्यकताओं के अनुसार छात्रों को सुविधाएं / मनोरंजन देना
  - प्रशिक्षकों की योग्यता
- प्रचलन, वित्त, आईटी और एमआईएस सिस्टम सहित विभिन्न पहलुओं पर नियमित आधार पर एसआरएलएम और पीआईए की क्षमता निर्माण
- जहां आवश्यक हो वहां उपचारात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिशें
- परियोजना निष्पादन की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन
- परियोजना अनुप्रयोगों का मूल्यांकन

7.8.1 सफल कहानियां / विशेष उपलब्धियां

अनीता साइकिया, करबी एंग्लोंग जिले में एक तटवर्ती गांव "हावड़ाघाट" के गरीब (ओबीसी) परिवार से संबंधित है । अनीता ने 2016 में 12 वीं पास की लेकिन अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई । एक दिन उसने एक संगठन कार्यक्रम में डीडीयू-जीकेवाई के बारे में सुना, जिसके बाद उसने "मार्कज़ुल मारिफ़" का दौरा किया और वहॉ दिए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षणों के बारे में पता किया । उसने "बीपीओ वाईस" व्यापार के लिए नामांकन किया और मानदंडों को पूरा करने के बाद उसे प्रवेश मिल गया ।

वह एक अच्छी प्रशिक्षु थी क्योंकि वह असमिया माध्यम से पढी, उसे अंग्रेजी और हिंदी भाषा में मुश्किल हुई । हालांकि, वह एक मेहनती और समर्पित लड़की थी और बहुत कम समय में उसने निजी कंपनियों में काम करने के लिए खुद को तैयार कर लिया ।

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, उसे "कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव" पद के लिए चुना गया । वह अब कोलकाता के लिए "सीसीई" के रूप में "एईजीआईएस कस्टमर केयर प्राइवेट लिमिटेड" में काम कर रही है, और 12800.00 रुपये का मासिक वेतन पा रही है । शुरुआत में उसके माता-पिता उसे कोलकाता में काम के लिए भेजने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब वे उसके जीवन में आए बदलाव को देखकर खुश हैं, यहां तक कि वह अपने पिता को आर्थिक रूप से मदद कर रही है । वह अपनी नौकरी के बारे में बताते हुए खुश होती है कि वह घर पर थी तो कैसी थी और अब प्रशिक्षण के बाद नौकरी ने उसकी जिंदगी बदल दी ।

बाद में, असम में डीडीयू-जीकेवाई के सभी केंद्रों में उसे डीडीयू-जीकेवाई के सर्वश्रेष्ठ शिक्षार्थी के रूप में सम्मानित किया गया । स्किल कॉन्क्लेव - असम 2018 के अवसर पर उसे माननीय मुख्यमंत्री श्री सरबानंद सोनोवाल द्वारा सम्मानित किया गया ।

अध्याय - 8 नीति समर्थन

एनआईआरडीपीआर एक शीर्ष संस्थान होने के नाते इसकी परिकल्पना ग्रामीण विकास और पंचायत राज के क्षेत्र में विचार भंडार के रूप में की गई है। इसके भाग के रूप में, संस्थान ग्रामीण विकास और गतिशीलता के विभिन्न पहलुओं पर कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन, कार्यशालाएँ, सेमिनार आदि का आयोजन करता है और विभिन्न विकास कार्यक्रमों की नीति निर्माण तथा प्रभावी प्रबंधन के लिए फीडबैक प्रदान करता है। ये गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं जो केंद्र और राज्य सरकारों को उनके कार्यान्वयन में विभिन्न विकास कार्यक्रमों, इसकी प्रभावशीलता और बाधाओं के कार्यान्वयन के बारे में उचित प्रतिक्रिया प्रदान करेगी। दूसरा, अनुसंधान संकाय सदस्यों की क्षमता में सुधार करने में मदद करेगा क्योंकि अनुसंधान निष्कर्ष प्रशिक्षण सामग्री की तैयारी में इनपुट बनाएंगे। उपरोक्त गतिविधियों से उत्पन्न महत्वपूर्ण क्षेत्र और जिनके आधार पर प्रत्युत्तर के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं, मॉडल में विचारों, सुझावों को बदलने की परिकल्पना की गई है ताकि ग्रामीण आबादी के सतत जीवन में निम्नानुसार सुधार किया जा सके।

8.1 किफायती नवप्रवर्तन

किफायती और टिकाऊ उत्पादों में नवप्रवर्तन जो ग्रामीण गरीबों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, एनआईआरडीपीआर ने "किफायती नवपरिवर्तन" पर एक सहयोगी कार्यशाला का आयोजन किया जो विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक समावेशी मंच बनाने में मदद करता है और संभावित समर्थन के लिए विशेषज्ञों के साथ नवप्रवर्तकों को जोड़ता है । ई-कामर्स प्लेटफार्म द्वारा उत्पादों को बाजार में लाने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ लिंकेज, प्रभावी बाजार नीतियों तथा सहायता देने के लिए बुनियादी ढॉचा तैयार करने में संभावित क्षेत्रों की शिनाख्त में अनुवर्ती के रूप में माना जाएगा । इसके अतिरिक्त, नवप्रवर्तकों के उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए एनआईआरडीपीआर में एक स्थाई आउटलेट और नवप्रवर्तक कैफे आरंभ करके नवप्रवर्तन, उद्यमियों की प्रोफाईल तथा संबंध उद्घोषणा पर बल देते हुए एक पत्रिका के प्रकाशन पोर्टल आरंभ करने का निर्णय लिया गया ।

8.2 आरडी और पीआर के सचिवों और एसआईआरडीपीआर के प्रमुखों का राष्ट्रीय सम्मेलन

आरडी और पीआर के सचिवों और एसआईआरडीपीआर के प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन ने प्रशिक्षण प्रभावशीलता में सुधार के लिए एसआईआरडीपीआर और ईटीसी को मजबूत करने के विभिन्न उपायों की सिफारिश की। सिफारिशें जो नीति प्रभावित हैं उसमें एसआईआरडीपीआर के लिए एचआर नीति के क्षेत्र, संकाय विकास कार्य तथा एसआईआरडीपीआर आत्म निर्भरता की ओर बढना शामिल है ।

8.3 अपशिष्ट रहित समुदायों को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन

कई गॉवों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) रूप में घोषित करने के बाद स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत

अगला एजेंडा कचरा मुक्त स्वच्छ गॉव है । इसलिए, अपशिष्ट मुक्त समाज बनाना एक लंबी यात्रा है। हमारा कार्य "अपशिष्ट मुक्त समाज" को गंतव्य के रूप में देखते हुए, जागरूक और प्रगतिशील होकर, अपशिष्ट निर्माण में कमी करना है ।

अगस्त में अपशिष्ट मुक्त समुदायों को बढ़ावा देने पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसने महत्वपूर्ण निर्देश का नेतृत्व किया, जिसमें वास्तविकता में अपशिष्ट रहित समुदाय बनाने के लिए सक्षम नीति परिवेश हासिल करने की दिशा में अपशिष्ट प्रबंधन के विचार-विमर्शों में अपशिष्ट रहित समुदायों को बढावा देने और जारी रखने, एसएचजी के सदस्यों, स्थानिक युवाओं और निजी क्षेत्र के भागीदारों को व्यस्त रखने की चुनौतियों की पहचान करके स्थायी प्रौद्योगिकियों की समीक्षा जैसे नीति निर्देश शामिल हैं जिसे प्रवर्धित किया जा सकता है, ग्राम पंचायत स्तर पर वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य तरीके से परिलक्षित कतिपय क्षेत्र जिन्हें सक्षम बनाने की आवश्यकता है ।

8.4 जीएसटी परिदृश्य पर अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन पर कार्यशाला: चुनौतियां और संभावनाएं

जीएसटी, नोटबंदी, बैंकिंग लेनदेन में सुधार, व्यापार करने में आसानी में सुधार, प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण और डिजिटलीकरण जैसे नीतिगत पहलों की श्रृंखला अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के प्रयास से शुरू की गई है। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक संस्थापन के तहत काम करता है और इसके विशाल रोजगार और आजीविका हिस्सेदारी के चलते, अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यम इन परिवर्तनों को कैसे देखेंगे और जवाब देंगे, यह एक चिंता का विषय था । इस पृष्ठभूमि पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड पीपुल्स एक्शन (सीसीएसआर, पीपीपी और पीए) और सेंटर फॉर एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट (सीईडी) ने 5 और 6 फरवरी, 2018 को एनआईआरडीपीआर में संयुक्त रूप से जीएसटी परिदृश्य : चुनौतियां और संभावनाएँ पर अनौपचारिक क्षेत्र से कार्यात्मक क्षेत्र में परिवर्तन पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की । कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों पर इन नीतिगत परिवर्तनों के प्रभावों पर चर्चा करना और इन उद्यमों को उनकी आजीविका और कल्याण में सुधार करने में मदद करने के लिए एक रणनीति तैयार करना था। अनौपचारिक से औपचारिक उद्यमों में परिवर्तन की प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए कार्यशाला ने अनौपचारिक क्षेत्र, जीएसटी, कौशल विकास, उद्यमिता और सार्वजनिक वित्त में विशेषज्ञों को एकजुट किया। अनुसंधान योग्य मुद्दे, कार्य योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विचार, क्षमता विकास कार्यक्रम, नेटवर्किंग और संपर्क की श्रृंखला पर चर्चा की गई जिसे एनआईआरडीपीआर आरंभ कर सकता हैं। इस कार्यक्रम ने उप-क्षेत्रों की पहचान करने के लिए रोडमैप तैयार करने में मदद की, जीएसटी, नोटबंदी के प्रभाव को समझने के लिए मामला अध्ययन शुरू किया, नकद रहित अर्थव्यवस्था को अपनाया, नीतिगत परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की ।

8.5 ग्रामीण विकास में "स्मार्ट गॉव" को मुख्यधारा में लाने की अवधारणा पर कार्यशाला: विश्लेषण और नीति ढांचा

हाल ही में ग्रामीण और कृषि विकास के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि जैसे नीतिगत पहलों की श्रृंखला, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने पर जोर, अभिसरण पर ध्यानाकर्षण, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम), मिशन अंत्योदय, आदि को सरकार द्वारा हमारे गावों में परिवर्तनीय बदलाव लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। हालांकि, गांव अभी भी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं और देश कृषि और ग्रामीण संकट के अधीन है। समकालीन काल में कई उल्लेखनीय बदलाव और कठिन चुनौतियां देखी गई हैं। लेकिन, इन बलों के उपयोग करने और पोषित करने का अच्छा अवसर बना हुआ है। इस पर सेंटर फॉर एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट (सीईडी) ने 22 और 23, फरवरी 2018 को एनआईआरडी और पीआर में 'ग्रामीण विकास में मुख्यधारा के स्मार्ट गांवः विश्लेषण और नीति का ढांचा' पर दो दिवसीय परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य देश भर में "स्मार्ट गांव" के मौजूदा मॉडल पर व्यापक समझ को आत्मसात करना था, स्मार्ट गांव के एक स्व-टिकाऊ और व्यवहार्य मॉडल के समग्र ढांचे की तैयारी करने की रणनीति तैयार करना था और मौजूदा ग्रामीण संस्थागत व्यवस्था के निगरानी योग्य तथा निष्पादन योग्य मॉडल भी विकसित करना था । विचार-विमर्श का आशय गांव के सामर्थ्य पर आधारित संरचना को रूप देना और शासन, सेवा आपूर्ति में कार्यक्षमता और प्रभावोत्पादकता का सुधार करने के लिए उन सामर्थ्यों का उपयोग करना और स्मार्ट गांव बनाना था । (क) स्मार्ट गांव का आत्मनिर्भर और व्यवहार्य मॉडल विकसित करना और निष्पादन रणनीति तैयार करना (ख) बेहतर और सशक्त

ग्रामीण शासन के लिए प्रौद्योगिकी समाधान स्मार्ट ग्राम नीति की रूपरेखा बनाना (ग) एक स्मार्ट गांव बनाने में गांव समुदायों, ग्रामीण संस्थानों को मुख्यधारा में लाना और (घ) स्मार्ट गांव पहल कार्यान्वयन के लिए निवेश और संसाधन आवंटन तंत्र के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करना । विचार-विमर्श ने अधिक गांवों को व्यापक तरीके से लक्षित करने का ढांचा तैयार किया। स्मार्ट गॉवों की घोषणा के लिए स्मार्ट गॉवों और निगरानी ढांचे को प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए परिणामों का उपयोग किया जाएगा ।

8.6 किसानों की आय दोगुनी करने की राष्ट्रीय प्राथमिकता हासिल करने के लिए विकास इंजन के रूप में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

एफपीओ नई पीढ़ी के समुदाय आधारित संस्थागत मॉडल के रूप में उभर रहे हैं ताकि निवेश से लेकर, प्रौद्योगिकी और स्वयं सहायता की भावना से बाजार समर्थन तक किसानों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा किया जा सके। विभिन्न राज्यों में जिला/ राज्य स्तर पर उभरते किसान समूह, उनके एफपीओ और एफपीओ के संघ, किसानों को सामूहिक विकास के लिए जबरदस्त क्षमता का संकेत देते हैं। भारत में विभिन्न वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा प्रचारित लगभग 4000 एफपीओ पहले ही पंजीकृत हैं। हालांकि, स्वतंत्र व्यापार उद्यमों में एफपीओ के बढते चरण से कई मुद्दे और चिंताएं उभर रही हैं, जिससे कई एफपीओ रणनीतिक दिशा खो रहे हैं। कार्यान्वयन बाधाओं से बाहर निकलने के लिए प्रमुख हितधारकों की नेटवर्किंग और एफपीओ को मजबूत करने के सामान्य लाभ के लिए अपने मानकों को समक्रमिक करना आवश्यक है।

एनआईआरडीपीआर के कृषि अध्ययन केंद्र (सीएएस) ने 15-16, सितंबर 2017 के दौरान "एफपीओ के मानकों को समक्रमिक करना - बैंकों, निगमों, राज्य और एसएफएसी के साथ अभिसरण" पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। मानकों को समक्रमिक करने के शब्द के माध्यम से, इसका मतलब मुख्य उत्कृष्ट पद्धतियों और प्रदर्शन संकेतकों के बारे में उद्योग मानकों को निर्धारित करने के लिए है ताकि सभी हितधारकों द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक ठोस प्रयास किया जा सके। इस कार्यशाला में हितधारकों के व्यापक प्रतिनिधित्व ने सहभाग किया जिसमें नाबार्ड, एसएफएसी, आरआई और एफपीओ प्रतिनिधि शामिल थे। प्रतिभागियों द्वारा साझा किए गए क्षेत्र-आधारित साक्ष्य बताते हैं कि प्राथमिक उत्पादक सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से लाभ उठा रहे हैं। हालांकि, विभिन्न चरणों में अर्थात् उद्भवन और आरंभिक चरण से उभरने तक और बढ़ते चरण से परिपक्व चरण तक अर्थात् व्यापार विस्तार चरण में इन एफपीओ की संस्थागत, निधिगत और वित्तीय आवश्यकताएँ साधारणत: पूर्ण रूप से भिन्न है, कार्यशाला ने सुझाव दिया है कि समर्थन प्रणालियों को एफपीओ के विभिन्न चरणों में आवश्यकतानुसार अनुकूलित किया जाना है।

लंबे समय तक कार्यशाला ने विस्तार से निदेशक मंडल और एफपीओ के सीईओ से लेकर कार्यान्वयन संगठनों और उधार एजेंसी जैसे कि बैंक तथा एमएफआई तक के विभिन्न हितधारकों की क्षमताओं के निर्माण में राष्ट्रीय संसाधन सहायता संगठन के रूप में मुख्य भूमिका निभाने में ग्रामीण विकास और पंचायती राज (आरडी और पीआर) के शीर्ष निकाय के रूप में एनआईआरडीपीआर की भूमिका पर विचार-विमर्श किया । कार्यशाला ने राज्य प्रायोजित योजनाओं, एमएफआई, बैंकों, बाजारों और निगमों के संबंध में एफपीओ के प्रदर्शन मानकों को समक्रमिक करने की आवश्यकता का दृढ़ता से सुझाव दिया । इसे सक्षम करने के लिए, कार्यशाला में उभरी प्रमुख नीति अनुशंसा यह है कि देश में एफपीओ की गतिविधि को मजबूत करने के लिए एनआईआरडीपीआर को विभिन्न पहलुओं में मुख्य भूमिका निभानी होगी। इन क्षेत्रों में मंत्रालयों (कॉर्पोरेट मामलों, वित्त, कृषि, आरडी इत्यादि), एसएफएसी, नाबार्ड और अन्य प्रचार संस्थानों के साथ क्षमता निर्माण, दूरदर्शिता, योजना, अभिविन्यास और अध्ययन विचार-विमर्श शामिल हैं। इसके अलावा यह सुझाव दिया गया है कि एनआईआरडी और पीआर में बनाया गया एक एफपीओ प्रकोष्ठ इन भूमिकाओं को पूरा करने के लिए तंत्र हो सकता है।

अध्याय - 9 प्रशासन

एनआईआरडीपीआर का प्रशासनिक विंग संस्थान के प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी गतिविधियों को करने और दिन-प्रतिदिन कार्य से संबंधित सभी मामलों को पूरा करने में संकाय सदस्यों को समर्थन और सहायता प्रदान करता है । नीति, कार्यान्वयन और क्रमशः अकादमिक मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संस्थान की महापरिषद, कार्यकारी परिषद और शैक्षणिक समिति गठित है । संस्थान की नीतियां और रणनीतियों को महापरिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है । माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री महापरिषद की अध्यक्षता करते हैं । संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन का कार्य कार्यकारी परिषद में निहित होता है । सचिव, ग्रामीण विकास इसके अध्यक्ष और महानिदेशक सदस्य सचिव होते हैं ।

संस्थान की अध्यक्षता महानिदेशक करते हैं, जो अपने सचिव / उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड स्केल / एपेक्स स्केल वाले सचिव के पद में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं । महानिदेशक संस्थान के मामलों के प्रशासन के लिए ज़िम्मेदार होते हैं और कार्यकारी परिषद की दिशा और मार्गदर्शन के तहत अधिकार का प्रयोग करेंगे । महानिदेशक, उप महानिदेशक, निदेशक (वित्तीय प्रबंधक) सह वित्तीय सलाहकार एवं रजिस्ट्रार सह निदेशक (प्रशासन) की सहायता सहायक रजिस्ट्रार (स्थापना और प्रशिक्षण) करते हैं, सहायक वित्तीय सलाहकार और वेतन एवं लेखा अधिकारी आदि । संगठन के गठन को निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है ।

आलेख- II एनआईआरडीपीआर का संगठनात्मक चार्ट

एनआईआरडीपीआर का संगठनात्मक चार्ट

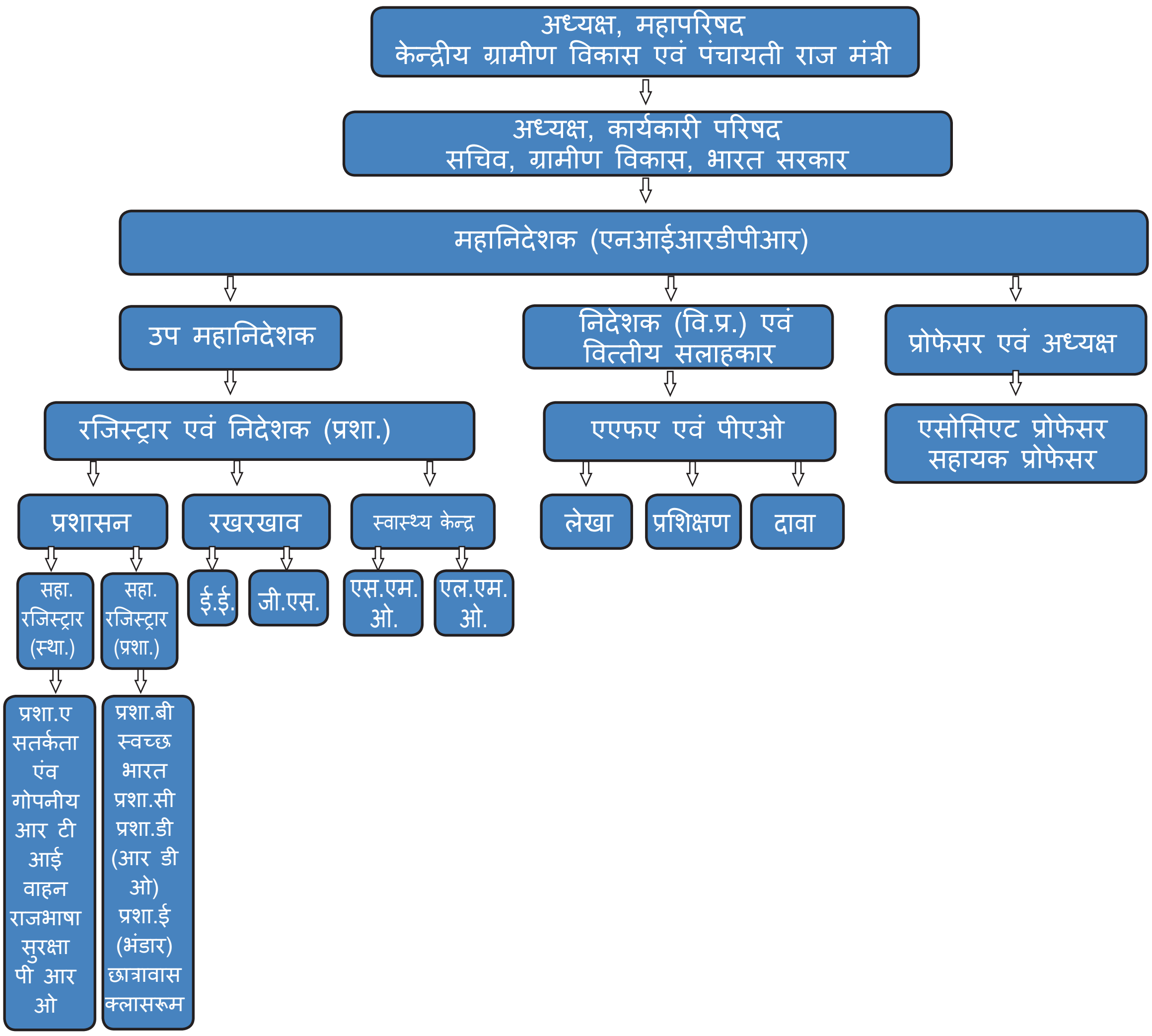

9.1 महापरिषद

माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार महापरिषद की अध्यक्षता करते हैं । संस्थान के प्रबंधन और सामान्य नियंत्रण के लिए महापरिषद जिम्मेदार है। 31 मार्च 2018 तक 2017-18 के लिए गठित महापरिषद के गठन को परिशिष्ट-VII में दिया गया है ।

9.2 कार्यकारी परिषद

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता करते है । महापरिषद के सामान्य नियंत्रण और निर्देशों के अनुसार कार्यकारी परिषद संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन के लिए ज़िम्मेदार है । 31 मार्च, 2018 तक वर्ष 2017-18 के लिए कार्यकारी परिषद के गठन को परिशिष्ट - VIII में दिया गया है ।

9.3 शैक्षणिक समिति

महानिदेशक की अध्यक्षता में शैक्षणिक समिति संस्थान के अनुसंधान और प्रशिक्षण से संबंधित सभी मामलों का निपटान करती है जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए वार्षिक कैलेंडर को अंतिम रूप देना भी शामिल है । संस्थान के महानिदेशक शैक्षणिक समिति के अध्यक्ष होते हैं । समिति की संरचना को परिशिष्ट - IX में दर्शाया गया है ।

9.4 एनआईआरडीपीआर का पुनर्गठन

ग्रामीण विकास के लिए क्षमता निर्माण की बढ़ती चुनौतियों को पूरा करने के उद्येश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा डॉ. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्य में जुडे नोडल संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्र (ईटीसी) के पुनर्गठन और सुधार के उपायों का सुझाव देगी ।

मंत्रालय ने माननीय मंत्री (आरडी, पीआर और डीडब्ल्यूएस) के अनुमोदन से की मंजूरी के साथ डॉ. वाई. के. अलघ समिति और श्री एस विजया कुमार की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर निर्णय लिया था । परिवर्तनों का अवलोकन करने के लिए, मंत्रालय ने विशेष सचिव (ग्रा.वि.) की अध्यक्षता में ट्रान्जीशन मैनेजमेंट कमेटी (टीएमसी) का गठन किया । कार्यान्वयन हेतु अलघ समिति के निर्णय इस प्रकार थे :

1. विजन को पुन: तैयार करना
2. विशिष्ट अधिदेश के साथ स्कूलों और केंद्रों का गठन
3. संकाय और सहायक कर्मचारियों का पदस्थापन
4. समितियों का पुनर्गठन
5. ट्रान्जीशन मैनेजमेंट कमेटी (टीएमसी) की कार्य पद्धति
6. सरलीकरण समिति और विवाद समाधान उप समिति का गठन
7. जयपुर और पटना में क्षेत्रीय केंद्रों को बंद करना
8. एसआईआरडी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा
9. ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट संस्थानों सहित नेटवर्किंग का विकास करना
10. प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य योजना को तैयार करना
11. एनआईआरडीपीआर की नियमावली और उप-नियमों में संशोधन

इनमें से अधिकांश निर्णयों को कार्यान्वित किया गया है। अलघ कमेटी के निर्णय के अनुसार, संस्थान को स्कूलों में पुनर्गठित किया गया है जिसमें कई केन्द्र होंगे और प्रत्येक स्कूल के लिए उनके विकल्पों, योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर संकायों को आबंटित किया जाएगा । विवरणों को नीचे दिया गया हैं:

तालिका 10 : प्रस्तावित स्कूल्स

क्र.सं.	प्रस्तावित स्कूल	स्कूल के अंतर्गत प्रस्तावित केन्द्र
1.	विकास अध्ययन एवं सामाजिक न्याय	1. मानव संसाधन विकास केन्द्र (सीएचआरडी) 2. जेंडर एवं विकास केन्द्र (सीजीएडी) 3. समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र (सीईएसडी) 4. कृषि अध्ययन केन्द्र (सीएएस) 5. स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्र (सीपीजीएस एवं डीई)
2.	ग्रामीण आजीविका और आधारभूत संरचना	1. मजदूरी रोजगार केन्द्र (सीडब्ल्यूई) 2. कौशल एवं कार्य केन्द्र (सीएसजे) 3. वित्तीय समावेशन एवं उद्यमशीलता केन्द्र (सीएफआईई) 4. ग्रामीण आधारभूत संरचना केन्द्र (सीआरआई) 5. उद्यमशीलता विकास केन्द्र (सीईडी) 6. आजीविका केन्द्र (सीएफएल)
3.	सततयोग्य विकास	1. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन केन्द्र (सीएनआरएम) 2. जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन केन्द्र (सीसीसीडीएम)
4.	लोक नीति एवं सु-शासन	1. योजना, निगरानी एवं मूल्यांकन केन्द्र (सीपीएमई) 2. सी एस आर, सार्वजनिक निजी साझेदारी एवं जन कार्रवाई केन्द्र (सीसी, पीपीपी एवं पीए) 3. सुशासन एवं नीति विश्लेषण केन्द्र (सीजीजी एवं पीए)
5.	स्थानीय शासन	1. पंचायती राज केंद्र (सीपीआर) 2. विकेंद्रीकृत योजना केन्द्र (सीडीपी) 3. सामाजिक सेवा वितरण केन्द्र (सीएसएसडी) 4. सामाजिक लेखापरीक्षा केंद्र (सीएसए)
6.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान प्रणाली	1. ग्रामीण विकास में भू-संसूचना अनुप्रयोग केंद्र (सीजीएआरडी) 2. अभिनव एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीआईएटी) 3. व्यावसायिक समर्थन केंद्र 4. विकास प्रलेखन एवं संचार केन्द्र (सीडीसी) 5. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीटी) 6. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समन्वयन एवं नेटवर्किंग केन्द्र (सीआरटीसीएन)

9.5 सामान्य प्रशासन

संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में महानिदेशक होते हैं जो संस्थान के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं और कार्यकारी परिषद के अनुदेशों एवं मार्गदर्शन के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हैं ।

संस्थान का प्रशासन समन्वय, सांविधिक बैठकों का आयोजन, व्यवस्था एवं कार्मिक प्रबंधन, अतिथि गृह का प्रबंधन, परिवेश सहायक सेवा, स्वास्थ्य सेवा और कर्मचारियों के कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है ।

9.5.1 सांविधिक बैठकें

वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित सांविधिक बैठकें आयोजित की गई:

तालिका II: सांविधिक बैठकें

बैठकें	दिनांक	स्थान
121 वीं कार्यकारी परिषद	12.04.2017	ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
122 वीं कार्यकारी परिषद	04.08.2017	ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
123 वीं कार्यकारी परिषद	01.11.2017	ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
124 वीं कार्यकारी परिषद	20.12.2017	ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली

9.5.2 आधारभूत संरचना सुविधाएं

संस्थान 174.21 एकड़ क्षेत्र में स्थित है जिसमें आधारभूत संरचना सुविधाएं जैसे संकाय भवन, प्रशासनिक भवन, सुसज्जित पुस्तकालय, 223 अतिथि कमरे वाले चार वातानुकूलित अतिथि गृह, 300 लोग बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, 11 सम्मेलन कक्ष, समुदाय भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 219 आवासीय क्वार्टर्स, स्टाफ कैंटीन, शिशु सदन, महिला मंडली, युवा क्लब, योग और जिमनेजियम सुविधाएं इत्यादि है । अत्याधुनिक नए सम्मेलन कक्षों के निर्माण के लिए कार्य शुरू किया गया है ।

9.5.3 आईटी आधारभूत संरचना

एनआईआरडीपीआर में इंटरनेट और इंट्रानेट की समर्पित संयोजकता के साथ नवीनतम तकनीकी सुविधाओं के साथ एक उत्कृष्ट अत्याधुनिक कंप्यूटर केंद्र है । एनआईआरडीपीआर को भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है । एनआईआरडीपीआर नेटवर्क प्रभावी शैक्षणिक, प्रशासनिक कार्यों, ई-ऑफीस, ई-जर्नल, एनआईआरडीपीआर ई-जेआरडी, राज्य, जिलों, एसआईआरडी / ईटीसी, राष्ट्रीय संस्थानों, अनुसंधान संगठनों आदि के साथ आईपीकेएन के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है, और इसमें भारत सरकार, मंत्रालयों और विभागों के संबंधों के साथ इसके नेटवर्क रेंज में 1000 अतिथेय संभावना है ।

एनआईआरडीपीआर को अपने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) संयोजकता से 100 एमबीपीएस और मैसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अतिरिक्त 33 एमबीपीएस समर्पित लिंक की उपलब्धता के माध्यम से निर्बाध इंटरनेट सेवाएं मिलती हैं । एनआईआरडीपीआर की नेटवर्क प्रौद्योगिकी-सघन है और एनआईसी, द्वारा mail.gov.in डोमेन, ई-ऑफिस और कैंपस में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिभागियों को सभी सेवाएं प्रदान कर रहा है ।

पूरे परिसर, कार्यालय भवनों और अतिथि गृहों में वाई-फाई सुविधाएं उपलब्ध हैं । संस्थान में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण, मूल्यांकन, हैण्ड होल्डिंग आदि के लिए दो सुसज्जित सीआईसीटी कंप्यूटर लैब और अत्याधुनिक सी-गार्ड जीआईएस लैब उपलब्ध है । ये प्रयोगशालाएं कार्यालय के वर्तमान आवश्यकताओं और संस्थान की प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को पूरा करती हैं और उद्योग के समान संस्थान की उभरती जरूरतों को पूरा करती हैं । सी-गार्ड लैब ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए आंतरिक जीआईएस अनुप्रयोगों के डिजाइन और काम में लगा हुआ है । वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की सूची नीचे दी गई हैं:

क) इन-हाउस एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग प्रणाली विकसित करना जो संगठन को प्रभावी निर्णय क्षमता को सुधार के उद्देश्य से संगठन के सभी प्रमुख क्षेत्रों से जानकारी प्रबंधित और कनेक्ट करने में सहायता करता है । ईआरपी सिस्टम उद्यम के सभी पहलुओं को एक व्यापक सूचना प्रणाली में एकीकृत करते हैं । ईआरपी चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित कर रहा है । चरण -1 में, निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित और रोल आऊट किए गए हैं:

i) पेरोल प्रबंधन प्रणाली

ii) स्टोर प्रबंधन प्रणाली

iii) आगंतुक निगरानी प्रणाली

ख) इन-हाऊज स्मार्ट रिसर्च मॉनिटरिंग सिस्टम को विकसित और कार्यान्वित किया गया है जो बेहतर शासन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं की परियोजना योजना और निगरानी है ।

ग) संस्थान में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आवेदनों की ऑनलाइन प्रस्तुति को विकसित और कार्यान्वित किया गया है ।

घ) एनआईआरडीपीआर स्वास्थ्य केंद्र के लिए वेब आधारित इन-हाउस सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है ।

9.5.4 पुस्तकालय का डिजिटलीकरण

एनआईआरडीपीआर, पुस्तकालय के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में है । डिजिटल भंडार का निर्माण संस्थागत प्रकाशनों के अद्वितीय संग्रह को प्रदर्शित करना है । अपने सर्वोत्तम अभ्यास के साथ उपयोगिता ने वर्तमान और भविष्य में अपने सभी समुदाय को जानकारी विस्तार करने के लिए एनआईआरडीपीआर दस्तावेज़ों के डिजिटलीकरण को विकसित किया है । एनआईआरडीपीआर में डिजिटलीकरण के रूप में ज्ञान भंडार की शाखा सूचना के दस्तावेज़ीकरण के भौगोलिक प्रसार पर अतिक्रमण करेगी। संस्थान ने स्कैन किए गए दस्तावेज़ों तक पहुंचने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर खरीदा है ।

9.6 नियुक्तियाँ

संस्थान कई शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, सहायक रजिस्ट्रार, दस्तावेज़ीकरण अधिकारी, दस्तावेज़ीकरण सहायक, पुस्तकालय सहायक, गार्डन अधीक्षक, फार्मासिस्ट, आशुलिपिक ग्रेड-III, केयरटेकर आदि पदों को भरने का काम किया है । पहली बार, उम्मीदवारों के आवेदनों को ऑनलाइन में आमंत्रित किए गए और जांच की प्रक्रिया, उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग जैसे कार्यों को जनशक्ति की कम भागीदारी के साथ पूरा किया गया ।

वर्ष के दौरान भर्ती किए गए पदों / नियुक्तियों के विवरण को नीचे दिया गया है:

तालिका 12: भर्ती किए गए पद / नियुक्तियॉं

क्र.सं	पद का नाम	विज्ञापित पदों की संख्या	जारी नियुक्तियों की पेशकश	जारी पदों की संख्या
1.	प्रोफेसर	16	7	3
2.	सहयोगी प्रोफेसर	17	13	13
3.	सहायक प्रोफेसर	16	9	9
4.	सहायक रजिस्ट्रार	01	01	01
5.	सहायक संपादक	01	01	01
6.	सहायक लाइब्रेरियन	02	02	01
7.	फार्मेसिस्ट	01	01	01
8.	आशुलिपिक ग्रेड-III	06	06	06
9.	कार्यवाहक	01	01	01
10.	सीनियर फेलो	04	04	02

9.7 संकाय विकास:

संस्थान के संकाय और गैर-संकाय दोनों सदस्यों को देश विदेश में विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है । 2017-18 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में संकाय और गैर-संकाय सहभागिता का विवरण परिशिष्ट - X में दिया गया है ।

9.8 कर्मचारी कल्याण

शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की कुल जनशक्ति नीचे दी गई है:

तालिका 13: शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की जनशक्ति

शैक्षणिक कर्मचारी

1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	भूतपूर्व सैनिक	कॉलम 5 में से महिलाएं
ग्रूप-ए	8	3	14	30	55	--	16
ग्रूप-बी	--	--	2	2	4	--	--
कुल	8	3	16	32	59	--	16

गैर-शैक्षणिक कर्मचारी

1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	भूतपूर्व सैनिक	कॉलम 5 में से महिलाएं
ग्रूप-ए	2	1	--	6	9	--	3
ग्रूप-बी	4	1	3	17	25	--	8
ग्रूप-सी	9	2	35	59	105	3	26
ग्रूप-सी (पुन:वर्गीकृत)	37	5	20	18	80	1	12
कुल	52	9	58	100	219	4	49

संस्थान ने पूर्व की भांति कल्याण क्रियाकलापों के भाग के रूप में कैम्पस में स्थित भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल को अपनी सहायता का समर्थन जारी रखा है । एनआईआरडीपीआर, ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों के अधिकांश बच्चों को भी कई अन्य लाभ दिए गए जैसे बच्चों के विवाह के लिए पुनर्देय ऋण, बच्चों के उच्चतर अध्ययन आदि के लिए संस्थान की हितकारी निधि से कम ब्याज पर पुनर्देय ऋण ।

9.9 स्थापना दिवस समारोह (नवंबर 09, 2017)

एनआईआरडीपीआर ने 'स्वच्छता' विषय के साथ 9 नवंबर, 2017 से 30 नवंबर, 2017 तक स्थापना दिवस समारोहों का आयोजन किया । विशेषज्ञों के साथ एक औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम के बाद वर्ष 2017 के नवंबर, महीने में विषय के अनुसार निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

क) फिल्म समारोह

विकास प्रलेखन एवं संचार केन्द्र (सीडीसी) ने ग्रामीण विकास पर एक राष्ट्रीय फिल्म समारोह (7 और 8 नवंबर, 2017) आयोजित किया । फिल्म महोत्सव में दो प्रमुख कार्यक्रम अर्थात् फिल्मों की स्क्रीनिंग और 'बेसिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग' पर एक कार्यशाला शामिल थी । फिल्म समारोह आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास से संबंधित शोध अध्ययन में दृश्य-श्रव्य माध्यम को बढ़ावा देना और देश के शौकिया फिल्म निर्माताओं को ग्रामीण विकास क्षेत्र पर फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

ख) 15 वां ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं शिल्प मेला

एनआईआरडीपीआर के ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क परिसर में हर वर्ष "ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं शिल्प मेला" आयोजित किया जाता है । इस परंपरा को जारी रखते हुए, 30 नवंबर - 4 दिसंबर, 2017 तक "स्किलिंग एंड एंटरप्रिन्यूरशिप - ए वे फॉरवर्ड फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन" के विषय पर 15 वां "ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं शिल्प मेला" आयोजित किया गया ।

18 राज्यों के ग्रामीण कारीगरों, टेक्नोक्रेट, उद्यमी, एसएचजी और एन जी ओ ने इस कार्यक्रम में भाग लिया । मेला में प्रदर्शित प्रौद्योगिकियों में शामिल हैं; सौर, बांस, कार्बनिक, कृषि, चमड़े, स्वच्छता, हथकरघा, आयुर्वेदिक, बाजरा, जूट, रेशम, कृत्रिम आभूषण, लकड़ी के कटलरी, पेपर पेंसिल, कश्मीरी शाल, सजावटी सामान बनाना, फाइबर, हस्त शिल्प, मिट्टी के सामान, कढ़ाई के काम, लकड़ी शिल्प और सूखे सजावटी फूल, आदि का प्रदर्शन और बिक्री किया गया । भाग लेने वाली प्रमुख एजेंसियां हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नई दिल्ली, डीडीयू-जीकेवाई परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (पीआईए) जो आतिथ्य, बीपीओ, खुदरा व्यापार, टैली और लेखा में प्रशिक्षण जैसे क्रियाकलाप और व्यापार में विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं ।

9. 10 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

8 मार्च, 2018 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया । जेंडर अध्ययन और विकास केंद्र ने महिला दिवस समारोह का आयोजन किया तत्पश्चात् 8 और 9 मार्च, 2018 को "भारत के चेंज-मेकर सरपंचों द्वारा अनुभव शेयरिंग" पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई । पद्मश्री डॉ. क्षमा मेत्रे, चिन्मय ग्रामीण विकास संगठन (सीओआरडी) की राष्ट्रीय निदेशक और श्री जितेंद्र शंकर माथुर, पूर्व सचिव, एमओपीआर समारोह के मुख्य अतिथि थे । कामकाजी महिलाओं के संघर्ष और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए, इस अवसर पर एनआईआरडीपीआर ने पूरे भारत से 40 जमीनी स्तर के सरपंचों को आमंत्रित किया ।

सरपंचों ने उनके ग्राम पंचायतों में शासन के अनूठी पहलों को प्रस्तुत किया । 40 सरपंचों में से 32 महिला सरपंच थे और उनमें से कुछ ने साझा किया कि उन्होंने अन्य पुरुष उम्मीदवारों के साथ चुनाव लडके आम सीट से चुनाव जीता है ।

इस सत्र के बाद महिलाओं और बाल अनुकूल पंचायतों और जीपीडीपी के कार्यान्वयन हासिल करने के मार्गों पर केंद्रित मुद्दों पर चर्चा की गई ।

9.11 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह

21 जून, 2017 को एनआईआरडीपीआर द्वारा मुख्यालय के साथ-साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र में 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों सहित कर्मचारियों ने उनके परिवार के सदस्य और बच्चों के साथ योग में भाग लिए ।

9.12 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

संस्थान ने सूचना प्रदान करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाया है। एनआईआरडीपीआर की वेबसाइट आरटीआई अधिनियम, 2005 में अनिवार्य प्रकटीकरण का विवरण प्रदान करती है ।

संस्थान ने आरटीआई आवेदकों द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, दो सहायक जन सूचना अधिकारी और पारदर्शी अधिकारी को नामित किया है और एनआईआरडीपीआर की वेबसाइट पर उनके नाम भी प्रदर्शित किए गए हैं । उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनईआरसी) गुवाहाटी के लिए भी संस्थान के यहॉं अलग अपीलीय प्राधिकारी और लोक सूचना अधिकारी हैं । वर्ष 2017-18 के दौरान, नागरिकों से आरटीआई के तहत 105 आवेदन और परियोजनाओं, शैक्षणिक कार्यक्रमों, सेवा मामलें, न्यायालय मामलें, भर्ती, प्रकाशन और अपील से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपीलें प्राप्त हुई और प्रक्रिया एवं जानकारी के अनुसार इनका निपटान किया गया है और दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं । प्रक्रिया के अनुसार संस्थान ने अनिवार्य ऑनलाइन त्रैमासिक रिटर्न भी जमा किया ।

9.13 कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार, एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है । इस अवधि के दौरान, यौन उत्पीड़न की एक शिकायत प्राप्त हुई थी और विधिवत गठित आंतरिक शिकायत समिति द्वारा उचित जांच के बाद इसका निपटारा किया गया ।

9.14 राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रगामी प्रयोग 2017-18

संस्थान समय-समय पर भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन कर रहा है और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में संस्थान का निष्पादन उल्लेखनीय है । राजभाषा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार राजभाषा हिंदी को लागू किया है और रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान किए गए क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं:

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अनुसार सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट , संस्थान के नाम, अधिकारिक दस्तावेज और रिपोर्ट द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) में तैयार किए गए हैं । कंप्यूटर में यूनिकोड और एपीएस सॉफ्टवेयर इंस्टाल किया गया है ।

2. इस अवधि के दौरान संस्थान द्वारा निकाले गए प्रकाशन हैं एनआईआरडीपीआर समाचार पत्र (12 संख्या), ग्रामीण विकास समीक्षा (द्विवार्षिक जर्नल), एनआईआरडी प्रशिक्षण कैलेंडर - 2017-18, आर-सेटी समाचार पत्र "एंटरप्राइज़", एनआईआरडीपीआर प्रोफाइल (हिंदी), सांसद आदर्श ग्राम योजना रिपोर्ट और संसद आदर्श ग्राम योजना "समन्वय"।

3. आलोच्य वर्ष के दौरान, राजभाषा अनुभाग ने हिंदी में 3500 से अधिक पृष्ठों का अनुवाद पूरा किया है जिसमें अनुसूची, आरटीआई पत्र, संकाय पाठ्यक्रम सामग्री, वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखा आदि शामिल हैं ।

4. दिनांक 19.9.2017 को टॉलिक के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गईं और 19.3.2018 को कर्मचारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई । संस्थान द्वारा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम), हैदराबाद, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम) में तीन राजभाषा हिंदी तकनीकी सेमिनारों का आयोजन किया गया ।

5. 5 सितंबर से 19 सितंबर, 2017 के दौरान संस्थान द्वारा हिंदी पखवाड़ा / हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया । पखवाड़े के दौरान संस्थान के कर्मचारियों और एनआईआरडीपीआर परिसर में स्थित, भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल के बच्चों के लिए निबंध, प्रश्नोत्तरी, सुलेख, भाषण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया । श्रीमती मालती रेड्डी, अध्यक्ष महिला मंडली, एनआईआरडीपीआर ने समारोह की अध्यक्षता की।

6. इस अवधि के दौरान हिंदी सलाहकार समिति प्रोफार्मा और तिमाही प्रगति रिपोर्ट भर कर एमओआरडी, नई दिल्ली को भेजी गई ।

7. दिनांक 21 सितंबर, 2017 को डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर की अध्यक्षता में एनआईआरडीपीआर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) की तीसरी बैठक आयोजित की गई । महानिदेशक और टॉलिक के अध्यक्ष डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी ने चार कार्यालयों को हिंदी के कार्यान्वयन में उनके उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए राजभाषा शील्ड से पुरस्कृत किया ।

8. संस्थान के अधिकारी / कर्मचारी के कामकाजी ज्ञान को बढ़ाने के लिए संस्थान में हर दिन एक हिंदी शब्द सीखिए योजना कार्यान्वित की जा रही है । संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के बीच हिंदी में रुचि बढाने करने के लिए हिंदी उद्धरणों को भी प्रदर्शित किया जाता है ।

9. एनआईआरडीपीआर के बारे में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी एक वृत्तचित्र फिल्म तैयार किया गया है ।

9.15 प्रलेखन और प्रचार-प्रसार

संस्थान के पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर जानकारी प्रसारित करने का अधिदेश है । अधिदेश को पूरा करने में, संस्थान नियमित रूप से एक त्रैमासिक पत्रिका, मासिक समाचार पत्र, अनुसंधान विशिष्टताएं और ग्रामीण विकास सांख्यिकी प्रकाशित करता है । भारत में ग्रामीण विकास साहित्य के एक अग्रणी प्रकाशक के रूप में, एनआईआरडीपीआर अपने नियमित प्रकाशनों, समाजिक पत्रों आदि के जरिए नीति योजकों, शिक्षाविदों और अन्थों के साथ अपने अनुसंधान निष्कर्षों, निरीक्षित क्षेत्र वास्तविकताओं और वर्तमान विषय के मुद्दों पर दृषिकोणों को साझा करने का प्रयास करता है । एनआईआरडीपीआर के प्रकाशनें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की बेहतर योजना और प्रबंधन के लिए जमीनी वास्तविकताओं, प्रस्तावों और दिशानिर्देशों की प्रतिक्रिया प्रदान करने के मामले में नीति निर्माताओं की मदद करती हैं ।

संस्थान ने त्रैमासिक ग्रामीण विकास जर्नल (जेआरडी), एनआईआरडीपीआर समाचार पत्र ‘‘प्रगति’’ नामक मासिक प्रकाशन विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं की सिफारिशों और नियमित आधार पर एनआईआरडीपीआर द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर प्रकाश डालता है । किताबें, रिपोर्ट और अन्य संस्थागत प्रकाशनें सूचना का प्रमुख स्रोत होते हैं । संस्थान ने 140 भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं की सदस्यता प्राप्त किया है । विनिमय और प्रोत्साहन के आधार पर 17 पत्रिकाएं और विभिन्न ग्रामीण विकास संस्थानों से लगभग 40 समाचार पत्र प्राप्त होते हैं । समीक्षाधीन अवधि के दौरान, संस्थान का कुल पुस्तकों का संग्रहण 123185 हुआ है । ग्रामीण विकास जर्नल और समाचार पत्र के अलावा, संस्थान ने लेख, प्रपत्र और पत्रिकाओं, किताबों और पुस्तक समीक्षा आदि के रूप में 40 से अधिक प्रकाशन किए हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।

संस्थान पुस्तकालय के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में काम कर रहा है और डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर भी खरीदा है जिसे स्कैन किए गए दस्तावेजों को सुधारने के लिए इनस्टाल किया गया है । डिजिटल भंडार का निर्माण संस्थागत प्रकाशनों के अद्वितीय संग्रह को प्रदर्शित करता है ।

अध्याय-10 वित्त और लेखा

एनआईआरडीपीआर एक केन्द्रीय स्वायत्त निकाय है जो सभी क्रियाकलापों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है । प्रत्येक वर्ष, अनुमोदित बजट के अनुसार मंत्रालय, योजना/योजनेतर शीर्ष के तहत अनुदान रिलीज करता है । एनआईआरडीपीआर के प्रस्ताव तथा आवश्यकता के आधार पर विशिष्ट पूंजी व्यय के लिए भी अनुदान रिलीज करता है । संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग को बजटिंग, वेतन एवं निधि का लेखाकरण, वार्षिक लेखा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है । संस्थान प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तथा 31 मार्च से आरंभ वित्तीय वर्ष सहित दुहरी प्रविष्टि प्रणाली को अपना रहा है । संस्थान के वार्षिक लेखा की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करते हैं । संस्थान के लेखा को केन्द्रीय स्वायत्त निकाय के लिए सी ए जी द्वारा अनुमोदित निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैयार किया जाता है । प्रत्येक वर्ष संस्थान के लेखा में सी ए जी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शामिल किया जाता है और संसद में प्रस्तुत किया जाता है ।

योजना और योजनेतर शीर्ष के तहत रिलीज किए गए अनुदान का उपयोग संस्थान के मुख्य क्रियाकलाप के व्यय की पूर्ति के लिए किया जाता है जैसे क्षमता निर्माण, अनुसंधान विकास, सेमिनार एवं सम्मेलन, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, प्रकाशन, जर्नल की खरीद, पुस्तकालय, रखरखाव तथा अन्य आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय । उपरोक्त के अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों से भी एनआईआरडीपीआर को निधि प्राप्त होती है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार के विभिन्न फलैगशिप कार्यक्रम जैसे दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई), रूरबन मिशन, इंदिरा आवास योजना, आईएसआई, एमजी नरेगा, सामाजिक लेखापरीक्षा के तहत क्षमता निर्माण, एनआरएलएम, आरसेटी आदि के लिए खर्च किया जा सके । अनुसंधान, प्रभाव मूलयांकन, क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, यूनाईटेड नेशन के अंतर्राष्ट्रीय निकाय से प्राप्त निधि-प्राप्त होती है जो वित्त पोषित एजेंसियों की आवश्यकताओं के लिए सीमित है ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, संस्थान का व्यय अनुदान के रूप में जारी 50.00 करोड की अनुदान की तुलना में 70.88 करोड़ रूपये है । आंतरिक रूप से सृजित संसाधनों से 20.88 करोड़ रूपये पूरे किए गए थे । पिछले 3 वर्षों का अनुदान और व्यय संबंधी विवरण निम्नलिखित है ।

तालिका 14 : अनुदान और व्यय

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	कुल अनुदान	व्यय
2015 - 16	57.23	67.64
2016 - 17	58.83	62.25
2017 - 18	50.00	70.88

जी एफ आर सं. 208 (iv) में निर्धारित तथा कार्यकारी परिषद की मंजूरी के पश्चात् संस्थान के 2008-09 में संचित निधि का गठन किया । संचित निधि का मुख्य उद्देश्य संस्थान में दीर्घावधि वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना तथा विशिष्ट विकासात्मक परियोजनाएॅ/कार्यक्रमों पर व्यय को पूरा करना है । 31 मार्च, 2018 तक समग्र निधि में 195.33 करोड रूपये था ।

इसके अलावा, संस्थान ने विकास निधि, हितकारी निधि, भविष्य निधि तथा चिकित्सा संचित निधि का गठन किया जो कि विशिष्ट उद्देश्य सहित लक्ष्योन्मुख है । निधियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

अस्सी के दशक में विकास निधि का गठन किया गया जो उत्कृष्ट एनआईआरडीपीआर अधिकारियों/कर्मचारियों की उच्च शिक्षा, संस्थान के विशिष्ट विकासात्मक परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए वित्तीय सहायता देता है । इस अवधि के दौरान हितकारी निधि का भी गठन किया गया जो कर्मचारी कल्याण के लिए होगी जैसे छात्र शिक्षा ऋण तथा ग्रुप - सी कर्मचारियों को शादी ऋण, मृत कर्मचारी के परिवार को एकमुश्त वित्तीय सहायता आदि । उपरोक्त दो निधियों का मुख्य स्रोत परामर्शी परियोजनाओं से संस्थान को निवल बचत / आय की निर्धारित राशि तथा निधि पर कमाया ब्याज है । 31 मार्च, 2018 को निधि का बकाया 8.39 करोड़ और 4.98 करोड़ रूपये था ।

1989-90 में भवन निधि का गठन मुख्यत: इस कार्य के लिए चिन्हित निधि से संस्थान के आधारभूत संरचना विकास के लिए किया गया था । 31 मार्च, 2018 तक इस निधि में 24.57 करोड़ रूपये शेष है ।

भविष्य निधि का गठन संस्थान के कर्मचारियों के सभी पी एफ संबंधी लेने देन से था । 31 मार्च, 2018 तक निधि 18.72 करोड़ रूपये शेष थे ।

चिकित्सा संचित निधि का गठन सेवा निवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा लाभ देने के लिए किया गया था । इस निधि का स्रोत कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और निधि का ब्याज है । 31 मार्च, 2018 तक इस निधि में 1.04 करोड़ रूपये शेष थे ।

तालिका 15 : आबंटित निधियॉ

क्र.सं.	के लिए वित्त पोषित	राशि (रूपये में)
1.	एनआईआरडीपीआर खेल एवं मनोरंजन क्लब	95.5000
2.	एनआईआरडीपीआर शिशुसदन	4,308
3.	एनआईआरडीपीआर उपाहार गृह	1,75,000
	कुल	2,74,808

परिशिष्ट - 1

वर्ष 2017-18 के दौरान एनआईआरडीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल प्रतिभागियों का श्रेणीवार एवं माह-वार वितरण

माह	सरकारी अधिकारी	वित्तीय संस्थाए	जेडपीसी और पीआर आई	गैर सरकारी संगठन	अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय / राज्य संस्थान	विश्वविद्यालय / कॉलेज	अंतर राष्ट्रीय	अन्य (एसएचजी, किसान, बेरोजगार युवा)	कुल	महिलाएं	आयोजित कार्यक्रम की संख्या
क) हैदराबाद											
अप्रैल	226	0	0	1	13	15	0	0	255	43	9
मई	373	8	31	34	50	11	0	45	552	126	18
जून	580	14	2	52	50	18	0	48	764	106	26
जुलाई	896	34	66	76	90	14	32	81	1289	227	40
अगस्त	715	9	137	168	11	8	75	87	1210	253	37
सितम्बर	902	22	262	252	71	4	39	51	1603	348	40
अक्तूबर	296	0	15	34	322	23	35	19	744	78	22
नवम्बर	571	0	28	18	445	1	89	211	1363	108	39
दिसम्बर	525	2	10	23	234	6	51	3	854	92	27
जनवरी	671	2	58	93	329	0	82	45	1280	176	34
फरवरी	521	0	64	80	412	10	90	7	1184	166	33
मार्च	279	0	33	81	190	19	103	11	716	114	23
कुल	6555	91	706	912	2217	129	596	608	11814	1837	348
एनआरएलएम		179			6312				6491	3669	155
आरटीपी								2506	2506	1161	110
आरटीपी प्रदर्शन दौरे								4137	4137	1972	108
नेटवर्किंग											
एमजीएनआरईजीए	8640			4528				3450	16618	4374	560
डीडीयू-जीकेवाई	93			729				1284	2106	385	148
सामाजिक लेखापरीक्षा	371		87						458	25	21
एफपीओ				930					930	250	31
एनईआरसी	250		150	250	120				770	285	19
कुल	15909	270	943	7349	8649	129	596	11985	45830	13958	1500

माह	सरकारी अधिकारी	वित्तीय संस्थाए	जेडपीसी और पीआर आई	गैर सरकारी संगठन	अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय / राज्य संस्थान	विश्वविद्यालय / कॉलेज	अंतर राष्ट्रीय	अन्य (एसएचजी, किसान, बेरोजगार युवा)	कुल	महिलाएं	आयोजित कार्यक्रम की संख्या
ख) एनईआरसी											
अप्रैल	30	0	0	0	0	0	0	138	168	89	4
मई	260	0	18	0	14	2	0	27	321	66	6
जून	296	0	0	0	0	0	0	255	551	26	12
जुलाई	270	8	44	0	0	0	0	125	447	81	10
अगस्त	269	31	8	6	46	0	0	193	553	164	14
सितम्बर	40	0	0	0	32	0	0	179	251	99	6
अक्तूबर	102	28	6	2	0	2	0	233	373	187	9
नवम्बर	369	48	0	0	0	0	0	219	636	146	13
दिसम्बर	78	0	34	0	0	36	0	174	322	89	8
जनवरी	26	31	4	16	12	42	0	289	420	160	6
फरवरी	10	17	0	10	4	0	0	62	103	30	5
मार्च	54	0	38	45	14	80	0	0	231	68	5
कुल	1804	163	152	79	122	162	0	1894	4376	1205	98
कुलयोग (क+ख)	17713	433	1095	7428	8771	291	596	13879	50206	15163	1598
सहभागिता प्रतिशत में	35.28	0.86	2.18	14.80	17.47	0.58	1.19	27.64	100.00	30.20	

परिशिष्ट- II

वर्ष 2017-18 के दौरान आरंभ किये गये अनुसंधान अध्ययन

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान आरंभ किये गये
क.	अनुसंधान अध्ययन		
1.	"राज्यों में जिला नवोन्मेषी निधि (डीआईएफ)" पर एक त्वरित अध्ययन	डॉ. राम मोहन राव, परियोजना परामर्शदाता (सीएफआईई)	मई, 2017
2.	तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीतियां और कार्यक्रम	डॉ. के प्रताप रेड्डी	जून, 2017
3.	उनके अवैतनिक घरेलू कार्य के माध्यम से महिला का आर्थिक योगदान: एक अनुमान	डॉ. एन वी माधुरी डॉ वानिश्री जोसेफ, एनआईआरडी-एनईआरसी के संकाय	जून, 2017
4.	एनएसएपी और राज्य पेंशन योजनाएं और डीबीटी का विस्तार- एक 8 राज्यों का अध्ययन	डॉ. जी वैलेन्टिना	जून, 2017
5.	मुख्य रूप से ट्रांस्जेंडर लोगों और रणनीतियों का सामाजिक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन (2 राज्यों का अध्ययन)	डॉ. जी वैलेन्टिना	जून, 2017
6.	देश भर में प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एफपीओ की क्षैतिज और वर्टिकल स्कैनिंग - परियोजना चक्र अध्ययन	डॉ. सीएच राधिका रानी एवं दल	जून, 2017
7.	एमजीएनआरईजीएस के तहत आजीविका में वृद्धि और निरंतरता (प्रभाव)	डॉ. यु हेमन्त कुमार डॉ. जी वी के लोहीदास डॉ. राज कुमार पम्मी डॉ. पी शिवराम	जून, 2017
8.	बिहार में ग्राम पंचायतों की अध्यक्षता में महिलाओं का प्रदर्शन: बिजली, प्रतिरोध, बातचीत और परिवर्तन पर एक विश्लेषण	डॉ. मुकेश कुमार श्रीवास्तव श्रीमती स्मिता सिन्हा, सहायक निदेशक, बिपार्ड	जून, 2017
9.	भारत में मैन्युअल स्कैवैंजिंग के अभ्यास में एक जांच (यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में केस स्टडीज)	प्रोफेसर पी शिव राम प्रोफेसर ई वी प्रकाश राव डॉ. आर रमेश	जून, 2017
10.	वित्त के विशेष संदर्भ के साथ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएल) के निर्माण के लिए अनुकूलन तंत्र: चार राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन (जी) पर एक अध्ययन	डॉ. आर रमेश प्रोफेसर पी शिवराम	जून, 2017
11.	विमुद्रीकरण और कृषि पर इसके प्रभाव का अध्ययन: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण	डॉ. के कृष्णा रेड्डी डॉ. रविंद्र एस गवली	जून, 2017
12.	मुक्त सरकारी प्रणाली की प्रक्रिया और व्यवहार एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर इसका प्रभाव - एक प्रायोगिक अध्ययन	डॉ. आर अरुणा जयमनी	जून, 2017
13.	पंचायत विकास योजना और क्षमता अंतराल में जीपीडीपी के सिद्धांतों का पालन करना - चयनित राज्यों में एक विश्लेषण	डॉ. आर चिन्नदुरै एवं एसआईआरडी संकाय	जून, 2017
14.	भारत में विकेंद्रीकृत योजना और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सेवा: बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का कार्यान्वयन	डॉ. वाई भास्कर राव	जून, 2017

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान आरंभ किये गये
15.	किसान क्रेडिट कार्ड - उपयोग और प्रभावशीलता	श्री आर एन दास श्री वी राम मोहन राव डॉ. एम श्रीकान्त	जून, 2017
16.	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीके-वाई) का मूल्यांकन - सम्पूर्ण भारत में एक अध्ययन	डॉ. जी वी राजू डॉ. ए देबप्रिय डॉ. आर अरूणा जयमनी श्री शंकर दत्त निदेशक, एम एवं ई दल	नवम्बर, 2017
17	पीएमएवाई का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन	डॉ. पी शिवराम डॉ. आर रमेश	जनवरी, 2018
18	सूक्ष्म सिंचाई मॉडल और भारत में अप स्केलिंग के लिए मुद्दों पर पुनर्विचार करना	डॉ. के कृष्णा रेड्डी	फरवरी, 2018
19.	ग्रामीण भारत में उत्पादक रोजगार अवसरों का विस्तार करने में सेवा क्षेत्र की भूमिका	डॉ. पार्थ प्रतिम साहू	फरवरी, 2018
20.	कृषि पर सतत और प्रतिकृति मॉडल विकसित करना - बेहतर पोषण संबंधी परिणामों के लिए पोषण संयोजन	डॉ. सुरजीत विक्रमण, डॉ. आर मुरूगेषण	फरवरी, 2018
21.	कृषि बाजार की बाधाओं के जवाब में संस्थागत नवाचार: एक सामूहिक मामला अध्ययन	डॉ. सुरजीत विक्रमण डॉ. आर मुरूगेषण	फरवरी, 2018
22.	सतत आजीविका और वंचित समुदाय: कर्नाटक के चयन जिले में वाडी कार्यक्रम का अध्ययन	डॉ. राज कुमार पम्मी	फरवरी, 2018
23.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस लेनदेन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन	डॉ. के प्रभाकर डॉ. राज कुमार पम्मी	फरवरी, 2018
24.	भारत में मैनुअल सफाई से मुक्त और गैर-मुक्त महिलाओं का मनोसामाजिक स्वास्थ्य	डॉ. लखन सिंह	फरवरी, 2018
25.	भारत में ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थानों का प्रदर्शन: एक मूल्यांकन अध्ययन	डॉ. टी विजय कुमार डॉ. लखन सिंह डॉ. सोनल मोबर रॉय	फरवरी, 2018
26.	ग्रामीण स्व-सहायता समूह महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार	डॉ. सुचरिता पुजारी डॉ. टी विजय कुमार	फरवरी, 2018
27.	जिला योजना तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में विफलता के कारणों की परीक्षा - नीति बनाने के लिए सीख	डॉ. आर अरुणा जयमनी डॉ. वाई भास्कर राव	फरवरी, 2018
28.	भारत में स्वच्छता की मांग के निर्धारक	डॉ. ज्ञानमुद्रा डॉ. ससवाता नारायण विश्वास, डॉ. इंद्रानी डे, आईआरएमए	फरवरी, 2018
ख.	मामला अध्ययन		
29.	लापता स्वायत्त परिषद के कार्य पर एक मामला अध्ययन: असम राज्य में जनजातीय (सामान्य जनजाति) विकास का एक उपकरण	डॉ. मुकेश कुमार श्रीवास्तव	जून, 2017
30.	असम में वन गांव: पंचायती राज के विस्तार के मुद्दे और ग्रामीण विकास के कार्यक्रम	डॉ. मुकेश कुमार श्रीवास्तव	जून, 2017

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान आरंभ किये गये
31.	डिजिटल समावेश और ग्रामीण और शहर के बीच डिजिटल विभाजन का निर्माण - गुजरात के ई-ग्राम विश्वग्राम परियोजना पर एक मामला अध्ययन	डॉ. आर चिन्नदुरै	जून, 2017
32.	"ग्राम पंचायत संगठन विकास" परियोजना के अभ्यास का एक मामला अध्ययन : कर्नाटक के एक मॉडल ग्राम पंचायत का विकास करना	डॉ. आर अरुणा जयमनी	जून, 2017
33.	स्मार्ट गांव, लखपति किसान - झारखंड के खुंटी जिले में ग्राम पंचायतों का मामला अध्ययन	डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक	अक्तूबर, 2017
34.	चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान का सामाजिक लेखापरीक्षा: झारखंड का मामला अध्ययन	डॉ. राजेश के सिन्हा	जनवरी, 2018
ग.	सहयोगात्मक अध्ययन		
35.	भारत में ग्राम पंचायतों के समय और कार्य अध्ययन के लिए विकास पद्धति, उपकरण और एसओपी	आईआरएमए, आनंद, गुजरात	अगस्त, 2017
36.	एचआर आवश्यकता में आगमन और पंचायत राज में सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के विश्लेषण के लिए समय और गति अध्ययन हेतु पद्धति का विकास और परीक्षण	सीईएसएस, हैदराबाद	अगस्त, 2017
	(i) एमजीएनआरईजीए का अध्ययन		
37.	स्थानीय सरकारी निकायों में मनरेगा कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले व्यवहारिक और सांस्कृतिक कारण: झारखंड में एक महत्वपूर्ण विश्लेषण	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद	मई, 2017
38.	एनआरईजीए और इसकी संपत्ति: झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में एनआरईजीए संपत्तियों का व्यापक विश्लेषण	मानव विकास संस्थान (आईएचडी), नई दिल्ली	सितम्बर, 2017
	(ii) 32 मामला अध्ययन (पीआरआई को मजबूत करने के माध्यम से भारत को बदलना)		
39.	पंचायत में वंचित समुदाय से सशक्त महिला नेतृत्व द्वारा परिवर्तन	चर्च का सहायक सोशल एक्शन (सीएएसए), नई दिल्ली (7 केस स्टडीज)	अक्तूबर, 2017
40.	लैबपुर और बीरभूम, पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत का सफल नेतृत्व विकास	स्व-रोजगार, कोलकता, डब्ल्यूबी (2 केस स्टडीज) को प्रेरित करने के लिए संस्थान	अक्तूबर, 2017
41.	सार्वजनिक उपयोगिता सेवा का प्रभाव अध्ययन: हरियाणा में ग्रामीण विकास में सामुदायिक संपत्ति संसाधन	आर पी एजुकेशन सोसाइटी, रोहतक, हरियाणा (2 केस स्टडीज)	अक्तूबर, 2017
42.	मध्य प्रदेश की महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सफल कहानियों का दस्तावेज़ीकरण: ब्रेकिंग ऑफ ग्लास सिलिंग	सोध सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, जबलपुर, एमपी (2 केस स्टडीज)	अक्तूबर, 2017
43.	महिला नेतृत्व के तहत पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के माध्यम से सामुदायिक विकास	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, एचपी (5 केस स्टडीज)	अक्तूबर, 2017
44.	स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने में पंचायत की भूमिका की सफल कहानी का दस्तावेज़ीकरण	शारमाजीवी उन्नाव, पूर्व सिंहभुम, झारखंड (5 केस स्टडीज)	अक्तूबर, 2017

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान आरंभ किये गये
45.	पीआरआई में महिला नेतृत्व	चिन्मय संगठन ग्रामीण विकास, धर्मशाला, हि.प्र.	अक्तूबर, 2017
46.	ग्रामीण जल आपूर्ति में ग्राम पंचायत की भूमिका	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	अक्तूबर, 2017
47.	ग्राम पंचायत में स्वयं स्रोत राजस्व सृजन	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	अक्तूबर, 2017
48.	वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के कार्यान्वयन में पीआरआई की भूमिका	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	अक्तूबर, 2017
49.	पंजाब और हरियाणा के चयनित पंचायतों में ग्रामीण स्वच्छता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वोत्तम कार्यो का दस्तावेज़ीकरण	ग्रामीण और औद्योगिक विकास, चंडीगढ़ में अनुसंधान केंद्र (5 केस स्टडीज)	अक्तूबर, 2017
	(ii) एसआईआरडी पीआर		
50.	पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया और अली के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (लोढा, बिरोर और टोटो) से संबंधित प्राथमिक विद्यालयों के पौष्टिक और शैक्षिक स्थिति पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन	बीआरआईपीआरडी, पश्चिम बंगाल	अप्रैल, 2017
51.	झारखंड राज्य में लघु ऋण और बचत योजनाओं में भाग लेने वाले ग्रामीण परिवार की आजीविका पद्धति में परिवर्तन - झारखंड के चार जिलों में ग्रामीण परिवार का अध्ययन	एसआईआरडी, झारखंड	मई, 2017
52.	मनरेगा में अभिसरण पहल: राजौरी जिला (जम्मू-कश्मीर) का मामला अध्ययन	जेकेआईएमपीए और आरडी, जम्मू-कश्मीर	अक्तूबर, 2017
53.	कोलासिब जिले के विशेष संदर्भ के साथ मिजोरम में पाम तेल उत्पादन की समस्याएं और संभावनाएं	एसआईआरडी और पीआर, मिजोरम	दिसम्बर, 2017
	(iii) ईटीसी		
54.	स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव - मेघालय के री भोई जिले का एक मामला अध्ययन	ईटीसी, नोंगस्डर, मेघालय	नवम्बर, 2017
55.	पीईएसए क्षेत्रों में रुढ़ी एवं प्रथाओं की पद्धतियाँ	पीआरटीआई / ईटीसी, मशोबरा, शिमला, हिमाचल प्रदेश	दिसम्बर, 2017
56.	'स्वच्छ भारत' के कार्यान्वयन और उत्कृष्ट पद्धतियों का विश्लेषण- ओडिशा के कालाहांडी जिले का एक मामला अध्ययन	ईटीसी, भवनीपटना, कालाहांडी, ओडिशा	जनवरी, 2018

परिशिष्ट- III

वर्ष 2017-18 के दौरान पूरे किये गये अनुसंधान अध्ययन

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल
क.	अनुसंधान अध्ययन	
1.	समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से आजीविका संवर्धन: छह राज्यों में एक अध्ययन	डॉ. एन वी माधुरी डॉ. शंकर चटर्जी श्री कुणाल बंध्योपाध्याय
2.	सहभागी विकेंद्रीकृत योजना और सीमांत वर्गों का समावेशी विकास - चयनित बेहतर प्रदर्शन करने वाले जीपी का विश्लेषण	डॉ. आर चिन्नदुरै डॉ. आर अरुणा जयमनी
3.	महाराष्ट्र के के गढचिरोली जिले के अनुसूचित क्षेत्रों में स्व-शासन पर पेसा अधिनियम 1996 के कार्यान्वयन का प्रभाव	डॉ. आर आर प्रसाद डॉ. आर के श्रीवास्तव
4.	मध्य प्रदेश राज्य के बैगा जनजाति की कठिनाईयों को कम करने के लिए आवास अधिकारों के विस्तार का प्रभाव	डॉ. आर के श्रीवास्तव डॉ. आर आर प्रसाद
5.	एमजीएनआरईजीएस के तहत कमजोर समूहों (अक्षम व्यक्तियों) का आजीविका विश्लेषण	डॉ. पी अनुराधा
6.	कृषि आधारित सतत आजीविका कार्य: दो चयनित राज्यों में एक अध्ययन	डॉ. यू हेमंत कुमार डॉ. पी राज कुमार डॉ. पी शिवराम डॉ. बी सुजाता
7.	एकीकृत जिला योजना की तैयारी में डीपीसी की शक्तियां, कार्य और प्रदर्शन अंतर : एक स्थिति विश्लेषण	डॉ. आर अरुणा जयमनी डॉ. आर चिन्नदुरै
8.	बेहतर जीवनशैली के लिए पत्थर खदान श्रमिकों और योजना की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर अंतर-राज्य प्रवास के प्रभाव	डॉ. आर चिन्नदुरै
9.	सामाजिक जवाबदेहिता : आईसीडीएस कार्यक्रम में नागरिक रिपोर्ट कार्ड विधि का उपयोग	डॉ. सी धीरजा डॉ. के प्रभाकर
ख.	मामला अध्ययन	
10.	चेन्चुस के बीच सफल आजीविका हस्तक्षेप का एक मामला अध्ययन	डॉ. एन वी माधुरी
11.	सी-डैक विनिर्देशों और डेटा मानकों के साथ संगत ग्रामीण सड़कों पर भू-डेटाबेस तैयार करना ": रानी सी और आरडी ब्लॉक, कामरूप जिला, असम राज्य के दक्षिण भोलगांव पंचायत का मामला।	डॉ. एन एस आर प्रसाद श्री ए सिम्हाचलम डॉ. के हालोई
12.	पारंपरिक ग्रामीण हस्तशिल्प गतिविधियां: सार्थेबारी, असम में माजुली और बेल एवं पीतल धातु कार्यों में मुखौटा बनाने का मामला अध्ययन	डॉ. रत्ना भुयान डॉ. आर एम पंत
13.	असम के ग्रामीण क्षेत्रों से सफल महिला लघु उद्यमी	डॉ. रत्ना भुयान डॉ. आर एम पंत
14.	आजीविका के लिए बागवानी: अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग थेमबैंग मंडल का एक अध्ययन	डॉ. आर एम पंत डॉ. रत्ना भुयान डॉ. एन डी सिंह, कार्यक्रम समन्वयक (केवीके), दिरांग,
15.	विकेंद्रीकृत सुशासन: सिक्किम में दो ग्राम पंचायतों की सफलता की कहानी	डॉ. आर एम पंत डॉ. रत्ना भुयान
16.	मणिपुर के स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) के तहत एकीकृत योजना का मामला अध्ययन	डॉ. एम के श्रीवास्तव
17.	नागालैंड में ग्रामीण विकास और सार्वजनिक सेवाओं के संचार पर एक मामला अध्ययन	डॉ. एम के श्रीवास्तव

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल
18.	डिजिटल समावेश और ग्राम और शहर के बीच डिजिटल विभाजन निर्माण - गुजरात के ई-ग्राम विश्वग्राम परियोजना पर एक मामला अध्ययन	डॉ. आर चिन्नदुरै
19.	"ग्राम पंचायत संगठन विकास" परियोजना के अभ्यास पर एक मामला अध्ययन, कर्नाटक के एक मॉडल ग्राम पंचायत का एक अध्ययन	डॉ. आर अरुणा जयमनी
ग.	सहयोगात्मक अध्ययन	
20.	कृषि में पहनने योग्य एक्सीलरोमेट्री और सेंसर आधारित उपकरणों के उपयोग के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना	डॉ. सी राधिका रानी
21.	कराधान के बिना कोई प्रतिनिधित्व नहीं: पंचायती राज वित्तपोषण और जवाबदेही का एक अध्ययन	डॉ. कैरोलिन इलियट डॉ. के जयलक्ष्मी
22.	भारत में ग्राम पंचायतों के समय और कार्य अध्ययन के लिए विकास पद्धति, उपकरण और एसओपी	आईआरएमए
23.	एचआर आवश्यकता में आगमन और पंचायत राज में सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के विश्लेषण के लिए समय और गति अध्ययन के लिए पद्धति का विकास और परीक्षण	सीईएसएस
	(i) एमजीएनआरईजीए अध्ययन	
24.	एमजीएनआरईजीए के तहत बनाए गए संपत्तियों के उपयोगकर्ताओं, गुणवत्ता और स्थायित्व की धारणा बिहार में चार जिलों का एक अध्ययन	आईआईपीए, नई दिल्ली
25.	एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत श्रेणी-बी संपत्तियों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पैरा - 5 लाभार्थियों के बीच आय और आजीविका संवर्धन	सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली
26.	तेलंगाना में मनरेगा के तहत "व्यक्तिगत" श्रेणी बी संपत्तियों का सामाजिक आर्थिक और लिंग आधारित मूल्यांकन	प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद
27.	जल संरक्षण और जल निकायों के कायाकल्प पर भू-स्थानिक विश्लेषण और मनरेगा का प्रभाव	प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद
28.	ओडिशा में महात्मा गांधी नरेगा के तहत अभिसरण गतिविधियों का मूल्यांकन	आईआईटी खड़गपुर
29.	जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के अनुकूलन: पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तहत अभिसरण पहल का अध्ययन	आईआईटी खड़गपुर
30.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का संकट प्रवास पर प्रभाव: भारत के चयनित राज्यों का एक अध्ययन	जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद
31.	मनरेगा के तहत निर्मित संपत्ति का मूल्यांकन : उपयोगकर्ता धारणा, तकनीकी गुणवत्ता और सत्यापन	सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चंडीगढ़
32.	उत्तराखंड में मनरेगा के तहत अभिसरण गतिविधियों का मूल्यांकन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
33.	मनरेगा के तहत एसओआर के लिए समय और गति अध्ययन के लिए पद्धतियों का मूल्यांकन - मनरेगा में कानबन प्रणाली की प्रयोज्यता का अध्ययन	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) काशीपुर, उत्तराखंड
34.	हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत सफल कार्यों और मापनीय मॉडल का दस्तावेज़ीकरण	आईआईटी मंडी, हिमाचल प्रदेश
35.	कृषि और आजीविका भेद्यता में कमी पर मनरेगा का प्रभाव: भारत के चार राज्यों में एक अध्ययन	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), नेहरू नगर भोपाल

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल
36.	मनरेगा के तहत वित्तीय समावेशन का मूल्यांकन - उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन में मनरेगा की भूमिका की जांच	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) काशीपुर, उत्तराखंड
37.	मनरेगा, संपत्ति सृजना और ग्रामीण विकास: चयनित राज्यों में श्रेणी बी संपत्ति का मूल्यांकन	सेंटर फॉर विमेन डेवलपमेंट स्टडीज, नई दिल्ली
38.	जनजातीय लोक के प्रवास पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रभाव: पश्चिम बंगाल के जंगलेमहल जिलों का एक मामला अध्ययन	बीआर अम्बेडकर पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान, पश्चिम बंगाल
39.	स्थानीय सरकारी निकायों में मनरेगा कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले व्यवहारिक और सांस्कृतिक कारण: झारखंड में एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद
	(ii) एसआईआरडीपीआर	
40.	हिमाचल प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा में महिलाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन	एसआईआरडी, हिमाचल प्रदेश
41.	एमजीएनआरईजीएस में महिला श्रमिकों की बचत और ऋण पद्धति का विश्लेषण - आलप्पुझा और कोल्लम जिला	एसआईआरडी, केरल
42.	स्वच्छता के व्यवहार संबंधी पहलू - केरल के आलप्पुझा और तिरुवनंतपुरम जिलों के मछुआरा समुदाय का एक अध्ययन	एसआईआरडी, केरल
43.	पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की आजीविका नीतियां बदलना	एसआईआरडी, पश्चिम बंगाल
44.	झारखंड राज्य में लघु ऋण और बचत योजनाओं में भाग लेने वाले ग्रामीण परिवार की आजीविका पद्धति में बदलाव का एक अध्ययन - झारखंड के चार जिलों में ग्रामीण परिवार का अध्ययन	एसआईआरडी, झारखंड
	(iii) ईटीसी	
45.	पूर्वी गारो पहाडी जिले में पर्यावरण स्वच्छता का ज्ञान और अभ्यास	ईटीसी, डाकोपगे, तुरा, मेघालय
46.	स्व-सहायता समूहों का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव - गांव तपराना, जिला करनाल, हरियाणा का एक अध्ययन	आरजीएसआईपीआर एवं सीडी, ईटीसी, निलोखेरी, करनाल, हरियाणा

परिशिष्ट- IV

वर्ष 2017-18 के दौरान चालू अनुसंधान अध्ययन

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान आरंभ किये गये
1.	चयनित राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कार्य, कार्यकर्ताओं और वित्त के विकास की स्थिति: जम्मू-कश्मीर, झारखंड और ओडिशा	डॉ. वाई भास्कर राव	2015-16
2.	लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जनजातीय स्वशासन: दो राज्यों में पीईएसए अधिनियम के कार्यान्वयन का एक अध्ययन	डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक	2015-16
3.	जल प्रयोक्ता संघों के माध्यम से सहभागिता सिंचाई प्रबंधन: कुछ चयनित सिंचित कमांड क्षेत्रों का मूल्यांकन	डॉ. यू हेमंत कुमार डॉ. के प्रभाकर डॉ. पी राज कुमार	2015-16
4.	भू सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग कर स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली (एसडीएसएस) विकसित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों और ग्रामीण आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन	डॉ. पी केशव राव डॉ..एच के सोलंकी श्री डी एस आर मूर्ती डॉ. राज कुमार पम्मी	2015-16
5.	ग्रामीण पेयजल की वितरण समता : समावेशी सेवा वितरण पर एक अध्ययन	डॉ. पी शिवराम डॉ. आर रमेश	2015-16
6.	मध्यप्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन स्तर की पहल और मानक पर एक मामला अध्ययन	डॉ. आर मुरूगेशन	2015-16
7.	एससीएसपी / टीएसपी का मूल्यांकन - आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक अध्ययन	डॉ. जी वैलेन्टीना	2016-17
8.	ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट पद्धति और मामला-शिक्षण सामग्री पर मामला अध्ययन के एक संग्रह की तैयारी	डॉ. सोनल मोबर रॉय डॉ. जी रविकुमार	2016-17
9.	महात्मा गांधी एनआरईजीएस संपत्ति: इसका व्यापक मूल्यां-कन	डॉ. जी रजनीकान्त डॉ. पी अनुराधा	2016-17
10.	महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत संभावित मजदूरी रोजगार तक पहुँच और मांग करना : तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक व्याख्यात्मक शोध	डॉ. जी रजनीकान्त	2016-17
11.	सुरक्षित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति - चयनित राज्यों में विपरीत परासरण संयंत्रों और जल एटीएम पर एक अध्ययन	डॉ. पी शिवराम डॉ. आर रमेश	2016-17
12.	ग्राम पंचायतों में परिवारों का स्वच्छता व्यवहार आकलन - सेफसन सूची के उपयोग द्वारा एक अध्ययन	डॉ. आर रमेश डॉ. पी शिवराम	2016-17
13.	विभिन्न भूमि वितरण कार्यक्रमों के तहत गरीबों को आबंटित भूमि की स्थिति: चयनित राज्यों में एक मूल्यांकन	डॉ. जी वी कृष्णा लोहीदास	2016-17
14.	एमजीएनआरईजीएस और इसके निहितार्थों के साथ आईड-ब्ल्यूएमपी के अभिसरण पर एक अध्ययन	डॉ. यू हेमंत कुमार डॉ. के प्रभाकर डॉ. कृष्णा लोहीदास	2016-17
15.	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी करने के तरीके और पद्धति : एनएलसी और डीआरएल पर एक अध्ययन	डॉ. आर मुरूगेशन एवं दल	2016-17
16.	निम्नस्तर (जीपी) की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि: चयनित राज्यों में एक अध्ययन	डॉ. एस एन राव	2016-17

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान आरंभ किये गये
17.	निम्नस्तर पर विकेंद्रीकृत योजना - समस्याएं और अवसर - चयनित राज्यों में एक अध्ययन	डॉ. वाई भास्कर राव डॉ. आर चिन्नदुरै	2016-17
18.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार लेखापरीक्षा स्कीम नियम 2011 के अनुपालन पर अध्ययन	डॉ. सी धीरजा	2016-17
19.	सहभागिता और विभागीय दृष्टिकोण का उपयोग कर अंतराल के मूल्यांकन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूदा सामुदायिक आधारभूत संरचना और इष्टतम आवश्यकताओं का जीआईएस आधारित अध्ययन: ग्राम पंचायत तंत्र, जिला भरतपुर, राजस्थान का मामला	डॉ. एच के सोलंकी डॉ. पी केशव राव	2016-17
20.	राज्य सरकार के विभागों के कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक क्षेत्र विकास योजनाओं / कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन पर मोनोग्राफ के लिए प्रस्ताव	डॉ. के पी कुमारन	2016-17
21.	मनरेगा के तहत जल संरक्षण (नदियों समेत) और कायाकल्प का मूल्यांकन: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सीख	भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर, उत्तराखंड	2016-17
	एसआईआरडीपीआर		
22.	चेंचुस (पीटीजी) के मुख्य आजीविका स्रोत - महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश का एक मामला अध्ययन	टीएसआईपीएआरडी, तेलंगाना	2012-13
23.	सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में आजीविका पर एमजीएनआरजीएस का प्रभावी मूल्यांकन: महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश का एक मामला अध्ययन	टीएसआईपीएआरडी, तेलंगाना	2012-13
24.	रागा सीडी ब्लॉक में एसएचजी के माध्यम से आजीविका परियोजनाएं / सूक्ष्म उद्यमों और पापुम्परे जिले के तहत एसआईआरडी के आस-पास के गांव	एसआईआरडी, अरुणाचल प्रदेश	2014-15
25.	त्रिपुरा के ग्रामीण लोगों पर इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) का प्रभाव	सिपार्ड, त्रिपुरा	2015-16
26.	गोवा में इंदिरा आवास योजना के प्रदर्शन पर एक अध्ययन	गिपार्ड, गोवा	2016-17
27.	त्रिपुरा में महिलाओं के व्यवहार में बदलाव पर स्वच्छता अभियान का प्रभाव	एसआईआरडी, त्रिपुरा	2016-17
28.	तेलंगाना राज्य में प्राथमिक शिक्षा में छात्रों का नामांकन और प्रतिधारण को प्रभावित करने वाले कारक (एससी और एसटी के संदर्भ में)	टीएसआईपीएआरडी, तेलंगाना	2016-17
29.	शिक्षा और महिला सशक्तिकरण और जेंडर न्याय के बीच संबंधों की खोज: पश्चिम बंगाल, केरल और मिजोरम के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण	बीआरआईपीआरडी, पश्चिम बंगाल	2016-17
30.	"झारखंड में जनजातीय महिला पीआरआई सदस्यों का सशक्तिकरण लेकिन क्या यह पीईएसए के संदर्भ में है? - झारखंड के दस (10) पीईएसए जिलों में एक अध्ययन"	एसआईआरडी, झारखंड	2016-17
31.	झारखंड में ई-पंचायत - चुनौतियां और प्रस्तावित समाधान	एसआईआरडी, झारखंड	2016-17
32.	सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर जलागम विकास कार्यक्रम का प्रभाव और आजीविका, आय मानकों और व्यवहारधारकों के व्यवहार संबंधी पहलुओं पर इसका प्रभाव	डीडीयू-एसआईआरडी, उत्तर प्रदेश	2016-17

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान आरंभ किये गये
33.	महिला सशक्तिकरण के लिए एसएचजी का सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन	डीडीयू-एसआईआरडी, उत्तर प्रदेश	2016-17
34.	बिल्खवथ्लिर आरडी ब्लॉक, कोलासिब जिला के स्वच्छता के विशेष संदर्भ में एमजीएनआरईजीएस कार्यो का सामाजिक प्रभाव	एसआईआरडी, मिजोरम	2016-17
35.	गोवा राज्य में वृद्ध के सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना / दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना पर प्रभाव	गिपार्ड, गोवा	2016-17
36.	गोवा में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि नेतृत्व कौशल	गिपार्ड, गोवा	2016-17
37.	मनरेगा और इसकी उप-योजनाओं का प्रभाव, अर्थात 'कपिलधर, भूमि शिल्प, रेशम कीटपालन, बागवानी किसानों और रोजगार के अवसरों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव	एमजीएसआईआरडी, मध्य प्रदेश	2016-17
38.	त्रिपुरा में अपर्याप्त स्वच्छता से स्वास्थ्य जोखिम	एसआईआरडी, त्रिपुरा	2016-17
39.	मिजोरम में सामाजिक लेखापरीक्षा यूनिट: एक प्रक्रिया अध्ययन	एसआईआरडी, मिजोरम	2016-17
40.	कोलासिब जिला मिजोरम राज्य, भारत में शिफ्ट खेती और एनयूएल खेती (नदी किनारे पर मौसमी खेती) की उत्पादकता का तुलनात्मक अध्ययन	एसआईआरडी, मिजोरम	2016-17
	ईटीसी		
41.	हरियाणा में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड्स के रखरखाव का प्रदर्शन और स्थिति (वित्तीय वर्ष 2015-16)	क्षेत्रीय संस्थान पीआर और सीडी, भिवानी, हरियाणा	2016-17
42.	लुंगली जिले, मिजोरम, भारत में कृषि भूमि प्रौद्योगिकी (एसएएलटी) और गैर ढलान कृषि भूमि प्रौद्योगिकी का तुलनात्मक अध्ययन	ईटीसी, पुकपुई, लंगनेई, मिजोरम	2016-17
43.	प्रतापगढ़ जिले के डेयरी किसानों के ज्ञान स्तर और प्रशिक्षण आवश्यकताओं की सामाजिक-आर्थिक रुपरेखा और मूल्यांकन का एक अध्ययन	आरआईआरडी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश	2016-17
44.	अंगूर बागान पर बायोगैस स्लरी के प्रभाव का अध्ययन (मिट्टी कार्बनिक कार्बन और उत्पादकता में परिवर्तन पर ध्यान देने वाला एक प्रयोग)	ईटीसी, जीटीसी, जालना, महाराष्ट्र	2016-17
45.	महात्मा गांधी नरेगा: मावूर ग्राम पंचायत का एक मामला अध्ययन	ईटीसी, तालीपरम्बा, करिंबम, कन्नूर जिला, केरल	2016-17
46.	हैंडलूम गतिविधि के माध्यम से स्व-रोजगार: मुख्यमंत्री जीवन ज्योति स्वनियोजन का मामला अध्ययन	ईटीसी, कहीकुची, जिला-कामरूप (एम),गुवाहाटी	2016-17
47.	ग्रामीण गरीबों के बुनियादी ढांचे पर ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का प्रभाव - कालाहांडी जिले का एक मामला अध्ययन	ईटीसी, भवानीपटना जिला कालाहांडी, ओडिशा	2016-17

परिशिष्ट- V

चल रहे ग्राम अभिग्रहण अध्ययन - 2017-18

क्र.सं.	राज्य	जिला	खंड	गॉव समूह	दल
1	आन्ध्र प्रदेश	करनूल	नंदवराम मंडल	नागला दीन गुरुजाला रायचोही	डॉ. सी धीरजा डॉ. अरूणा जयमनी डॉ. श्रीनिवास सज्जा
		अनंतपुर	लिपाक्षी	कोंडूर जीपी	डॉ. शिवराम एवं सीएफएल दल
2	अरुणाचल प्रदेश	जिला - पश्चिम कामेंग	सर्किल-दिरांग	गांव- चंदर, पेंग्मा और पंचवटी। दो और गांव यानी चेरोंग और सेमनाक मई भी दूसरे चरण में शामिल किए जाएंगे। जीपी- थीमबाग	डॉ. आर एम पंत डॉ. रत्ना भुयान
3	असम	नलाबरी	बोरिगोग बुनभांग और पब नीलबरी विकास ब्लॉक	गुवाकुची, तांत्रसंकारा बलिकुची, बाजली उदयपुर कथोरा	डॉ. के हलोई डॉ. अंजन कुमार भंजा
4	बिहार	गया	बोध गया ब्लॉक	बाकरोर और बसरही जीपी क्लस्टर	डॉ. एम के श्रीवास्तव
5	छत्तीसगढ़	धमतरी	कुरूद	मुलले, अंवरी, कंजरपुरी	डॉ. पी केशव राव डॉ. दिगम्बर एसी डॉ. पी राज कुमार डॉ. अशोक कुमार जायसवाल
6	गोआ	दक्षिण गोआ	संगुअम	उगुम, भाटी, कूर्दी, नेटुरिम, कलय कलाम	डॉ. टी विजय कुमार डॉ. सुचरिता पुजारी सुश्री अश्विनी आचार्य
7	गुजरात	गांधीनगर पाटन	देहगम ब्लॉक हरिज ब्लॉक	बदापुर जीपी बुडा जीपी	डॉ. पी. शिवराम डॉ. आर रमेश
8	हरियाणा	कर्नाल	निलोखेरी	मंचुरी, पास्ताना बीर बादलवा 3	डॉ. सी एस सिंघल डॉ. आकांक्षा शुक्ला श्री कमलदीप सांगवान
9	हिमाचल प्रदेश	शिमला	मशोबरा	जीपी कोट	डॉ. के कृष्णा रेड्डी डॉ. रविन्द्र सोपन गवली श्री रविन्दर कुमार
10	जम्मू एवं कश्मीर				डॉ. ई वी प्रकाश राव डॉ. सत्य रंजन महाकुल डॉ. एम अशरफ दर
11	झारखंड	रामगढ	मंडू	गार्गली क्लस्टर	डॉ. यू हेमन्त कुमार डॉ. राजेश कुमार सिन्हा
12	कर्नाटक	मसूरी	तिरुमाकुदुलु नरसिपुरा	मादापुरा जीपी	डॉ. वी सुरेश बाबू डॉ. मारम श्रीकान्त
13	केरल	इडुक्की	जीपीएस: मुन्नूर और चिन्नाकानल	कन्नन देवन हिल्स, वट्टावाड़ा, गुंडुमालाई, चिन्नाकनाल	डॉ. आर चिन्नदुरै डॉ. ज्योतिष सत्यपालन डॉ. सुरजीत विक्रमण
14	मध्य प्रदेश	जबलपुर	कुंडम ब्लाक	जुजारी ग्राम पंचायत के तहत 4 गांव	डॉ. जी वैलेन्टीना

क्र.सं.	राज्य	जिला	खंड	गॉव समूह	दल
15	महाराष्ट्र	पुणे	पुरंदर	सोनारी जीपी	डॉ. सिद्धय्या डॉ. के प्रभाकर श्री सुमत पांडे
16	मणिपुर				डॉ. एस रमेश सक्तिवेल डॉ. एम के श्रीवास्तव
17	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	गामबिग्रे ब्लॉक	अमिंडा रंगसा, दिलनिग्रे, सुरिंगग्रे, अमिंडा एडिंग, अमिंडा सिमसंगग्रे, गाम्बेग्रे	डॉ. जी वी कृष्णा लोही दास डॉ. रत्ना भुयान
18	मिजोरम	ऐजवाल	ऐबाक आर डी ब्लाक	सुमसुई, चामरिंग, हुईफांग	श्री ए सिंहाचलम डॉ. एन एस आर प्रसाद श्री जॉन लालनुनसंग श्री एच रोसंगपुय, के डेविड लालथनमावी
19	नागालैंड			दोशी, बामुनपुखुरी ए, दरोगजन, टोलुवी, बामुनपुखुरी बी, शुगरिल एरिया गाव	डॉ. रत्ना भुयान डॉ. जे वानिश्री
20	ओडिशा	कटक	नरसिंहपुर ब्लॉक	सरधापुर जीपी	डॉ. देबप्रिय डॉ. प्रत्युषणा पटनायक श्री हिमांशु सतपथी
21	पंजाब	अमृतसर	अटारी	रोडनवाला कलान रोडनवाला खुर्द मोडे, धनोई कलान धनो खुर्द, रतन	डॉ. एस एन राव श्री डी एस आर मूर्ती डॉ. आई पी सिंह
22	राजस्थान	जयपुर	शाहपुरा	हनुतिया, मार्की, बिशनगढ़	डॉ. एच के सोचंकी श्री वी सत्यनारायण
23	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	जोरथांग	डेन्चुंग, दांग, नंदगांव, समतर, समसेबोंग, पोक्लोक-डेन्चुंग-जीपी	डॉ. एन एस आर प्रसाद श्री ए सिंहाचलम डॉ. रूचिरा भट्टाचार्य श्री यांचेन लिप्चा
24	तमिलनाडु				डॉ. मुरूगेषण डॉ. कथिरेसन, डॉ. सत्यप्रभा
25	तेलंगाना	महबूबनगर	फारूखनगर	जीपी: बूर्गुला	डॉ. एन वी माधुरी डॉ. सोनल मोबर रॉय सुश्री सुरेखा
26	त्रिपुरा	धलाई	सलेमा	कालाचेरी जीपी	डॉ. वाई भास्कर राव डॉ. एम वी रविबाबू डॉ. पी अनुराधा श्री राजिब मलाकार
27	दत्तर प्रदेश	राय बरेली	लालगंज	बेहता, बुंदई, नरसिंहपुर मालपुरा	डॉ. ज्ञानमुद्रा डॉ. लखन सिंह डॉ. शुभ करण सिंह
28	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	खरिक, सुनोली, पिपलेट, जजुत और उपराडा । जीपी: उपराडा और जजू	डॉ. आर एम पंत डॉ. पी पी साहू श्री धीरेन्द्र शाह
29	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर	गोलपोखर-द्वितीय ब्लॉक का कंकी जीपी	सिमुलिया, नयनगर, मतियारी, सुया, बसतपुर	डॉ. जी वी राजू डॉ. पी पी भट्टाचार्जी

परिशिष्ट- VI

2017-18 के दौरान आरंभ किये गये परामर्शी अनुसंधान अध्ययन

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान आरंभ किये गये
1.	भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके चक्रावर्तन शिफ्ट द्वारा स्थानांतरण खेती पर भौगोलिक-डेटाबेस का जनरेशन, मैपिंग और वेब प्रकाशन: उत्तर पूर्वी इंडिया के सात जिलों का एक अध्ययन	डॉ. के हलोई डॉ. एन एस आर प्रसाद श्री ए सिंहाचलम	अप्रैल, 2017
2.	त्रिपुरा राज्य में बैच I (2009 -10) परियोजनाओं का अंतिम / समाप्ति अवधि मूल्यांकन	डॉ. के हलोई डॉ. एन एस आर प्रसाद श्री ए सिंहाचलम	अप्रैल, 2017
3.	पीएमएजीवाई के तहत बेसलाइन सर्वेक्षण और वीडीपी की तैयारी का आयोजन	डॉ. के हलोई एवं दल	अप्रैल, 2017
4.	जोरहाट जिले में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र पर ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी पहलों का प्रभाव	डॉ. के हलोई डॉ. एन एस आर प्रसाद श्री ए सिंहाचलम	अप्रैल, 2017
5.	बैच -II आईडब्ल्यूएमपी परियोजना, नागालैंड की समेकन चरण गतिविधियों का मूल्यांकन	डॉ. के हलोई डॉ. एन एस आर प्रसाद श्री ए सिंहाचलम	मई, 2017
6.	बैच -III आईडब्ल्यूएमपी परियोजना, नागालैंड के 20 कार्य चरण गतिविधियों का मूल्यांकन	डॉ. के हलोई डॉ. एन एस आर प्रसाद श्री ए सिंहाचलम	मई, 2017
7.	सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) - 2016-17	डॉ. ज्ञानमुद्रा	2016-17
8.	तेलंगाना में बाल विवाह रोकने के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति	डॉ. ज्ञानमुद्रा	अगस्त, 2017
9.	ग्राम पंचायत और ग्राम परिषदों के लिए सेवा वितरण मानकों का विकास, मानव संसाधन का मूल्यांकन, कार्य भार और सेवाओं की लागत	डॉ. के जयलक्ष्मी, डॉ. वाई भास्कर राव	अगस्त, 2017
10.	संगारेड्डी जिले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा अपनाई गई स्वास्थ्य कॉल सेंटर, ईडीडी (डिलीवरी की अपेक्षित तिथि) पर उत्कृष्ट पद्धति	डॉ. ज्ञानमुद्रा	सितम्बर, 2017
11.	कृषि संकट और किसान आत्महत्या - स्थानिक राज्यों का एक अनुभवजन्य अध्ययन - मुद्दे और समस्याएँ	डॉ. सी राधिका रानी डॉ. सुरजीत विक्रमण डॉ. नित्या	सितम्बर, 2017
12.	क्षमताओं के अवसर "लिंग उत्तरदायी शासन को बढ़ाने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण"	डॉ. एन वी माधुरी डॉ. वानिश्री जोसेफ	अक्तूबर, 2017
13.	मेडागास्कर में सीजीएआरडी प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना	डॉ. पी केशव राव डॉ. एन एस आर प्रसाद डॉ. एम वी रविबाबू ईआर एच के सोलंकी	अक्तूबर, 2017
14.	भारत में निम्न स्तर पर परिवर्तनकारी नेतृत्व: एक माध्यात्मक विश्लेषण	डॉ. एस नटराजन	अक्तूबर, 2017
15.	तेलंगाना में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए सामाजिक मानदंड सिद्धांत को लागू करने पर नीतिगत ढांचा	डॉ. ज्ञानमुद्रा	नवम्बर, 2017

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान आरंभ किये गये
16.	'पंचायती राज सांख्यिकी' पर हैंडबुक संकलन और प्रकाशन	डॉ. एस एन राव	नवम्बर, 2017
17.	किशोरावस्था स्वास्थ्य सुधार हेतु जेंडर को मुख्यधारा से जोडने के लिए कार्यवाहकों के क्षमता निर्माण पर ढ़ाँचा	डॉ. ज्ञानमुद्रा	दिसम्बर, 2017
18.	भारत में एसएचजी - बैंक लिंकेज कार्यक्रम का मूल्यांकन	डॉ. एम श्रीकान्त श्री वी राम मोहन राव श्री आर एन दास	दिसम्बर, 2017
19.	पीयर लर्निंग, मैन्टरिंग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से समग्र और व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी के लिए पंचायतों को सक्षम करने हेतु अभिनव दृष्टिकोण	डॉ. ए के भंज	जनवरी, 2018
20.	महात्मा गांधी नरेगा का एक दशक: सहभागिता मूल्यांकन और एक कदम	डॉ. ज्योतिष सत्यपालन एवं दल	जनवरी, 2018
21.	गुरला मंडल, विजयनगरम जिले में स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके चयनित टैंकों का मूल्यांकन और परिवर्तन का पता लगाना	डॉ. एम वी रविबाबू डॉ. एन एस आर प्रसाद	फरवरी, 2018
22.	भारत में पीआर कार्यकर्ताओं के लिए समय और कार्य अध्ययन	डॉ. वाई भास्कर राव	फरवरी, 2018
23.	न्यू की फार ओल्ड ब्लैक बॉक्स : ऊर्जा व्यय को मापकर पोषण मूल्यांकन में सुधार के तरीके विकसित करना	डॉ. सी. राधिका रानी	मार्च, 2018
24.	आंध्र प्रदेश राज्य के एमजीएनआरईजीएस के तहत सीसी सड़कों का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ. पी केशव राव डॉ. एम वी रविबाबू डॉ. एन एस आर प्रसाद ईआर एच के सोलंकी	मार्च, 2018
25.	एपी में क्षेत्र विकास में ग्रैजुएशन स्तर का मॉडल	डॉ. सी. राधिका रानी	मार्च, 2018

परिशिष्ट- VII

महापरिषद् के सदस्यों की सूची

1.	श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
2.	श्री राम कृपाल यादव, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ग्रामीण विकास विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
3.	श्री अमरजीत सिन्हा, आईएएस, सचिव ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
4.	मुख्य कार्यकारी, भारत का राष्ट्रीय सहकारी संघ 3, सिरी संस्थागत क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग (खेल गॉव मार्ग) नई दिल्ली - 110 001
5.	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
6.	अध्यक्ष भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, एआईयू हाउस, 16 कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग (कोटला मार्ग), नई दिल्ली -110002
7.	सचिव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, कमरा नम्बर 247, 'ए' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली -110001
8.	अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
9.	संयुक्त सचिव (प्रशि.) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
10.	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
11.	सचिव कृषि विभाग कृषि मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001

12.	सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001
13.	संयुक्त सचिव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कमरा नम्बर 304, तृतीय मंजिल, ब्लॉक IV ओल्ड जेएनयू कैंपस, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली - 110 067
14.	सलाहकार (ग्रामीण विकास), योजना आयोग, कमरा नम्बर 232, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
15.	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास और पीआर विभाग, असम सरकार, दिसपुर, गुवाहाटी - 781037, असम
16.	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम - 695001, केरल.
17.	सचिव, पंचायत राज और ग्रामीण विकास, पश्चिम बंगाल सरकार, जेसॉप बिल्डिंग, पहला मंजिल, 63, एनएस रोड कोलकत्ता - 700 001
18.	सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई - 400 032
19.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय, पटना - 800 015
20.	कुलपति, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर- 313 001, राजस्थान.
21.	कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) मैदान गढ़ी, नई दिल्ली - 110 067
22.	कुलपति भरतियार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर-641 046, (तमिलनाडु)
23	डॉ डब्ल्यूआर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक एनआईआरडीपीआर, राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500 030

परिशिष्ट- VIII

कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की सूची

श्री अमरजीत सिन्हा, आईएएस सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली - 110001
सचिव, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110001
सचिव, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, 12 जी, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
सचिव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय कमरा नम्बर 247, 'ए' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011.
संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, तीसरा मंजिल, ब्लॉक -4, पुराना जेएनयू कैंपस, नई महरौली रोड, नई दिल्ली
अपर सचिव ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001
अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001।
डॉ डब्ल्यू आर रेड्डी, आईएएस महानिदेशक, एनआईआरडी और पीआर, राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030

परिशिष्ट- IX

शैक्षणिक समिति सदस्यों की सूची

1.	डॉ डब्ल्यू आर रेड्डी, आईएएस महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद	-	पदेन
2.	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली.	-	पदेन
3.	उप महानिदेशक एनआईआरडीपीआर, राजेंद्रनगर हैदराबाद.	-	पदेन
4.	निदेशक (एफएम) एंव एफ ए एनआईआरडीपीआर, राजेंद्रनगर हैदराबाद	-	पदेन

परिशिष्ट- X

2017-18 के दौरान संकाय विकास कार्यक्रमो में संकाय और गैर-संकाय सदस्यों द्वारा विकास कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय (शैक्षिक)

क्र.सं.	संकाय सदस्य का नाम और पदनाम	अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
1.	डॉ. वी माधव राव सलाहकार और अध्यक्ष (सीगार्ड)	2 - 7 मई, 2017 के दौरान बार्ड, कॉमिला, बांग्लादेश में टीजी -32 में स्वयं द्वारा जीआईएस पर नीतिपरक योजना के लिए ढांचे पर प्रस्तुतिकरण
2.	डॉ. ज्ञानमुद्रा प्रो. एवं अध्यक्ष (सीएचआरडी)	26 - 28 जुलाई 2017 के दौरान अंतःविषय समाज विज्ञान, हिरोशिमा, जापान पर 12 वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
3.	डॉ. एन वी माधुरी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रभारी (सीजीएसडी)	21 - 25 अगस्त, 2017 के दौरान पोषण-संवेदनशील कृषि और खाद्य प्रणालियां देश पोषण केंद्र बिंदु को बढ़ावा देने पर क्षेत्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला बैंकॉक, थाईलैंड
4.	डॉ. आर एम पंत, निदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर, एनईआरसी, गुवाहाटी	22 - 23 अगस्त, 2017 को सतत पर्यटन प्रबंधन, बार्सिलोना, स्पेन के लिए आईसीएसटीएम अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार
5.	डॉ. एन वी माधुरी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रभारी (सीजीएसडी)	6 - 8 सितंबर, 2017 के दौरान हेग, नीदरलैंड में स्थानीय प्रशासन के लिए हेग अकादमी की प्रशिक्षण सह प्रदर्शनी दौरा,
6.	डॉ. वी माधव राव सलाहकार एवं अध्यक्ष, (सीगार्ड)	11-14 सितंबर, 2017 के दौरान नाइजर गणराज्य नीयामी में सीजीएआरडी प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के संबंध में नाइजर की प्रारंभिक यात्रा
7.	डॉ. एम वी रविबाबू एसोसिएट प्रोफेसर, सीगार्ड	11-14 सितंबर, 2017 के दौरान नाइजर गणराज्य नीयामी में सीजीएआरडी प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के संबंध में नाइजर की प्रारंभिक यात्रा
8.	श्री एच के सोलंकी, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर - सीगार्ड	17 - 26 सितंबर, 2017 के दौरान सीजीएआरडी प्रौद्योगिकी के संचालन के संबंध में मेडागास्कर की यात्रा
9.	डॉ. पी. शिवराम प्रो. एवं अध्यक्ष (सीआरआई)	29 अक्तूबर - 18 नवंबर, 2017 के दौरान आर्डो - कोईका संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम "सतत ग्रामीण विकास (एसआरडी)" सेओंगनाम और सुवन, कोरिया गणराज्य
10.	डॉ. एन एस आर प्रसाद सहायक प्रोफेसर (सीगार्ड)	17 दिसंबर - 06 जनवरी, 2018 के दौरान मेडागास्कर के अंतानानारिवो में सीजीएआरडी प्रौद्योगिकी केन्द्र के संचालन के संबंध में मेडागास्कर की यात्रा

राष्ट्रीय (शैक्षिक)

क्र.सं.	संकाय सदस्य का नाम और पदनाम	राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
1.	डॉ. काकुमानु कृष्णा रेड्डी, एसोसिएट प्रोफेसर (सीएनआरएम)	एएसआईए 14-17 जून, 2017 के दौरान एशिया, प्लैटू दि इंटरनेशनल सेन्टर फॉर इनिशिएटिव ऑफ चेंज एट पंचगणी पूणे द्वारा आयोजित प्रभावी नेतृत्व कार्यक्रम केन्द्र
2.	डॉ. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर (सीएएस)	14-17 जून, 2017 के दौरान एशिया प्लैटू दि इंटरनेशनल सेन्टर फॉर इनिशिएटिव ऑफ चेंज एट पंचगणी पूणे द्वारा आयोजित प्रभावी नेतृत्व कार्यक्रम केन्द्र
3.	डॉ. एस रमेश सक्थिवेल, प्रोफेसर एसोसिएट (सीआईएटी)	14-17 जून, 2017 के दौरान एशिया प्लैटू दि इंटरनेशनल सेन्टर फॉर इनिशिएटिव ऑफ चेंज एट पंचगणी पूणे द्वारा आयोजित प्रभावी नेतृत्व कार्यक्रम केन्द्र
4.	डॉ. आकांक्षा शुक्ला एसोसिएट प्रोफेसर (सीपीजीएस)	14-17 जून, 2017 के दौरान एशिया प्लैटू दि इंटरनेशनल सेन्टर फॉर इनिशिएटिव ऑफ चेंज एट पंचगणी पूणे द्वारा आयोजित प्रभावी नेतृत्व कार्यक्रम केन्द्र

क्र.सं.	संकाय सदस्य का नाम और पदनाम	राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
5.	डॉ. मारम श्रीकान्त एसोसिएट प्रोफेसर (सीएफआईई)	14-17 जूप, 2017 के दौरान एशिया प्लैटू दि इंटरनेशनल सेन्टर फॉर इनिशिएटिव ऑफ चेंज एट पंचगणी पूणे द्वारा आयोजित प्रभावी नेतृत्व कार्यक्रम केन्द्र
6.	डॉ. दिगम्बर अबाजी चिमणकर, एसोसिएट प्रोफेसर (सीडब्ल्यूई)	14-17 जूप, 2017 के दौरान एशिया प्लैटू दि इंटरनेशनल सेन्टर फॉर इनिशिएटिव ऑफ चेंज एट पंचगणी पूणे द्वारा आयोजित प्रभावी नेतृत्व कार्यक्रम केन्द्र
7.	डॉ. पी पी साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, (सीईडी)	जेंडर उत्तरदायी शासन के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण - 10 - 15 जुलाई, 2017 के दौरान एलबीएसएनएए, मसूरी में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम
8.	डॉ. रत्ना भुयान, सहायक प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी	जेंडर उत्तरदायी शासन के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण - 10 - 15 जुलाई, 2017 के दौरान एलबीएसएनएए, मसूरी में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम
9.	डॉ. एस एन राव, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआर	जेंडर उत्तरदायी शासन के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण - 10 - 15 जुलाई, 2017 के दौरान एलबीएसएनएए, मसूरी में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम
10.	डॉ. एम श्रीकान्त, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रभारी (सीएफआईई)	8 - 10 अगस्त, 2017 के दौरान आईआरएमए, आनंद में सर्वेक्षण के डेटा विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
11.	डॉ. एम रवि बाबू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीगार्ड	8 - 10 अगस्त, 2017 के दौरान आईआरएमए, आनंद में सर्वेक्षण के डेटा विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
12.	डॉ. पी केशव राव, एसोसिएट प्रोफेसर (सीगार्ड)	11 - 13 अक्तूबर, 2017 के दौरान आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम में आपदा प्रबंधन (आईसीआरएसडीएम 2017) के लिए सुदुर संवेदन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
13.	डॉ. एम रवि बाबू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीगार्ड	11 - 13 अक्तूबर, 2017 के दौरान आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम में आपदा प्रबंधन (आईसीआरएसडीएम 2017) के लिए सुदुर संवेदन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
14.	डॉ. ई वी प्रकाश राव, प्रो. एवं अध्यक्ष (सीसीसीएवंडीएम)	11 - 13 अक्तूबर, 2017 के दौरान आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम में आपदा प्रबंधन (आईसीआरएसडीएम 2017) के लिए सुदुर संवेदन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
15.	डॉ. वी सुरेश बाबू, एसोसिएट प्रोफेसर (सीसीसीएवंडीएम)	11 - 13 अक्तूबर, 2017 के दौरान आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम में आपदा प्रबंधन (आईसीआरएसडीएम 2017) के लिए दूरस्थ सेंसिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
16	डॉ. आर दिवाकर, परामर्शदाता (सीएएस)	अक्तूबर 27-28, 2017 के दौरान आरंभिक बैठक 2017 -प्रौद्योगिकी निर्वाचिका सभा और कृषि द्वारा आयोजित
17.	डॉ. सुचरिता पुजारी, सहायक प्रोफेसर (सीजीएसडी)	27 अक्तूबर, 2017 के दौरान आयोजित किशोरावस्था स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएएआई) 11 वीं विश्व कांग्रेस किशोर स्वास्थ्य: किशोर स्वास्थ्य में निवेश - भविष्य अब है, नई दिल्ली
18.	डॉ. लखन सिंह सहायक प्रोफेसर (सीएचआरडी)	27 अक्तूबर, 2017 के दौरान आयोजित किशोरावस्था स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएएआई) 11 वीं विश्व कांग्रेस किशोर स्वास्थ्य: किशोर स्वास्थ्य में निवेश - भविष्य अब है, नई दिल्ली
19.	डॉ. पी पी साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीईडी	जेंडर उत्तरदायी शासन के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण - 13 - 17 नवम्बर, 2017 के दौरान एलबीएसएनएए, मसूरी में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम
20.	डॉ. पी राजकुमार, सहायक प्रोफेसर (सीएफएल)	जेंडर उत्तरदायी शासन के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण - 13 - 17 नवम्बर, 2017 के दौरान एलबीएसएनएए, मसूरी में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम
21.	डॉ. (श्रीमती.) अरूणा जयमणि, सहायक प्रोफेसर (सीपीएमई)	जेंडर उत्तरदायी शासन के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण - 13 - 17 नवम्बर, 2017 के दौरान एलबीएसएनएए, मसूरी में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम
22.	डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर (सीपीजीएस एवं डीई)	16 - 18 नवंबर, 2017 के दौरान घरेलू हिंसा पर एक पेपर प्रस्तुत किया और भाग लिया: दांतहीन टिगेट अधिनियम: भारतीय सामाजिक विज्ञान और स्वास्थ्य संघ, मुंबई में एक मामला अध्ययन

क्र.सं.	संकाय सदस्य का नाम और पदनाम	राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
23.	डॉ. पी पी साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीईडी	22-25 नवम्बर, 2017 के दौरान एशिया, प्लैटू दि इंटरनेशनल सेन्टर फॉर इनिशिएटिव ऑफ चेंज एट पंचगणी पूणे द्वारा आयोजित प्रभावी नेतृत्व कार्यक्रम केन्द्र
24.	डॉ. सुरजीत विक्रमण, एसोसिएट प्रोफेसर, सीएसआर, पीपीपी एवं पीए	एएसआईए 22-25 नवम्बर, 2017 के दौरान एशिया, प्लैटू दि इंटरनेशनल सेन्टर फॉर इनिशिएटिव ऑफ चेंज एट पंचगणी पूणे द्वारा आयोजित प्रभावी नेतृत्व कार्यक्रम केन्द्र
25.	डॉ. पी अनुराधा, सहायक प्रोफेसर, सीडब्ल्यूई	16 -18 दिसंबर, 2017 के दौरान भारतीय श्रम अर्थशास्त्र समिति, तिरुवनंतपुरम के 59 वें वार्षिक सम्मेलन में कार्यशाला सत्र
26.	डॉ. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआर	20-23 दिसम्बर, 2017 के दौरान एशिया, प्लैटू दि इंटरनेशनल सेन्टर फॉर इनिशिएटिव ऑफ चेंज एट पंचगणी पूणे द्वारा आयोजित प्रभावी नेतृत्व कार्यक्रम केन्द्र
27.	डॉ. ए के भंज, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआर	20-23 दिसम्बर, 2017 के दौरान एशिया, प्लैटू दि इंटरनेशनल सेन्टर फॉर इनिशिएटिव ऑफ चेंज एट पंचगणी पूणे द्वारा आयोजित प्रभावी नेतृत्व कार्यक्रम केन्द्र
28.	डॉ. आर मुरूगेषण प्रो. एवं अध्यक्ष, सीएसआर	8 - 10 जनवरी, 2018 के दौरान आईआरएमए, आनंद में मूल आर्थशास्त्र और क्रॉस सेक्शन डेटा विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
29.	डॉ. एम श्रीकान्त, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रभारी (सीएफआईई)	22 जनवरी - 2 फरवरी, 2018 के दौरान आईआरएमए, आनंद में सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के लिए उद्यमिता विकास और प्रबंधन पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
30.	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा, सहायक प्रोफेसर, सीआरटीसीएन	19 -23 फरवरी, 2018 के दौरान डीओपीटी प्रायोजित सीधे प्रशिक्षक कौशल, आईएसटीएम, नई दिल्ली
31.	डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक, सहायक प्रोफेसर, सीपीआर	19 - 24 फरवरी, 2018 के दौरान डॉ. एमसीआर एचआरडी संस्थान, हैदराबाद में प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण पर रष्ट्रीय प्रशिक्षक पाठ्यक्रम
32.	डॉ. वी जी नित्या, सहायक प्रोफेसर, (सीएएस)	19 - 24 फरवरी, 2018 के दौरान डॉ. एमसीआर एचआरडी संस्थान, हैदराबाद में प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण पर रष्ट्रीय प्रशिक्षक पाठ्यक्रम
33.	डॉ. सुरजीत विक्रमण, एसोसिएट प्रोफेसर, सीएसआर	26 फरवरी - मार्च 10, 2018 के दौरान आईआरएमए, आनंद में सामान्य प्रबंधन और नेतृत्व कार्यक्रम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
34	डॉ. ए के भंज, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआर	स्वराज्य से सूराज्य तक विषय पर राष्ट्रीय परामर्शी सम्मेलनों की श्रृंखला का उद्घाटन : 18 मार्च, 2018 के दौरान सुशासन एजेंडा को आगे बढाना
35.	डॉ. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआर	स्वराज्य से सूराज्य तक विषय पर राष्ट्रीय परामर्शी सम्मेलनों की श्रृंखला का उद्घाटन : 18 मार्च, 2018 के दौरान सुशासन एजेंडा को आगे बढाना
36	डॉ. सत्य प्रभा, सहायक प्रोफेसर, सीजीजी एवं पीए	स्वराज्य से सूराज्य तक विषय पर राष्ट्रीय परामर्शी सम्मेलनों की श्रृंखला का उद्घाटन : 18 मार्च, 2018 के दौरान सुशासन एजेंडा को आगे बढाना
37.	डॉ. एस श्रीनिवास. सहायक प्रोफेसर, सीएसए	स्वराज्य से सूराज्य तक विषय पर राष्ट्रीय परामर्शी सम्मेलनों की श्रृंखला का उद्घाटन : 18 मार्च, 2018 के दौरान सुशासन एजेंडा को आगे बढाना
38.	डॉ. पी अनुराधा, सहायक प्रोफेसर, सीडब्ल्यूई	स्वराज्य से सूराज्य तक विषय पर राष्ट्रीय परामर्शी सम्मेलनों की श्रृंखला का उद्घाटन : 18 मार्च, 2018 के दौरान सुशासन एजेंडा को आगे बढाना
39.	डॉ. सत्य रंजन महाकुल, सहायक प्रोफेसर, सीईएसडी	स्वराज्य से सूराज्य तक विषय पर राष्ट्रीय परामर्शी सम्मेलनों की श्रृंखला का उद्घाटन : 18 मार्च, 2018 के दौरान सुशासन एजेंडा को आगे बढाना
40.	डॉ. पी पी साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीईडी	स्वराज्य से सूराज्य तक विषय पर राष्ट्रीय परामर्शी सम्मेलनों की श्रृंखला का उद्घाटन : 18 मार्च, 2018 के दौरान सुशासन एजेंडा को आगे बढाना

क्र.सं.	संकाय सदस्य का नाम और पदनाम	राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
41.	डॉ. दिगम्बर अबाजी चीमांकर, एसोसिएट प्रोफेसर (सीडब्ल्यूई)	स्वराज्य से सूराज्य तक विषय पर राष्ट्रीय परामर्शी सम्मेलनों की श्रृंखला का उद्घाटन : 18 मार्च, 2018 के दौरान सुशासन एजेंडा को आगे बढाना
42.	डॉ. सुरजीत विक्रमण, एसोसिएट प्रोफेसर, सीएसआर, पीपीपी एवं पीए	स्वराज्य से सूराज्य तक विषय पर राष्ट्रीय परामर्शी सम्मेलनों की श्रृंखला का उद्घाटन : 18 मार्च, 2018 के दौरान सुशासन एजेंडा को आगे बढाना
43.	डॉ. के प्रभाकर, सहायक प्रोफेसर, सीजीजी एवं पीए	स्वराज्य से सूराज्य तक विषय पर राष्ट्रीय परामर्शी सम्मेलनों की श्रृंखला का उद्घाटन : 18 मार्च, 2018 के दौरान सुशासन एजेंडा को आगे बढाना

अंतर्राष्ट्रीय (गैर - शैक्षिक)

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम और पदनाम	अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
1.	श्रीमती चंदा पंडित सलाहकार (वि.प्र.) एवं वि.स.	सिर्डाप विशेष टीसी कार्यकारिणी समिति की बैठक, 19-21 जून, 2017 के दौरान सिर्डाप सचिवालय, ढाका, बांग्लादेश में आयोजित होने वाली बैठक अब बदलकर 3 -5 जुलाई, 2017 को आयोजित की गई
2	डॉ. के पापम्मा, संपादक (सीडीसी)	अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम क्रॉसरेफलाइव 17 सिंगापुर में 14 -15, नवंबर, 2017 के दौरान

राष्ट्रीय (गैर - शैक्षिक)

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम और पदनाम	राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
1.	श्रीमती अनिता पांडे सहायक निदेशक (रा.भा.)	23 जून, 2017 के दौरान जिपमेर, पुद्दुचेरी में राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय हिंदी राज भाष संगोष्ठी
2.	डॉ. सारा मैथ्यूस, महिला चिकित्सा अधिकारी	शिक्षा “ओ” अनुसंधान (एसओए), कलिंग नगर, भुवनेश्वर में 3 नवंबर, 2017 के दौरान भारत में मधुमेह के अध्ययन के लिए अनुसंधान समिति की 45 वीं वार्षिक बैठक
3.	श्री उमेश एम एल सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, सीडीसी	डिजिटल पुस्तकालयों, पुस्तकालय स्वचालन और ऑपरेशन कोर्स वेयर पर राष्ट्रीय सम्मेलन: पुस्तकालय और सूचना विज्ञान मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर में अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित मुद्दों और सर्वोत्तम कार्यों, 10-11, नवंबर, 2017 के दौरान
4.	श्री जी मुरलीकृष्णा प्रबंधनक - एवी अनुभाग	कक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम: एवी स्थापना स्तर 2 - 10 -12, नवंबर 2017 के दौरान एविएक्सए दृश्यश्रव्य और समन्वित अनुभव संघ, बेंगलूरु द्वारा आयोजित और स्थापित सत्यापन
5	श्री जी वी श्रीधर गौड, लेखा अधिकारी (प्रशि.)	20 - 22 नवंबर, 2017 के दौरान हैदराबाद में रिटर्न भरने और नवीनतम परिवर्तन और जीएफआर 2017 के साथ जीएसटी कार्यान्वयन पर तीन दिवसीय कार्यशाला
6.	श्री आर अमर सिंह, सहायक	20 - 22 नवंबर, 2017 के दौरान हैदराबाद में रिटर्न भरने और नवीनतम परिवर्तन और जीएफआर 2017 के साथ जीएसटी कार्यान्वयन पर तीन दिवसीय कार्यशाला
7.	श्री एस एस प्रधान, उ श्रे लि	20 - 22 नवंबर, 2017 के दौरान हैदराबाद में रिटर्न भरने और नवीनतम परिवर्तन और जीएफआर 2017 के साथ जीएसटी कार्यान्वयन पर तीन दिवसीय कार्यशाला
8.	श्री ए प्रवीण कुमार, सहायक रजिस्ट्रार (स्था.)	8 दिसंबर, 2017 के दौरान एक दिवसीय दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2016 - 17 उक्कुनगरम, विशाखापत्तनम में
9.	श्रीमती अनिता पांडे, सहायक निदेशक (रा.भा.)	8 दिसंबर, 2017 के दौरान एक दिवसीय दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2016 - 17 उक्कुनगरम, विशाखापत्तनम में
10.	श्रीमती वी अन्नपूर्णा कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (रा.भा.)	18 -22 दिसंबर, 2017 के दौरान बीडीएल, हैदराबाद में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के साथ विशेष तकनीकी पाठ्यक्रम
11	डॉ. एम पद्मजा, वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष, सीडीसी	23 - 25 जनवरी, 2018 के दौरान गोवा में सूचना विज्ञान समूह बैंगलोर और गोवा विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित लाइब्रेरी प्रौद्योगिकी निर्वाचिका सभा, 2018 पर कार्यशाला

मिशन

अनुसंधान, कार्य अनुसंधान, परामर्शी और प्रलेखन प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण निर्धन और अन्य पिछडे समूहों पर प्रकाश डालने, लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के विकास को बढ़ावा देने वाले तत्वों का विश्लेषण और परीक्षण करना ।

प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन कर ग्रामीण विकास से जुड़े सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों के ज्ञान, हुनर और प्रवृत्ति के विकास द्वारा ग्रामीण गरीब पर विशेष जोर देते हुए ग्रामीण विकास प्रयासों को सरलीकृत करना ।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030
वेबसाइट: www.nird.org.in

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण | अनुसंधान एवं परामर्शी | नीति निरूपण एवं परामर्श | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | नवोन्मेषी कौशल एवं आजीविका